पंचम माला, खंड 61 अंक 32, मंगलवार, 4 मई, 1976/14 वैशाख, 1898 (शक)

Fifth Series, Vol. LXI No. 32, Tuesday, May 4, 1976/Vaisakha 14, 1898 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[16वां सत्र
Sixteenth Session]

5th Lok Sabha

[खंड 61 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. LXI contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिए गए भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

424LSS/76—GIPF.

विषय सूची CONTENTS

अंक 32, मंगलवार, 4 मई, 1976/14 वैशाख, 1898 (शक)
No. 32, Tuesday, May 4, 1976/Vaisakha 14, 1898 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages 1—16
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या 648, 664, 649, 650, 652, 656, 658 से 660	Starred Questions Nos. 648, 664, 649, 650, 652, 656, 658 to 660	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	16 65
तारांकित प्रश्न संख्या 651, 653, 655, 657, 661, 662 और 665 से 667	Starred Questions Nos. 651, 653, 655, 657, 661, 662 and 665 to 667	
अतारांकित प्रश्न संख्या 3204 से 3214, 3216 से 3296 और 3298 से 3305	Unstarred Questions Nos. 3204 to 3214, 3216 to 3296 and 3298 to 3305	
सभा का कार्य	Business of the House	66
सभा पटल पर रखे गए पत्र	Papers laid on the Table	66—69
अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित	Additional Emoluments (Compulsory Deposit) Amendment Bill-*Introduced* :	66—69
श्री सी० सुब्रह्मण्यम	Shri C. Subramaniam	67
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	67—68
अनुदानों की मांगें, 1976-77	Demands for Grants, 1976-77	69—90
कृषि और सिंचाई मंत्रालय	Ministry of Agriculture and Irrigation:	
डा० के० एल० राव	Dr. K. L. Rao	69—70
प्रो० शेर सिंह	Prof. Sher Singh	70
श्री डी० एन० तिवारी	Shri D. N. Tiwary	70—71
श्री भाल जी भाई परमार	Shri Bhal Ji Bhai Parmar	71
श्री दरबारा सिंह	Shri Darbara Singh	71—72
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra	72
श्री गैंदा सिंह	Shri Genda Singh	72
श्री अनन्त प्रसाद धूसिया	Shri Anant Prasad Dhusia	72—73

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actua asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री नटवरलाल पटेल	Shri Natwar Lal Patel	73
श्री मणि राम गोदरा	Shri Mani Ram Godara	73
श्री राम चन्द्र विकल	Shri Ram Chandra Vikal	73—74
श्री शाह नवाज खां	Shri Shahnawaz Khan	74—76
श्री नवल किशोर सिंह	Shri Nawal Kishore Sinha	76
श्री एम० कत्तामुतु	Shri M. Kathamuthu	76—77
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा	Shri Sukhdeo Prasad Verma	77—78
श्री के० सूर्यनारायण	Shri K. Suryanarayana	78
श्री नाथू राम अहिरवार	Shri Nathu Ram Ahirwar	78—79
श्री के० एम० 'मधुकर'	Shri K. M. 'Madhukar'	79
प्रो० नारायण चन्द्र पराशर	Prof. Narain Chand Parashar	79—80
श्री डी० डी० देसाई	Shri D. D. Desai	80—81
श्री शिवाजी राव एस० देशमुख	Shri Shivaji Rao S. Deshmukh	81—82
श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट	Shri Narendra Singh Bisht	83
श्री परिपूर्णानन्द पेन्यूली	Shri Paripoornanand Painuli	83
श्रीमती सहोदराबाई राय	Shrimati Sahodrabai Rai	83—84
श्री के० लकप्पा	Shri K. Lakkappa	84
श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी	Shri Dinesh Chandra Goswami	84—85
श्री पुरुषोत्तम काकोदुकर	Shri Purushottam Kakodkar	85—86
श्री पटाभिराम राव	Shri Pattabhi Rama Rao	86—87
श्री राजदेव सिंह	Shri Rajdeo Singh	87—88
श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha	88
श्री गंगाचरण दीक्षित	Shri G. C. Dixit	88
श्री हरी सिंह	Shri Hari Singh	89
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy	89
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C. K. Chandrappan	89—90

लोक सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 4 मई, 1976/14 वैशाख, 1898 (शक)
Tuesday, May 4, 1976/Vaisakha 14, 1898 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अध्यक्ष महोदय : श्री शंकर राव सावंत ।

श्री शंकर राव सावंत : प्रश्न संख्या 648

श्री वसन्त साठे : मैं अनुरोध करता हूं कि प्रश्न संख्या 664 को, जो इसी विषय के बारे में है, इसके साथ लिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, इन्हें एक साथ लिया जाये ।

रेलवे की दृष्टि से महाराष्ट्र में पिछडे क्षेत्र

*648. **श्री शंकर राव सावंत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे की दृष्टि से महाराष्ट्र के किन क्षेत्रों को पिछड़े हुए क्षेत्र माना गया है;

(ख) चालू वर्ष में इन पिछड़े हुए क्षेत्रों में कितनी धनराशि खर्च करने की व्यवस्था की गई है; और

(ग) इस राशि को किस प्रकार खर्च किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

भाग (क)

नयी रेल लाइनों के निर्माण के लिए कोई क्षेत्र पिछड़ा है ऐसा समझने के लिए रेल मंत्रालय ने कोई मापदण्ड नहीं निर्धारित किया है । पिछड़े क्षेत्रों में रेल लाइनों के निर्माण के लिए राज्य सरकार की सिफारिशों पर विचार किया जाता है ।

भाग (ख) और (ग)

धन की व्यवस्था राज्यवार या क्षेत्रवार नहीं की जाती तथापि, महाराष्ट्र राज्य में अंशतः अथवा पूर्णतः पड़ने वाली निम्नलिखित परियोजनाओं का सर्वेक्षण अथवा निर्माण के लिए अनुमोदन कर दिया गया है ।

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	अनुमानित खर्च (करोड़ रुपयों में)	1976-77 में प्रस्तावित पूंजी (लाख रुपयों में)	टिप्पणी
1.	दीवा से बेसीन तक एक बड़ी रेल लाइन का निर्माण	12.75	350.0	निर्माण कार्य चालू है ।
2.	वानी से चनाका तक एक नयी बड़ी लाइन का निर्माण	5.3	10.0	" "
3.	मनमाड-परभनी-पुर्ली-बैजनाथ का मीटर लाइन से बड़ी लाइन में बदलाव	31.36	4.5	निर्माण के लिए अनुमोदन कर दिया गया है ।
4.	आप्ता से मेंगलूरु तक एक नयी बड़ी लाइन का निर्माण	300.0	—	सर्वेक्षण जारी है ।
5.	आप्टा-दासगांव मार्ग पर रोहा से मुरुद (जंजीरा) तक एक शाखा लाइन का निर्माण	5.0	—	" "
6.	मिरज-लातूर-छोटी लाइन खंड का बड़ी लाइन में बदलाव	49.74	—	सर्वेक्षण पूरा हो चुका है । रिपोर्ट की जांच की जा रही है ।
7.	परभनी-मुदखेड-अदिलाबाद मीटर लाइन का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन और इसका घूघस तक विस्तार	राज्य सरकार के खर्च पर सर्वेक्षण किया जा रहा है ।		सर्वेक्षण जारी है ।
8.	वर्धा से काटोल तक एक नयी बड़ी लाइन का निर्माण	12.0	(—).10	सर्वेक्षण रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

कोंकण रेल लाइन की स्वीकृति के लिए ज्ञापन

*664. **श्री वसंत साठे :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोंकण रेल लाइन सम्बन्धी प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकृति देने के लिए अनुरोध करते हुए महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोआ के जन प्रतिनिधियों से सरकार को एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी महत्वपूर्ण तथ्य क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही/निर्णय किया गया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क), (ख) : कोंकण रेलवे के निर्माण के लिए संसद सदस्यों, सार्वजनिक संस्थाओं, और महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोआ की राज्य सरकारों की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ग): आप्टा-मेंगलूर रेल लाइन के आप्टा से दासगांव तक के भाग का अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो चुका है । दासगांव और रत्नागिरी के बीच का अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण, जिसमें रत्नागिरि और मेंगलूर के बीच स्थल जांच शामिल है, जारी है । आप्टा-दासगांव रेल लाइन का यातायात सर्वेक्षण और वित्तीय मूल्यांकन 1976-77 के रेलवे बजट में शामिल कर लिया गया है जिस पर अनुमानत: 85,000 रुपये की लागत आयेगी । प्रस्तावित सर्वेक्षणों और वित्तीय मूल्यांकन के पूरा हो चुकने के बाद ही इस परियोजना का निर्माण शुरू करने के बारे में विचार किया जायेगा बशर्ते धन उपलब्ध हो ।

श्री शंकर राव सावंत : वास्तव में उत्तर बड़ा अजीब है क्योंकि सरकार ने यह नहीं बताया है कि कौन-2 से पिछड़े क्षेत्र हैं । सभा में कई बार यह स्वीकार किया गया है कि कोकंण तथा समूचा तटीय क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र है । पता नहीं सरकार इस बात को क्यों नहीं मानती ।

दूसरे, कई संसद सदस्यों ने अभ्यावेदन दिया है जिसमें आप्टा-दासगांव सेक्शन पर, जो आप्टा-मंगलूर लाइन का एक अंग है, कार्य आरम्भ करने के लिये सरकार से अनुरोध किया गया है । अन्तिम सरकारी सर्वेक्षण पूरा हो चुका है परन्तु इस वर्ष मद संख्या 4 के निर्माण के लिये परिव्यय नहीं रखा गया है । ऐसा क्यों है ? यदि आप्टा-मंगलूर सेक्शन पर कार्य आरम्भ नहीं किया जा सकता तो कम से कम आप्टा-दासगांव सेक्शन पर कार्य आरम्भ न करने के क्या कारण हैं ?

श्री बूटा सिंह : प्रश्न के दो भाग हैं । सदस्य ने पूछा है कि हमने पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने के लिये कोई मापदण्ड क्यों नहीं अपनाया है । विवरण में दिये गये उत्तर में रेलवे द्वारा निर्धारित किये गये ऐसे किसी मापदण्ड का उल्लेख नहीं है क्योंकि रेलवे स्वयं ऐसा मापदण्ड निर्धारित नहीं करती । योजना आयोग या सम्बन्धित राज्य सरकार इस बात के लिये अनुरोध करे कि यह क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र है, कृपया नई रेलवे लाइनों के लिये सर्वेक्षण कार्य आरम्भ करें । इस सन्दर्भ में रेलवे स्वयं किसी क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित नहीं करती ।

प्रश्न के भाग (दो) के बारे में मुझे यह कहना है कि आप्टा-दासगांव सेक्शन के सर्वेक्षण के लिये 85,000 रुपये निर्धारित किये गये थे और सर्वेक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध हो चुके हैं । हम उन प्रतिवेदनों का विश्लेषण कर रहे हैं और संसाधनों के उपलब्ध होने पर हम इस परियोजना को अवश्य आरम्भ करेंगे ।

श्री शंकर राव सावंत : गत तीन वर्षों से इसी प्रकार का उत्तर दिया जा रहा है । राशि कब उपलब्ध होगी ? समूची आप्टा-मंगलूर लाइन के लिये योजना आयोग इतनी

अधिक धनराशि देने को तैयार नहीं है। परन्तु आप्टा-दासगांव लाइन के लिये केवल 14 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। आप योजना आयोग से 14 करोड़ रुपये देने का अनुरोध करें और इस कार्य को आरम्भ करें। वास्तव में राज्य सरकार ने इस लाइन पर कुछ कार्य किया है और उसे खत्म किया जा रहा है। यह लाइन राष्ट्रीय हित में आवश्यक है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर कि कई वर्ष पूर्व सर्वेक्षण पूरा हो चुका है, क्या आप आप्टा-दासगांव लाइन पर कम से कम इस वर्ष कार्य आरम्भ करेंगे ?

श्री बूटा सिंह : निस्सन्देह राज्य सरकार ने सूखा राहत कार्य के रूप में यह कार्य आरम्भ किया गया था और राज्य सरकार ने हालात सुधरने पर कहा कि अब हम इस कार्य को नहीं कर सकते; रेलवे को इसे नियमित परियोजना मानना चाहिये। हमने योजना आयोग से बातचीत की परन्तु दुर्भाग्यवश योजना आयोग के लिये इस लाइन के निर्माण के लिये धनराशि नियत करना सम्भव नहीं था।

श्री वसन्त साठे : मैं रेल मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या हम गोआ से कर्नाटक तक तटीय क्षेत्र, जहां कोई अन्य संचार सुविधा नहीं है, में रेलवे लाइन बिछाना आर्थिक रूप से आवश्यक समझते हैं ? एक बार यह महसूस करने पर कि आर्थिक रूप से यह वांछनीय है, तो इसमें विलम्ब नहीं होना चाहिये। इसमें और कितने वर्ष लगेंगे ? अब कीमत पुनः बढ़ गई है। आपने सर्वेक्षण के लिये केवल 85,000 रुपये का प्रावधान किया है। मुझे पता नहीं कि क्या सर्वेक्षण पूरा हुआ है या नहीं कम से कम रेलवे को स्वयं पूरा सर्वेक्षण करना चाहिये। इसके लिये आपको योजना आयोग के पास जाने की आवश्यकता नहीं। आपको धन के लिये योजना आयोग के पास जाना होगा और ऐसा चरणों में किया जा सकता है। आपको 14 करोड़ रुपये की धनराशि एक दम नहीं चाहिये। कोई रेलवे लाइन एक दिन में नहीं बनती। मामले की वास्तविक स्थिति क्या है ?

श्री बूटा सिंह : यह कहना सही नहीं है कि कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। सर्वेक्षण किया गया है। इस पर काफी विचार किया गया है। सर्वेक्षण किया गया था। प्रतिवेदन से पता चला है कि लगभग 108 कि० मी० लम्बे आप्टा-दासगांव सेक्शन की निर्माण लागत 13.90 करोड़ रुपये होगी जिसमें चल स्टाक की लागत शामिल नहीं है और आप्टा-मंगलूर लाइन की, जो लगभग 909 कि० मी० लम्बी है, अनुमोदित लागत 300 करोड़ रुपये होगी। हमारी ओर से कोई विलम्ब नहीं है। स्वयं प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है और इसे यथाशीघ्र आरम्भ किया जाना चाहिये। परन्तु दुर्भाग्यवश हमें धन उपलब्ध नहीं कराया गया है। योजना आयोग कोई अड़चन नहीं पैदा कर रहा है। उनकी अपनी प्राथमिकताएं हैं और वे देश की समूची वित्तीय स्थिति को देखते हैं। किसी के लिये यह बताना कठिन है कि इस तारीख तक इसे आरम्भ किया जायेगा।

श्री वसन्त साठे : मैं जानना चाहता हूं कि क्या रेल मंत्रालय ने इस परियोजना की आर्थिक व्यवहारिकता पर विचार करने का कोई प्रयास किया है ? इसका अर्थ है कि आप कुछ धनराशि लगाते हैं चाहे आप इसे वित्तीय संस्थानों से या विश्व बैंक से लेते हैं और कितने वर्षों में यह राशि वापस की जा सकती है। क्या रेल मंत्रालय ने इस पर आर्थिक प्रस्ताव के रूप में विचार किया है ?

रेल मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : इस सुझाव पर अमल होना चाहिये। जहां तक धन का प्रश्न है, हम योजना आयोग से योजना के लिये तथा धन के लिये अनमति ले लगे। जब तक ऐसा नहीं होता हम आगे कार्यवाही कैसे कर सकते हैं ?

श्री वसंत साठे : क्या योजना की अनुमति मिल गई है।

श्री बूटा सिंह : प्रस्ताव की अनुमति मिल चुकी है।

श्री वसंत साठे : योजना और प्रस्ताव में अन्तर है। क्या आपने योजना आयोग के समक्ष योजना को अनुमति के लिये रखा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी : जी हां।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : यद्यपि प्रश्न महाराष्ट्र से सम्बन्धित है, माननीय मंत्री ने दो सामान्य वक्तव्य दिये हैं। प्रथम, रेलवे किसी क्षेत्र को पिछड़ा घोषित करने के लिये मापदण्ड निर्धारित नहीं करती, जिससे मेरा कोई मतभेद नहीं है। दूसरे, उन्होंने बताया है कि धन का प्रावधान राज्यवार या क्षेत्रवार नहीं किया जाता। माननीय मंत्री इस बात से सहमत होंगे कि देश के आर्थिक विकास के लिये आधार-भूत ढांचे का निर्माण जिसमें पिछड़े क्षेत्रों में रेल लाइनें बिछाना शामिल है, अत्यन्त आवश्यक है। क्या रेलवे ने पिछड़े क्षेत्रों को रेल लाइनों से जोड़ने की कोई नीति बनाई है ताकि उस क्षेत्र का आर्थिक विकास हो सके ? यदि नहीं, तो पिछड़े क्षेत्रों और औद्योगिक रूप से अल्प-विकसित क्षेत्रों को जोड़ने के बारे में रेलवे की क्या नीति है या रेलवे की कोई नीति है ही नहीं ?

श्री बूटा सिंह : जहां तक भाग 1 का सम्बन्ध है, मैं पहले ही बता चुका हूं। जहां तक नीति का सम्बन्ध है उसके बारे में उत्तर है: जी हां। मैं बताना चाहता हूं कि पिछड़े क्षेत्रों और अल्प-विकसित क्षेत्रों में नई लाइनों के निर्माण के लिये पुराने वित्तीय मापदण्ड में माननीय रेल मंत्री ने 1973-74 में परिवर्तन किया था। एक मापदण्ड निर्धारित किया गया और उसके अनुसार राज्य सरकारों को व्यय का कुछ अंश वहन करना होता है। माप-दण्ड इस प्रकार है :

(i) निर्माण की अवधि के दौरान और पूरा होने या यातायात के लिये खुलने के बाद कुछ निर्दिष्ट वर्षों के लिये सामान्य राजस्व को लाभांश की देयता से पूर्ण या आंशिक छूट;

(ii) मुफ्त भूमि और श्रम देकर निर्माण लागत को कम करने में राज्य सरकारों या स्थानीय प्राधिकारियों की भागीदारी;

(iii) नव-निर्मित लाइन पर लागू किराये और भाड़े की वृद्धि में उचित सामन्जस्य जिसे आम भाषा में 'चार्ज किये जाने वाले माइलेज में वृद्धि' कहा जाता है; और

(iv) सदैव रहने वाले किराये और भाड़े की लेवी ताकि यह मानक किराये और भाड़े के टेलीस्कोपिक ढांचे की क्षतिपूर्ति कर सके।

रेलवे द्वारा निर्धारित की गई यह स्पष्ट नीति है और इसमें कोई अस्पष्ट बात नहीं है।

श्री राजा कुलकर्णी : रेल मंत्रालय को पिछड़े क्षेत्रों के लिये कोई नया मापदण्ड निर्धा-रित करने की आवश्यकता नहीं है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जहां ग्रामीण क्षेत्रों में या महा-नगरों से बाहर सरकार ने उद्योग स्थापित करने की अनुमति दी है रेलवे ने उनका विकास नहीं किया है। ये रेलवे की दृष्टि में स्वयं पिछड़े क्षेत्र हैं क्योंकि उद्योग स्थापित करने की

अनुमति नहीं है परन्तु रेलवे लाइन जैसी आधारभूत सुविधाएं नहीं हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि दीवा-बेसीन के लिए स्वीकृत रेल लाइन पर काम निर्धारित समय के अनुसार क्यों नहीं हो रहा है और चालू वर्ष के लिए धन नहीं दिया गया है? इसी प्रकार बम्बई महानगर रेलवे का क्या हुआ जो बम्बई से बाहर ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करेगी और इस परियोजना की क्या प्रगति है?

श्री बूटा सिंह : दीवा-बेसीन रेल लाइन निर्माणाधीन है और इसमें अब तक 23 प्रतिशत प्रगति हुई है। 1976-77 में 3.5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है मार्च, 1980 में काम के पूरा होने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

श्री राजा कुलकर्णी : बम्बई महानगर रेलवे का क्या हुआ?

अध्यक्ष महोदय : क्या वह भी पिछड़ा क्षेत्र है? अगला प्रश्न—श्री सामंत।

रेलवे के हिन्दी टाइम टेबल के प्रकाशकों की मांगें

*649. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के हिन्दी टाइम टेबल के प्रकाशकों की कितनी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई है;

(ख) रेलवे प्रशासन को उन पर निर्णय लेने में कितना समय लगेगा; और

(ग) क्या हिन्दी टाइम टेबल का प्रकाशन बन्द किये जाने की सम्भावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) : इस मामले पर रेल प्रशासन द्वारा क्रियात्मक रूप से विचार किया जा रहा है और इस पर शीघ्र ही निर्णय लिये जाने की आशा है।

(ग) जी नहीं।

श्री एस० सी० सामन्त : यह मामला कितने वर्ष पहले रेलवे प्रशासन को भेजा गया था तथा इतना अधिक समय क्यों लिया गया है?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : वाराणसी स्थित आल इंडिया रेलवे टाइम-टेबल आफिस नामक एक मुद्रण फर्म ने कुछ आर्थिक सहायता और अन्य सुविधाएं दिए जाने के लिए हमें लिखा है तथा इस पर विचार हो रहा है।

हम उन्हें आवश्यक सहायता देने को तैयार हैं यदि वे अखिल भारतीय रेलवे समय सारिणी हिन्दी में छापना जारी रखते हैं। हम उनके इस कार्य का स्वागत करते हैं।

जोनल रेलवे का टाइम-टेबल अंग्रेजी और हिन्दी में छापे जाते हैं।

SHRI D.N. TIWARI : Railways are also used by the people speaking regional languages. What arrangements have been made for them to know the correct timings of the railways ?

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI : Time table is published in Hindi as well as regional languages. But here the question is of All India Time Table. It is published by a private publishing company. English version is published by Railway Board. That firm has now said that we do not get paper on control rate and unless it is given it is not possible to publish the Time Table.

SHRI D.N. TIWARI: Then Railway Board is printing the English version, why Hindi version is not published by them?

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI : Previously Railway was publishing it, but after wards this work was given to that firm and it is doing it nicely. Now they have demanded certain extra facilities.

SHRI SHANKER DAYAL SINGH: It is strange that the work of printing Railway Time Table in Hindi is not going on smoothly and not being printed in time. Who is the justification of getting the Hindi version published by a private firm when Railways are publishing so many other publications? I want to know the amount so far paider to private firm year-wise?

SHRI HOHD. SHAFI QURESHI: There is no question of giving them the responsibility of printing. We have given then certain facilities. But it is wrong to say that Time Table was never published.

SHRI SHANKAR DAYAL SINGH : I did not say that I said that why Railways are not publishing it themselves.

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI: The firm is doing good work, the printing is good, and the circulation is also sufficient. If there will be some deffect Railways will not have any difficulty in printing it. But what is the need to disturb when work is going in well.

SHRI K. M. MADHUPAI : I congratulate the Railway Ministry for Printing the Time Table in Hindi. But for nation integration, will it not be good step to print it in other national languages ?

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI: In certain places it has been printed in regional languages also and we will not hasitate in printing it is in other remaining languages.

पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री में कमी

*650. **श्री राज देव सिंह :** क्या **पेट्रोलियम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974 में पेट्रोलियम उत्पादों की वास्तकि बिक्री 250 लाख टन की अनुमानित मांग से घटकर लगभग 210 लाख टन रह गई थी;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1972 और 1973 में उनकी वार्षिक मांग कितनी थी; और

(ग) क्या उक्त वार्षिक मांग में कमी का कारण केवल पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में वृद्धि है अथवा उसके कुछ अन्य कारण भी हैं ।

पेट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख) 1974 में रिफाइनरी वायलर फ्यूल सहित सभी पेट्रोलियम उत्पादों की वास्तविक खपत 2·3 मिलियन मी० टन तक कम हो गई थी, जबकि 1973 में 23.7 मिलियन मी० टन और 1972 में 22.6 मि० मी० टन की खपत हुई थी । अत: 1974 में इन उत्पादों की खपत में 1973 की अपेक्षा 2.8% की कमी हुई जबकि 1973 में 1972 की अपेक्षा 4.7% और 1972 में पिछले वर्ष से 9.6% की वृद्धि हुई थी ।

(ग) पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में यह कमी उनके मूल्यों में हुई वृद्धि के अतिरिक्त अन्य अनेक उपायों के परिणाम स्वरूप हुई है जैसे कोयले के प्रयोग पर जोर देना, ईंधन के प्रयोग में कार्य कुशलता में वृद्धि करना, अनावश्यक खपत का निरुत्साहिक करने के लिये नियमित उपाय करना, आदि ।

SHRI RAJDEO SINGH : Government have increased the prices of petroleum products whenever there have been increase in the price of imported crude. In Delhi at present the price of petrol is Rs. 3·39 per litre and this includes Rs. 2·36 as taxes. On account of such a high price of petrol, the petrol pump agents mix kerosene in it. So, I want to know the number of pump agents caught mixing kerosene inpetrol?

SHRI K. D. MALAVIYA : Some petrol pump agents have been caught but this moment I do not have the figure. There has always been heavy burden of taxes over petrol. It was increased because we wanted to reduce the consumption of petrol so as to save foreign exchange. Therefore, the prices were increased as a policy, moreover it is a source of income in whole of the world.

SHRI RAJDEO SINGH: Hon. Minister informed that prices of petrol were increased to reduce its consumption but it has increased accidents, because people drive fast so as to save petrol, Auto industry had badly effected on account of this. For reducing the consumption of petrol whether government intend to introduce rationing of petrol.

SHRI K. D. MALAVIYA : It is a suggestion. Government is carefully watching the situation and when such a situation will come I will let you know.

SHRI BIBHUTI MISHRA : Daily I read in the news papers that oil has struck in so many oils. Now kerosene should be given on control price, at least to the farmers. Government may increase the price of petroleum products used for medicines, aeroplanes and driving cars. State governments should be instructed to supply kerosene on reduced price to the poor people of the society.

SHRI K. D. MALAVIYA: This is the policy of government to supply kerosene in adequate quantity to villagers on low price. We often write to the states in this respect. Unfortunately we were not able to get the required co-operation from some states. We will consider this and try to sell kerosene on the fixed price.

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : गत 3 वर्ष से पैट्रोलियम के उत्पादों के विक्रय एजेन्टों के रूप में युवा स्नातक, विज्ञान स्नातक तथा अन्य इंजीनियर काम कर रहे हैं। 1954 से 1975 के बीच विक्रेता का कमीशन मात्र 4 पैसे ही रहा है। इसके अतिरिक्त उन्हें अधिभार भी देना होता है तथा यह एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग के अन्तर्गत विवादग्रस्त है। क्या मंत्री महोदय उनके लाभ को संतुलित करने के प्रश्न पर विचार करेंगे जिससे कि वे अपनी आजीविका चला सकें और क्या 4 पैसे के लाभ को और बढ़ाया जाएगा जिससे कि अधिभार उपभोक्ता से न लिया जाए ?

श्री के० डी० मालवीय : कमीशन को बढाना और मूल्यों को कम करना, ये दोनों बातें एक साथ कैसे चल सकती हैं। इस सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल से कुछ अभ्यावेदन हमें मिले हैं।

राज्य सरकारों के सहयोग से हम मिट्टी तेल का मूल्य घटा सकते हैं और उसके वितरण को सुव्यवस्थित कर सकते हैं, जिससे कि लाभ कमाना कम हो सके और उपभोक्ताओं को हानि न हो।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या मंत्री महोदय इस आरोप को गलत सिद्ध करने के लिए आंकड़े दे सकते हैं कि पैट्रोल की खपत केवल व्यक्तिगत गाड़ियों के सम्बन्ध में ही कम हुई है और जहां तक सरकारी विभागों और उपक्रमों का सम्बन्ध है यह खपत पहले ही के समान है ?

श्री के० डी० मालवीय : इस सम्बन्ध में मेरे पास आंकड़े नहीं है। हो सकता है जो माननीय सदस्य ने कहा वह सच हो। संस्थानों और सरकारी निकायों के कार्य भार के कारण उनमें पैट्रोल की खपत कम करना संम्भव नहीं है। तथापि हम उन्हें कम करने को कह रहे हैं। कुछ विभागों में पैट्रोल के उपयोग में कमी होने की जानकारी हमें मिली है।

रसायनों का आयात

*652. **श्री सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में आयातित रसायनों के नाम क्या हैं और उन पर प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की जाती है;

(ख) क्या उक्त रसायनों का देश में उत्पादन किया जा सकता है; और

(ग) यदि हां, तो उनके भारत में निर्माण के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) 1974-75 में लगभग 721 करोड़ रुपये के मूल्य के रसायनों का आयात किया गया। रसायनों के ग्रुप-वार ब्यौरे तथा उनके मूल्य वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकी विभाग कलकत्ता द्वारा प्रकाशित 'मन्थली स्टैटिस्टिक आफ फारेन ट्रेड आफ इण्डिया' नामक पुस्तिका में दिये गये हैं।

(ख) इनमें से अनेक रसायनों का देश में उत्पादन हो रहा है किन्तु उत्पादन एवं मांग के अन्तर को आयात से पूरा करना पड़ता है। कुछ ऐसे रसायन हैं जिनका देश में उत्पादन नहीं किया जा रहा है तथा उनकी मांग को आयात द्वारा पूरा किया जाता है। आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए उत्पादन क्षमता में वृद्धि। विकास करने हेतु प्रयत्न किये जा रहे हैं। आयात व्यापार नियंत्रण नीति के अनुसार निर्यात में वृद्धि करके आयात भी किया गया है।

(ग) रसायन उद्योग के सन्तुलित एवं एकीकृत विकास करने के लिए आवश्यक निवेश सहित विभिन्न निदेशों की व्यवस्था करने की आवश्यकता के बारे में सरकार को पूर्ण रूप में जानकारी है। इस सम्बन्ध में विशिष्ट उपायों के बारे में सरकार द्वारा प्रकाशित वार्षिकीय अंक "गाइड लाइन्स फार इण्डस्ट्रीज" (उद्योगों के लिए मार्गसूचक सिद्धान्त) में दिये गये हैं।

SARDAR SWARAN SINGH SOKHI : I have not get the answer of any question. Why the extracts from the publications referred have not been given ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : हम यह समझते थे कि माननीय सदस्य को खुले रूप में उपलब्ध जानकारी है। यदि वे चाहते हैं .....

SARDAR SWARAN SINGH SOKHI : If I had that information I would have not asked this question.

श्री पी० सी० सेठी : 1974 में उर्वरक समेत रसायनों के निर्यात पर 721 करोड़ रुपया खर्च हुआ। इसमें से 425 करोड़ रुपया निर्मित उर्वरकों पर व्यय हुआ। माननीय सदस्य को ज्ञात होगा कि गत वर्ष विश्व भर में उर्वरकों का मूल्य दुगुना हो कर 2000 रुपये प्रति टन हो गया था। सौभाग्य से अब विश्व के बाजार में मूल्य गिर गये हैं और उसका आयात कम हो जायेगा।

उर्वरक के आयात को कम करने के लिए हम इसमें स्वावलंबी होने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं और उसका उत्पादन बढ़ा रहे हैं। इस वर्ष हमनें अपने उत्पादन लक्ष्य को समय से एक मास पहले पूरा कर लिया है और आशा है इस वर्ष नाइट्रोजन का उत्पादन 18.50 या 19 लाख मी० टन होगा। कृषि मंत्रालय ने 26 लाख मी० टन की मांग रखी जबकि हमारा अनुमान 22 लाख मी० टन का है।

अतः यह अन्तर समाप्त हो रहा है और अनुभव से पता चलता है कि हमारी मांगों का अनुमान कृषि मंत्रालय के अनुमानों से अधिक वास्तविक है।

जहां तक औषधियों जैसी अन्य वस्तुओं के आयात का सम्बन्ध है, 1974-75 के दौरान हमने 45.6 करोड़ रुपये के मूल्य की वस्तुओं का आयात किया था। यहां हम इस बात पर नजर रख रहे हैं क्योंकि 43.12 करोड़ रुपये के मूल्य की औषधियों का निर्यात किया गया था। वस्तुतः औषधियों के आयात एवं निर्यात में व्यापार सन्तुलन केवल 2 करोड़ रुपये से भी कम है। जहां तक अन्य रसायनों का सम्बन्ध है, हम कीटनाशक औषधियों का आयात कर रहे हैं।

लेखा परीक्षा में व्यवस्था में सर्तकता लाने के लिये कार्यवाही

*656. **श्री बाल कृष्ण वेन्कन्ना नायक** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में स्थित वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिये गये बड़े ऋणों को ध्यान में रखते हुए निजी कम्पनियों को जनता के प्रति और अधिक उत्तरदायी बनाने के लिये सरकार ने लेखा परीक्षा व्यवस्था को सतर्क करने और चार्टर्ड एकाउन्टेंसी संस्थान को सुव्यवस्थित करने के लिये क्या कानूनी और प्रशासनिक कार्यवाही की है; और

(ख) क्या सरकार का विचार सरकारी-क्षेत्र उद्यम ब्यूरों की भांति निजी-क्षेत्र उद्यम ब्यूरो स्थापित करने का है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री देवव्रत बरुआ) : (क) तथा (ख) : विवरण-पत्र सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा, कम्पनी अधियिम, 1956 में दो नई धाराएं नामशः 224क और 619ख अन्तर्विष्ट की गई हैं। इन धाराओं में यह अपेक्षित है कि उन कम्पनियों, जिनमें अभिदत्त शेयर पूंजी का चाहे एकाकी या अधिनियम में यथा सूचीबद्ध पब्लिक वित्तीय संस्थानों द्वारा किसी एक के संयोजन में 25 प्रतिशत से कम धारण नहीं है, में लेखा-परीक्षक की नियुक्ति या पुनः नियुक्ति एक विशेष संकल्प द्वारा की जाएगी और जहां इन संस्थानों का शेयर धारण 51 प्रतिशत की उपेक्षा कम नहीं है, वे कम्पनियां सरकारी कम्पनियों की तरह मानी जाएंगी और लेखा परीक्षक की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी।

जहां तक चार्टर्ड एकाउन्टेंसी संस्थान को सुव्यवस्थित करने का सम्बन्ध है, इस व्यवसाय का कार्यकरण चिर संवीक्षान्तर्गत है तथा तुलनपत्र और लाभ तथा हानि के लेखाओं की लेखा-परीक्षा के विषय में अभी हाल ही में कम्पनी अधिनियम की धारा 227(4क) के अन्तर्गत अधिसूचना लेखा परीक्षकों द्वारा विस्तीर्ण रिपोर्ट देने के लिए मार्ग संदर्शिका का उल्लेख करते हुए, जारी की है।

श्री बी० वी० नायक : गैर सरकारी क्षेत्र की इतनी अधिक कम्पनियों में से कितनी कम्पनियों में सरकार या सरकार का सहायक समस्याओं की 25 प्रतिशत शेयर पूंजी है, और उन कम्पनियों की क्या संख्या है जिनमें सरकार या सरकार की सहायक संस्थाओं और राष्ट्रीयकृत बैंकों की 51 प्रतिशत शेयर पूंजी लगी हुई है ?

श्री बेदब्रत बरुआ : इतनी कम अवधि में मैं ये आंकड़े नहीं दे सकता, लेकिन स्थिति यह है कि कम्पनी अधिनियम के संशोधन द्वारा अब अनेक कम्पनियां शामिल कर ली गई हैं क्योंकि, जहां तक लेखा परीक्षकों का सम्बन्ध है, जिन कम्पनियों में सरकारी वित्तीय संस्थानों, सरकार या अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा 51 प्रतिशत से अधिक शेयरपूंजी लगाई गई है उन कम्पनियों को सरकारी कम्पनी माना जायेगा। जहां तक अन्य कम्पनियों में वित्तीय संस्थानों की पूंजी धारण का सम्बन्ध है, अब इनकी संख्या बहुत हो गई है। जहां तक टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, एसोसियेटिड सीमेंट कम्पनी आदि जैसी बड़ी कम्पनियों का, जो भारत में विशालतम कम्पनियां हैं, सम्बन्ध है मैं यह कह सकता हूं कि सरकारी वित्तीय संस्थानों द्वारा शेयर धारिता बहुत अधिक है। उदाहरण के लिए एसोसियेटेड सीमेंट कम्पनी में सरकारी वित्तीय संस्थानों की 39 प्रतिशत शेयर धारिता है जबकि कम्पनी का नियंत्रण करने वाले सभी गृहों के 2 प्रतिशत भी शेयर नहीं हैं। 'टिसको' की भी ऐसी ही स्थिति है। और मैं समझता हूं कि इसमें भी 25 प्रतिशत से बहुत शेयर हैं। अतः सभी बड़े उद्योगों में सरकारी वित्तीय संस्थानों में भारी राशि लगा रखी है। मैं इतना ही कह सकता हूं।

श्री बी० वी० नायक : मंत्री महोदय ने कहा है कि समय कम होने के कारण वह आंकड़े नहीं दे सकते, जबकि इस प्रश्न का नोटिस 21 दिन पहले दिया गया था और उन्होंने लम्बा उत्तर दिया है। प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में, कि क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र उद्यम ब्यूरो की भांति निजी-क्षेत्र उद्यम ब्यूरो स्थापित करने का है, 'जी नहीं श्रीमान जी, नकारात्मक उत्तर दिया गया है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुये कि आपके पास उन संस्थाओं की संख्या का ब्यौरा नहीं है जहां आपने 25 और 51 प्रतिशत शेयर पूंजी लगा रखी है, अत्यधिक महत्वपूर्ण आंकड़े न होने के कारण, इन कम्पनियों की राज कोष और आप के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए, क्या यह आवश्यक नहीं है कि सरकार को ऐसे ब्यूरो स्थापित कर जानकारी सम्बन्धी अन्तर दूर करने के लिए एक बार फिर विचार करना चाहिए ?

श्री बेदब्रत बरुआ : मैं स्पष्ट करता हूं कि जानकारी में कोई अन्तराल नहीं है। इस विभाग के पास जानकारी है, लेकिन चूंकि माननीय सदस्य ने मूलतः यह प्रश्न नहीं किया है क्योंकि उनका प्रश्न तो विशेषतया लेखा परीक्षा के बारे में था, इसलिए मैं उन्हें वैधानिक स्थिति बता रहा था। मेरे पास इस समय वे आंकड़े नहीं हैं जो उन्होंने पूछे हैं।

निजी क्षेत्र उद्यम ब्यूरो के बारे में उन्होंने एक नये विचार का सुझाव दिया है। वस्तुतः सरकारी क्षेत्र उद्यम ब्यूरो का विशिष्ट कार्यकरण है। यह सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यों का निरीक्षण करता है। निजी क्षेत्र का निरीक्षण उसकी अपनी ही प्रबन्ध व्यवस्था करती है और सरकार उनके कार्यों पर प्रशासनिक मंत्रालयों, लेखापरीक्षकों तथा अन्य सरकारी संस्थानों के माध्यम से नियंत्रण रखती है। इसलिए मैं नहीं समझता कि इस कार्य के लिए सरकारी क्षेत्र उद्यमों की भांति निजी क्षेत्र उद्यम ब्यूरो की संकल्पना नहीं की जा सकती।

डा० रानेन सेन : निजी कम्पनियों के लेखों की लेखा परीक्षा किए जाने के बाद भी अनियमितताएं पाई गई हैं क्योंकि कुछ उद्योगपति किसी भांति लेखा परीक्षकों पर अपना प्रभाव जमा लेते हैं और इस सदन में अनेक सदस्यों द्वारा मांग की गई है कि सम्पूर्ण लेखा-

परीक्षा व्यवस्था का राष्ट्रीयकरण किया जाये जिससे भ्रष्टाचार कदाचार तथा अन्य प्रकार की अनियमितताएं समाप्त हो सकतीं हैं ऐसी स्थिति में इस सुझाव के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री बेदब्रत बरुआ : जैसा कि मैंने अपने उत्तर में बताया है, गैर-सरकारी क्षेत्र की अधिकांश बड़ी कम्पनियों पर सरकार द्वारा प्रत्यायोजित यू० टी० आई० या अन्य संस्थाओं के माध्यम से सरकार का अधिपत्य है और भारी संख्या में शेयर धारण किए हैं। कुछ कम्पनियों में तो सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थाओं के 50 प्रतिशत से अधिक शेयर हैं। वहां लेखा परीक्षकों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। जहां सरकारी वित्तीय संस्थानों के 25 प्रतिशत शेयर होते हैं वहां लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के लिए मंजूरी लेनी होती है। यदि वे इसका विरोध करना चाहते हैं तो कर सकते हैं ऐसी स्थिति में 75 प्रतिशत मत प्राप्त कर एक विशेष संकल्प की आवश्यकता होती है। सरकारी कम्पनियों पर तो सरकार का नियंत्रण होता है। अन्य निजी क्षेत्र की कम्पनियों के सम्बन्ध में कम्पनी विधि बोर्ड ने गत नवम्बर में एक आदेश जारी किया है कि लेखा परीक्षकों को इन कम्पनियों के कच्चे माल, प्रबन्ध, उनके ऋणों, उनके जमा खातों, भविष्य निधि आदि की जांच करनी होगी। उन्हें अपनी रिपोर्ट में विशेष रूप से उल्लेख करना है कि इन सभी बातों की जांच करली गई है और उन्हें स्वयं सन्तुष्ट होना है कि ये खाते सही हैं। यह नवम्बर में किया गया है। इस वर्ष से ये सभी बातें तुलन-पत्र में दी जायेगी और इन्हें उपलब्ध किया जायेगा।

डा० रानेन सेन : मैंने लेखापरीक्षा के राष्ट्रीयकरण के बारे में प्रश्न किया था।

श्री बेदब्रत बरुआ : ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

उर्वरकों का जमा हो जाना

*658. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक उद्योग को स्टाक जमा हो जाने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माँझी) : (क) और (ख) एक विवरण पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

1-4-1976 को निर्माताओं के पास 2.02 लाख मी० टन नाइट्रोजन और 1.10 लाख मी० टन फास्फेट के स्टाक का अनुमान लगाया गया है, इस स्टाक में नाइट्रोजन का 5 सप्ताह से अधिक का उत्पादन और फास्फेट का 14 सप्ताह से अधिक का उत्पादन शामिल है और यह स्टाक बढ़ता जा रहा है।

1975-76 के दौरान प्रचलित अधिक मूल्य उर्वरक के स्टाक के ज़मा होने का मुख्य कारण है। इसके अतिरिक्त अप्रैल का महीना उर्वरक उठाने के लिए मंदा है और खरीद की उठान मई के बाद आरम्भ होने की आशा है।

सरकार ने उर्वरक की उठान में सुधार करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। इन में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(i) 1 दिसम्बर 1975 से आयातित फोस्फोरिक एसिड पर लगाए जाने वाले कर में 30 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक की कटौती करना;

(ii) 1 दिसम्बर 1975 से सिंगल सुपर फास्फेट पर उत्पाद शुल्क में 15 प्रतिशत से 7-1/2 प्रतिशत तक कटौती करना;

(iii) 10 मार्च 1976 से यूरिएट आफ पोटाश (एम० ओ० पी०) के मूल्य मे प्रति मी० टन 1085 रुपये से 900 रुपये तक कमी करना;

(iv) 16 मार्च 1976 से फास्फेटिक उर्वरक के मूल्य में प्रति मी० टन 1250 रुपये तक की कटौती करना;

(v) 10 मार्च 1976 से यूरिया के मूल्य में प्रति मी० टन 100 रूपये तक की कटौती करना;

यह आशा की जाती है कि खरीफ की फसल के आरम्भ होने पर इन उपायों से उर्वरक के उठान में सुधार होगा ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : सरकार ने विवरण में बताया है कि 2.02 लाख मीटरी टन नाइट्रोजन और 1.10 लाख मीटरी टन फास्फेट का भण्डार जमा हो गया है । यह भी बताया कि यह अधिक मूल्य के कारण है । अधिक मूल्यों के कारण उठान कम हो रहा है। आप को याद होगा कि गत वर्ष जब आर्थिक क्षेत्र में संकट व्याप्त था, उर्वरक की कमी की समस्या थी । लेकिन इस वर्ष कृषि उत्पादन बढ़ा है और खरीद कम है । सरकार ने पांच उपायों का सुझाव दिया है। इस बात की क्या गारंटी है कि इन उपायों से या सरकार द्वारा दी गई रियायतों से गरीब किसानों और छोटे कृषकों को वास्तव में लाभ होगा? यह सच है कि बिचौलिए ही इन गरीब किसानों को उर्वरक बेच रहे हैं । मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह वितरण प्रणाली की सुव्यवस्थित करने के लिए कोई उपाय करेगी, जिससे सरकार द्वारा दी गई रियायतों का लाभ छोटे किसानों को मिले। क्या ऐसी योजना तैयार की जाएगी जिससे कि उर्वरकों की एक वर्ष कमी और दूसरे वर्ष उसके उठान का अभाव, यह स्थिति दूर हो ?

श्री सी० पी० मांझी : यह ऐसा सुझाव है जिस पर कार्यवाही की जानी चाहिए। वस्तूतः इस वर्ष उत्पादन बहुत बढ़ा है। अधिक मूल्य होने के कारण भण्डार जमा हो गया है। इस भण्डार को कम करने के लिए सरकार ने उपाय किए हैं। उठान इसलिए कम हुआ है क्योंकि कृषि या बुआई का मौसम अभी आरम्भ नहीं हुआ है। बुआई या कृषि का मौसम आरम्भ होते ही उठान बढ़ जाएगा। जहां तक बिचौलियों द्वारा मुनाफाखोरी का सम्बन्ध है, हमने वितरण स्तर पर मूल्य निर्धारित कर दिए हैं और सरकार द्वारा मूल्य सबसे निचले स्तर पर नियंत्रित किए जाते हैं और यह सुनिश्चित किया जाता है कि बिचौलिए किसानों का शोषण न करने पायें।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय ने मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया है। सरकार कहती है कि अधिक मूल्यों के कारण उठान कम हुआ है । क्या यह सच नहीं है कि कृषि उत्पादनों के मूल्यों में भारी गिरावट होने के कारण किसान की

क्रय-शक्ति कम हो गई है। उसे अपने उत्पादनों का लाभप्रद मूल्य नहीं मिल रहा है। इसे ध्यान में रख कर क्या सरकार ऐसे कदम उठाएगी जिससे हम कृषि विकास के लिए आवश्यक उर्वरक खरीदने में सक्षम हो जाएं।

श्री पी० सी० सेठी : सभी प्रकार के उर्वरकों की खपत कम नहीं हुई है । 1974 75 में नाइट्रोजन की खपत 17.05 लाख मी० टन थी तथा 1975-76 में रियायत दिए जाने से पहल ही इसकी खपत बढ़ कर 21.48 लाख मी० टन हो गई । अतः यह कहना गलत है कि उर्वरक की खपत कम हुई है और उसका मूल्य अत्यधिक है । यह ठीक है कि कृषि उत्पादों के मूल्य स्थिर हुए हैं, परन्तु इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं। देश की अर्थ व्यवस्था को बचाने के लिए और कृषि उत्पादों को सुलभ करने के लिए सरकार ने यह नीति अपनाई। यह कहना सही है कि उपादानों के मूल्य, उस मात्रा में कम नहीं हुए हैं जो कि किसान को अपने उत्पाद का मिल रहा है। और परिणामस्वरूप उर्वरकों के उपयोग में कुछ कमी हुई। फास्फेट की खपत 1974-75 की 4.70 लाख मी० टन से घट कर 1975-76 में 4.66 लाख मी० टन रह गई। इसी कारण हमने इसके मूल्य में 1250 रु० प्रति मी० टन की कमी की है। हमें आशा है कि अब फास्फेट की खपत बढ़ेगी। आयोजन, कृषि उत्पाद और उपादानों के सम्बन्ध में विभिन्न मंत्रालयों में पूरा सहयोग है ।

श्री एस० आर० दामाणि : उर्वरक के उत्पादन में वृद्धि एक सन्तोष की बात है। अब उसके आयात की आवश्यकता नहीं है। इस वर्ष उर्वरक का कितना उत्पादन हुआ तथा अगले तीन वर्षों में कितना होने की संम्भावना है ?

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न संगत नहीं है।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : विभिन्न राज्यों को उर्वरक का आबंटन करने, उनकी आवश्यकता का अनुमान कर उनका कोटा निर्धारित करने के लिए क्या कृषि मंत्रालय, उर्वरक विभाग और राज्यों के प्रतिनिधियों वाली कोई समन्वय समिति बनाई गई है ? यदि हां तो क्या उस समिति में यह आशा व्यक्त की गई थी कि मूल्य बढ़ने से स्टाक इकट्ठा हो जाएगा ? यदि नहीं, तो क्या इस सम्बन्ध में फिर से विचार किया जाएगा ?

श्री पी० सी० सेठी : ऐसी कोई समिति नहीं है । कृषि मंत्री विभिन्न राज्य सरकारों के अनुरोध के आधार पर अपनी मांग रखते हैं। सिंचाई, बिजली की उपलब्धता और अन्य बहुत सी बातों को ध्यान में रखते हुए इन राज्य सरकारों की सिफारिशों के आधार पर खपत का अनुमान लगाया जाता है। फोस्फेटिक और पोटासिक उर्वरकों का मूल्य अधिक होने के कारण यूरिया, अमोनिया, नाइट्रोजन की खपत.....

अध्यक्ष महोदय : इसे पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है।

श्री पी० सेठी : उर्वरक के उपयोग में संतुलन लाने के लिए फास्फोरिक उर्वरक का मूल्य कम करने की आवश्यकता है। नाइट्रोजन के परिणाम अच्छे निकले हैं। परन्तु यदि नाइट्रोजन, फास्फोरिक और पोटासिक उर्वरक में सन्तुलन नहीं रखा गया तो भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाएगी।

Ticketless Travellers

*659. SHRI K. M. MADHUKAR : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether the Central Railway authorities have recently brought out a booklet containing an analysis of ticketless travellers;

(b) whether Railway Administration propose to prepare a scheme to check this practice on the basis of this analysis; and

(c) if so, the salient features thereof?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

SHRI K. M. MADHUKAR : Hon. Minister has denied, but it has published in newspapers.

MR. SPEAKER : When Minister denies, hon. member should believe him.

SHRI K. M. MADHUKAR : Hon. Minister is trying to evade Ticketless travelling which is very much prevalent among youths and poor society. Whether any propaganda will be done among the youths so as to persuade them to leave the habit of ticketless travelling.

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI : There is no question of richness and poverty in the case of crime. The criminal will be punished. There is no need to propagate this because everybody knows that the culprit will surely get the punishment.

विद्युतीकरण के लिए सस्ती बिजली की सप्लाई के लिए कर्नाटक राज्य द्वारा प्रस्ताव

*660. **श्री के० मालन्ना** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य ने राज्य में रेलवे लाइनों के विद्युतीकरण के लिए सस्ती बिजली की सप्लाई हेतु रेलवे के साथ एक दीर्घावधि करार करने के लिए रेलवे को कोई प्रस्ताव भेजा था; और

(ख) यदि हाँ तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री के० मालन्ना : खेद है राज्य सरकार ने कर्नाटक में रेलवे लाइनों के सुधार के लिए कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है। क्या केन्द्र सरकार ने कर्नाटक में रेलवे लाइनों में सुधार करने के लिए कोई पहल की है?

श्री बूटा सिंह : दक्षिण रेलवे मैसूर राज्य बिजली बोर्ड और मैसूर सरकार के प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई थी, जिसमें लाइनों का विद्युतीकरण करने के लिए बिजली उपलब्ध कराने पर सामान्य चर्चा हुई।

श्री के० मालन्ना : क्या कर्नाटक सरकार ने बंगलौर से मैसूर, हसन से मंगलोर, गुन्टकल से बंगलौर और हुबली से हास्पेट की मीटर लाइनों को बड़ी लाइन में बदलने के लिए कोई पहल की है ?

श्री बूटा सिंह : दक्षिण रेलवे में मद्रास अराकोणम-इराडे-जोलारपेट—बंगलौर लाइन का विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव था। जोलारपेट से बंगलौर तक का एक बड़ा भाग कर्नाटक में

पड़ता है। इस नाग के बारे में दक्षिण रेलवे परियोजना प्रतिवेदन और प्राक्कलन तैयार कर रहा है। प्रस्ताव के अन्तिम रूप दिए जाने पर हम राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में बात करेंगे।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : मद्रास-बंगलौर सेक्शन की आधारशिला 4 वर्ष पहले रखी गई थी। इसके शुरू होने में इतनी देरी क्यों की जा रही है? जबकि केरल और कर्नाटक में बिजली उपलब्ध है फिर इस सेक्शन के विद्युतीकरण में विलम्ब क्यों हो रहा है ?

श्री बूटा सिंह : यदि यह मात्र बिजली की उपलब्धता की बात होती तो बात कुछ और ही होती। परन्तु इस पर आने वाला व्यय इतना अधिक है कि रेलवे इसे शुरू करने में असमर्थ है। पैसे की कमी के कारण यह बताना सम्भव नहीं कि जालारपेट-बंगलौर सेक्शन का कार्य कब शुरू होगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

नए औषध संयंत्रों की स्थापना

*651. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये औषध संयंत्रों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों से सहयोग करने का कोई प्रस्ताव आई० डी० पी० एल० के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) वर्ष 1976-77 में आई० डी० पी० एल० का किन नई, परियोजनाओं को आरम्भ करने का विचार है; और

(घ) इसी वर्ष में किन संयंत्रों का विस्तार कार्य आरम्भ करने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क), (ख) : जी, हां।

तमिल नाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, गोआ, दमन और दीव, असम, मेघालय और राजस्थान राज्य सरकारों ने संयुक्त सहयोग से अपने-अपने राज्यों में औषध संयंत्र स्थापित करने के लिए आई० डी० पी० एल०/ सरकार को सिफारिश की है।

(ग) दो नये एककों की स्थापना किए जाने का भी प्रस्ताव है, एक बिहार में निको-टिनामाइड़ का उत्पादन करने के लिए और दूसरा हरियाणा में विभिन्न प्रकार के सूत्रयोगों का उत्पादन करने के लिए।

(घ) एन्टीबायोटिक्स प्लांट ऋषिकेश, जो सरकार के विचाराधीन है, का विस्तार सरकार की अनुमति मिलने पर चालू वर्ष के रान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त आई० डी० पी० एल० [पहले है। सिन्थैटिक ड्रग प्लांट, हैदराबाद का विस्तार कर रही है जिसमें 21.71 करोड़ रुपये का व्यय निहित है।

कीटनाशी और कृमिनाशी औषधियों के लिये रसायनों का आयात

*653. **श्री अरविन्द एम० पटेल**
श्री एन० आर० वेकारियां } : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कीटनाशी और कृमिनाशी औषधियों के लिए मुख्यता किन रसायनों का आयात किया जाता है;

(ख) उन का आयात किन देशों से किया जा रहा है; और

(ग) विभिन्न राज्यों को उनके वितरण की प्रक्रिया क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) : कीटनाशक सम्बन्धी रसायन (टैक्नीकल ग्रेड पेस्टिसाइड्स) जिनका इस समय आयात किया जाता है और जिन देशों से आयात किया जाता है, निम्न प्रकार है :—

मद का नाम	देश जिससे आयात किया जाता है
1. कारबारिल	अमेरिका
2. एन्डोसलफन	पश्चिम जर्मनी
3. इन्ड्रिन	अमेरिका
4. टोक्साफेन	अमेरिका
5. डी० डी० टी०	रूस, पोलैण्ड और अमेरिका
6. कारबाफुरन	अमेरिका
7. डालपोन	अमेरिका
8. पारा क्वाट	नू० के०
9. फोरेट	अमेरिका
10. फोमोथिन	स्विटजरलैण्ड
11. मोनोक्रोटोफेस	स्विटजरलैण्ड
12. हिनोसान	पश्चिम जर्मनी

(ग) विभिन्न सूत्रयोग निर्माताओं को आयातित पेस्टिसाइडसों के आबंटन के सम्बन्ध है स्थिति नीचे दी गई है :—

(i) **डी० डी० टी०** : भारतीय राज्य व्यापार निगम की मार्फत आयात किया जाता है और उसकी आयातित मात्रा सूत्र योग के लिए हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसैडस लि० को दी जाती है और वितरण के लिए एन० एम० ई० पी० को।

(ii) **कारबारिल एन्डोसल्फन और टोकसाफेने** : ये स्वामित्व सम्बन्धि मदें हैं, आयातित मात्रा में से 50 प्रतिशत कंपनी द्वारा रखे जाने की अनुमति दी जाती है जिन कंपनियों को लाइसेंस दिया जाता है। अथवा जो स्वामित्व वाली विदेशी फर्मों की सहायक कंपनियां हैं और राज्य सरकारों द्वारा नामित सूत्रयोग निर्माताओं को शेष दिया जाता है।

(iii) **एन्ड्रिन** : राज्य व्यापार निगम की मार्फत आयात किया जाता है और उनके द्वारा नामित राज्य सरकारों अथवा एजेन्सियों में से किसी एक को आबंटन किया जाता है।

(iv) **अन्य मदें** :

अन्य पेस्टिसाइडल रसायनों का आयात किया जाता है, सूत्रयोग तैयार किए जाते हैं और वास्तविक उपभोक्ताओं को चालू आयात व्यापार नीति के अनुसार वितरण किया जाता

हुगली-भागीरथी पर पुल का निर्माण

*655. श्री टुना उरांव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुगली-भागीरथी नदी के दायें तट पर एक पुल बनाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण की मुख्य बातें क्या हैं और अब तक कुल कितनी राशि खर्च की गई है?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सर्वेक्षण रिपोर्ट में कल्याणी के पास एक नये पुल का निर्माण के लिए एक जगह की सिफारिश की गई है। इस निर्माण कार्य के लिए अब तक कोई खर्च नहीं किया गया है।

दानापुर डिवीजन (पूर्वी रेलवे) के गैर तकनीकी कर्मचारियों का सेवा काल बढ़ाया जाना

*657. श्री रामावतार शास्त्री : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी रेलवे के दानापुर डिवीजन के अनेक गैर-तकनीकी कर्मचारियों की सेवा काल 58 वर्ष की आयु के बाद बढ़ाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है जिन पर इस प्रकार सेवाकाल बढ़ाए जाने का विपरीत प्रभाव पड़ा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) चूंकि रेलवे एक बृहद् संगठन है और सेवाकाल में वृद्धि केवल विशेष रूप से योग्य पात्रों को दी जाती है, अतएव कर्मचारियों की पदोन्नति की सभावनाओं पर सेवा काल में वृद्धि का प्रभाव नगण्य है।

माल भेजने वालों और माल पाने वालों को दिया गया मुआवजा

*661. श्री आर० पी० दास : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माल भेजने वालों/माल पाने वालों को मुआवजा दे के लिए प्रतिवर्ष लगभग 160 लाख रुपये की धनराशि खर्च की जाती है जो चालू वर्ष में रेलवे के सामान्य विकास के लिए निर्धारित धनराशि के लगभग बराबर है; और

(ख) वर्ष 1974-75 और 1975-76 के दौरान इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि खर्च की गई?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) : बुक किये गये परेषणों की हानि और क्षति के लिए दिये गए मुआवजे की कुल राशि वर्ष 1974-75 में 14.65 करोड़ रुपये और वर्ष 1975-76 में लगभग 15.25 करोड़ रुपये थी। इन वर्षों में रेलों द्वारा अपनी वार्षिक योजनाओं पर सामान्य विकास कार्यों के लिए क्रमशः 346.68 करोड़ और 378.14 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे।

संविधान का प्रादेशिक भाषाओं में प्रामाणिक पाठ

*662. **चौधरी राम प्रकाश**
श्री शंकर दयाल सिंह } : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक भारत के संविधान का प्रामाणिक पाठ किन प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशित किया जा चुका है ; और

(ख) क्या वर्ष 1975 तक किए गए संशोधन उनमें समाविष्ट कर लिए गये हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य संत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वी० ए० सेयद मुहम्मद) :(क) और (ख) भारत के संविधान का अधिप्रमाणित पाठ किसी भी प्रादेशिक भाषा में प्रकाशित नहीं किया गया है । इसके पूर्व कि संविधान के हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं में प्राधिकृत अनुवाद प्रकाशित किए जा सकें, ऐसे प्राधिकृत अनुवादों का उपबन्ध करने के लिए संसदीय विधान अधिनियमित करना होगा ।

इस समय संविधान का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद तैयार/प्रकाशित किया जा रहा है । संविधान का मलयालम अनुवाद अक्तबर, 1974 में प्रंकाशित किया गया था और इसमें संविधान के तीसवें संशोधन सहित वे सभी सशोधन सम्मिलित हैं जो फरवरी, 1973 तक संविधान में किए गए थे । संविधान का कन्नड़ अनुवाद अप्रैल, 1976 में प्रकाशित किया गया है और इसमें संविधान के उन्तालीसवें संशोधन सहित वे सभी संशोधन सम्मिलित हैं जो अगस्त, 1975 तक संविधान में किए गए थे ।

भारतीय औषध एककों को दी गई स्वीकृति

*665. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाथी समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के बाद उसकी सिफारिशों के अनुसार कितने भारतीय औषध निर्माण एककों को ड्रग फार्म्यलेशनों के लिए स्वीकृति दी गई है और उनके नाम, वस्तुओं तथा क्षमताओं का ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : औषध और भेषज उद्योग समिति की रिपोर्ट सरकार को 6-4-1975 को मिली थी । जबकि रिपोर्ट पर सम्पूर्ण रूप में अभी अन्तिम निर्णय लिया गया है, तथापि सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि उद्योग के भारतीय क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाने की कार्रवाई की जानी चाहिए और उनको सूत्रयोग निर्माण करने के लिए लाइसेंस दिए जाने चाहिए बशर्ते कि उनका सूत्रयोग के प्रपुंज औषध का अनुपात 1.10 के अनुपात के अन्दर आता है । इसके अलावा इस प्रकार की भारतीय कंपनियों को देशीय और आयातित प्रपुंज औषध के अपने निर्माण करने के कार्यकलाप 2 : 1 के अनुपात में रखने होंगे । इस उत्तरवर्ती स्थिति से सरकार विदेशी कंपनियों को कोई विशिष्ट लाभ दिए बिना केवल भारतीय पार्टियों के बीच भेद करने में समर्थ होगी ।

औषध सूत्रयोगों का निर्माण करने के लिए 1-4-1975 से 30-4-76 तक भारतीय औषध निर्माण कंपनियों जिनसे आये थे उनकी संख्या 36 है। प्रस्ताव सरकार ने 16 मामलों में आशय पत्र और औद्योगिक लाइसेंस की अनुमति पहले से ही दे दी है।

औषध सूत्रयोग के लिए दी गई स्वीकृति का विस्तृत ब्यौरा और नाम संलग्न विवरण पत्र में दी है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-10772/76]।

उत्तर रेलवे में इलैक्ट्रानिक प्रणाली

*666. श्रीमती पार्वती कृष्णन
श्री पुरुषोत्तम काकोडकर } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे इलैक्ट्रानिक प्रणाली आरम्भ करके अपनी सेवाओं में क्रांतिकारी रिवर्तन लाने की योजना बना रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) गाड़ियों के परिचालन में सुरक्षा और दक्षता में वृद्धि के लिए स्वचलित चेतावनी प्रणाली, धुरा गणकों और माइक्रोवेव/अति उच्च वोल्टता वाले संचार जैसे इलेक्ट्रानिक्स यन्त्रों की उत्तरोत्तर व्यवस्था की जा रही है।

औषध कम्पनियों की स्थापना

*667. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में औषध कारखाने स्थापित करने के लिए बहुराष्ट्रीय और विदेशी औषध कम्पनियों से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या सरकार ने उनमें से किसी को स्वीकार किया है और यदि हां, तो उन्हें कौन कौन सी औषधियां बनाने की अनुमति दी जायेगी; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि ये कम्पनियां औषधियों के उत्पादन के लिए अपने आयातों को, औषधियों के निर्यात की तुलना में कम रखें जिससे देश में उनका कार्यकरण राष्ट्र के लिए आर्थिक रूप से लाभप्रद हो ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) 1-1-75 से आज तक की अवधि के दौरान 100% निर्यात के लिए सेन्ना एक्ट्रेक्ट तथा भारतीय मूल्य के अन्य औषध निस्सार (एक्ट्रेक्ट) के उत्पादन हेतु बहुराष्ट्रीय/विदेशी यूनिट अर्थात् मैसर्स नाटरमन (इंण्डिया) प्रा० लि० बम्बई कर्नाटक राज्य में उपरोक्त नाम से एक नई उपक्रम की स्थापना के लिए केवल एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया है तथा रद्द करने के विरुद्ध पार्टी से प्राप्त अभ्यावेदन की जांच की जा रही है ;

(ग) 40% से अधिक विदेशी साम्यपूंजी वाले बहुराष्ट्रीय तथा विदेशी कम्पनियों के कार्य चालन की व्यवस्था विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 की धारा 29 के अन्तर्गत दी गई है। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अनुसार ऐसे कम्पनियों के मामलों पर कार्यवाही करने के लिए उपयुक्त मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जा रहे हैं।

कोरबा उर्वरक परियोजना

3204. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोरबा उर्वरक परियोजना की कुल लागत क्या है और इसे कब तक पूरा किया जाना था ;

(ख) इस परियोजना पर अब तक कितना धन व्यय हुआ है और वर्ष 1976-77 में कितना धन व्यय किया जाना है ;

(ग) परियोजना के कब तक पूरा होने की सम्भावना है; और

(घ) यदि परियोजना में विलम्ब हुआ है तो उसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) प्रायोजना की मूल अनुमानित लागत 118.25 करोड़ रुपये थी; तथापि इसकी संशोधित लागत का अभी अनुमान नहीं लगाया है। प्रायोजना का वाणिज्यिक उत्पादन मूल रुप में दिसम्बर, 1977 तक आरम्भ करना निश्चित किया गया था।

(ख) 1975-76 के अन्त तक अनुमानित व्यय 12 करोड़ रुपये था। 1976-77 के दौरान 5 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान लगाया गया है ।

(ग) और (घ) प्रायोजना के कार्यान्वयन में संसाधनों की कठिनाई से विलम्ब करना पड़ा, और प्रायोजना के पूर्ण होने का कार्यक्रम अभी निश्चित नहीं किया गया है ।

Visit by Soviet Law Minister

3205. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA: Will the MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Law Minister of Soviet Union visited India recently; and

(b) if so, the outcome of his visit?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (DR. V. A. SEYID MUHAMMAD) : (a) A Delegation consisting of His Excellency Mr. V.I. Terebilo, Minister of Justice of the Union of Soviet Socialist Republics, Madam G. Paramonova, Chairman of the People's Court of the Zhdanov Region of Moscow and Mr. Evgeny Kulichev, Consultant, International Juridical Collogium, visited India from the 25th March, 1976 to 3rd April, 1976.

(b) The Delegation came to India in pursuance of the Indo-Soviet Cultural Exchange Programme, 1974-76 for exchange of experience of the working of Legal Organisations. The Delegation had discussions and exchange of views with the Ministers, Judges, Jurists, Lawyers and Law bodies in India.

तिनसुकिया को पूर्ण डिवीजन के रूप में बदलना

3206. **श्री नुरुल हुडा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या रेल अधिकारियों ने वर्षों पहले तिनसुकिया को ट्रेफिक डिवीजन से पूर्ण डिवीजन के रूप में बदलने का आश्वासन दिया था; और

(ख) उस दिशा में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां; 1-5-1969 को पूर्वोत्तर सीमा रेलवे का मंडलीकरण करते समय अपेक्षाकृत कम कार्यभार के कारण तिनसुकिया में एक परिवहन मंडल की

स्थापना का विनिश्चय किया गया था। तथापि यह विचार किया गया था कि इसका दर्जा बढ़ाकर इसे पूर्ण मंडल का रूप तब दे दिया जायेगा जब यहां का कार्यभार बढ़ जायगा और इसे मंडल का रूप देने का औचित्य होगा।

(ख) इस मंडल पर कार्यभार अभी कम है और इसलिए इसका दर्जा बढ़ाकर एक पूर्ण मंडल का रूप देने की फिलहाल आवश्यकता नहीं है।

कोचीन तेल शोधक कारखाने का निष्पादन

3207. **श्री सी० सी० जनार्दनन** : क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन तेल शोधक कारखाने का वर्तमान निष्पादन कितना है ;

(ख) क्या उक्त कारखाने का और विस्तार करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) गत तीन वर्षों का कोचीन रिफाइनरीज़ लि० के कच्चे तेल का उत्पादन निम्न प्रकार है :—

1973-74	1.97 मिलियन मीटरी टन
1974	2.35 मिलियन मीटरी टन
1975	2.44 मिलियन मीटरी टन

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बाटा कम्पनी के मामलों की जांच

3208. **श्री बयालार रवि** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं आयोग ने बाटा कम्पनी के मामलों की जांच की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत) बरुआ : (क) हां, श्रीमान जी। एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 37 के साथ पठित धारा 10 (क) (iii) के अन्तर्गत उसको दिये गये आवेदन पत्र पर, एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग ने मैसर्स बाटा इन्डिया लिमिटेड द्वारा ग्रस्त कथित कतिपय निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथाओं में जांच गठित की थी।

(ख) जांच के परिणाम स्वरूप, आयोग ने पाया कि कम्पनी पूर्ण रूपेण प्रतिबल, पुनर्बिक्री मूल्य के रख रखाव और कम्पनी के जूतों के विनिर्माणकर्ताओं के साथ कम्पनी का व्यवहार, जो कम्पनी द्वारा अपने व्यापारिक चिन्ह के नाम के अन्तर्गत पुनर्बिक्री मूल्य के लिए जूतों का उत्पादन

करते हैं, से सम्बन्धित निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथाओं में ग्रस्त है। आयोग ने अपने आदेश दिनांक 5 मई, 1975 में, कम्पनी द्वारा अपने एक मात्र बिक्रेता आदि के साथ तो अनुबन्ध किया है, उसको स्पष्ट करने के साथ साथ यह कि एकमात्र आदेश देने के लिए स्वतंत्र है कि जूतों की जिस प्रकार कि किस्म जिसे वह उचित समझता है और बाटा द्वारा दिये गये जूतों के उत्पादन के किसी विशेष गठन के लिए उसे बाध्य नहीं किया जाएगा, से सम्बन्धित खण्ड के आशोधन का निर्देश दिया। कम्पनी द्वारा प्रेषित मूल्य सूची से भी भविष्य में संकेत मिलेगा कि बिक्रेता मूल्य सूची में दिखलाए गए अत्याधिक मूल्य की अपेक्षा कम मूल्य लेने में स्वतंत्र है। टीक जूतों पर भी ये शब्द "मूल्य ——-—— रु० से अधिक नहीं" समुद्भृत होगा।

जूता विनिर्माणकर्ताओं के साथ कम्पनी के अनुबन्ध/व्यवस्था के सम्बन्ध में आयोग ने निर्देश दिया कि 18 खण्डों में से 10 में दी गई व्यापार प्रथाएं इसी समय समाप्त हो जाएंगी जबकि शेष 8 खण्डों के सम्बन्ध में उनको आयोग द्वारा अपने आदेश में उल्लिखित दिशाओं पर परिशोधित कर दिया गया था।

रेल विभाग द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थानों में प्रिंसिपल तथा अध्यापक

3209. **श्री छत्रपति अम्बेश** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के उन स्थानों के जौनवार, नाम क्या हैं जहाँ रेल विभाग द्वारा हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल, इंटर कालेज और डिग्री कालेज चलाये जा रहे हैं ;

(ख) उक्त संस्थाओं में श्रेणीवार, कितने कितने हैडमास्टर, प्रिंसिपल, प्राइमरी के अध्यापक टी० जी० टी० और पी० जी० टी० अध्यापक, ड्राइंग और अन्य श्रेणियों के अध्यापक कार्य कर रहे हैं ;

(ग) उक्त श्रेणियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों की श्रेणीवार संख्या कितनी है; और

(घ) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों का कोटा पूरा नहीं है; यदि हां, तो इस सम्बन्ध में रेल विभाग ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) रेलों द्वारा कोई डिग्री कालेज नहीं चलाया जा रहा है। लेकिन, रेलें तीन जूनियर/इंटर कालेज—टूंडला, मुगलसराय और सिकन्दराबाद में एक एक--चला रही हैं। उन स्थानों के क्षेत्रवार नाम जहां रेलों द्वारा हाई/हायर सेकेण्डरी तथा प्राइमरी स्कूल चलाये जा रहे हैं, संलग्न विवरण I और II में बताये गये हैं। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०-10773/76]

(ख) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों द्वारा उर्वरकों का उत्पादन तथा उपयोग

3210. **श्री समर गुह** : : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र तथा गैर सरकारी क्षेत्र के भिन्न भिन्न निर्माता एककों द्वारा वर्ष 1973-75 के दौरान उर्वरकों के उत्पादन के लिये क्या क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे और वास्तव में कितना उत्पादन हुआ; और

(ख) उपरोक्त एककों द्वारा वर्ष 1975-77 के लिये उत्पादन के क्या क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) एक विवरण पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-10774/76] ।

(ख) उस प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण पत्र में 1975-76 के लक्ष्य और उस वर्ष के दौरान हुआ वास्तविक उत्पादन दिया है। 1976-77 के सम्बन्ध में संयंत्रवार उत्पादन लक्ष्यों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। तथापि वर्ष के कुल उत्पादन का अनुमान 18.5 लाख मी० टन नाइट्रोजन और 4.5 लाख मी० टन $पी०_2 ओ०_5$ पर लगाया गया है ।

Conversion of Metre Gauge Lines into Broad Gauge Lines in Western Railway

3211. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI: Will the MINISTER OF RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government have formulated any scheme for the conversion of all the metre gauge lines into broad gauge lines in Western Railway and if so, the length of the metre gaugelines at present and the time to be taken in their conversion; and

(b) whether there is any scheme for accelerating the pace of this work keeping in view the considerable increase in traffic and if so, the time by which this work would be completed?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI BUTA SINGH): (a) & (b) The total length of metre gauge lines on the Western Railway is about 6112 Kms. No plan has been formulated to convert all these metre gauge lines into broad gauge on account of the huge capital investment which would be involved. Gauge conversion of the lines which have become saturated is however being done progressively. At present conversion of Viramgam-Okha/Porbander MG section to BG, covering a length of 552 Kms., is in progress on the Western Railway. The target date for the completion of the entire project is uncertain and would depend upon the availability of funds from year to year.

Survey for the conversion of Gandhidham-Bhuj and Delhi-Ahmedabad MG sections into BG have been carried out and the schemes are under consideration. A decision on these gauge conversion schemes would depend upon the availability of adequate funds.

गूटी-बंगलौर तथा गूटी-कल्लूर लाइनों को ब्राड गेज लाइन में बदलना

3212. **श्री पी० एन्थोनी रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गूटी से बंगलौर तक की मीटर गेज लाइनों को ब्राड गेज लाइन में बदलने का काम कब तक पूरा होगा;

(ख) क्या उस लाइन पर बम्बई से बंगै बंगलौर तक कोई एक्सप्रेस गाड़ी चलाई जायेगी; और

(ग) क्या गूटी से कल्लूर तक ब्राड गेज लाइन बिछाने का काम आरंभ हो गया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) समय पर पर्याप्त धन उपलब्ध हो जाने पर आशा है कि यह परियोजना 1980 तक पूरी हो जायेगी ।

(ख) गुन्तकल्लू–बेंगलूरु मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का काम पूरा कर लिये जाने पर ही बम्बई–बंगलूरु के बीच कोई एक्सप्रेस गाड़ी चलाने पर विचार किया जा सकता है ।

(ग) आशा है कि यह काम शीघ्र शुरू किया जायेगा ।

पैराद्वीप में उर्वरक संयंत्र

3213. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना-काल में पैराद्वीप उर्वरक संयंत्र के बारे में क्या सम्भावनायें हैं; और

(ख) क्या इसे सिद्धांत रूप से स्वीकृत कर लिये जाने के अतिरिक्त इस दिशा में कोई प्रगति हुई है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) संसाधनों की कठिनाइयां अभी भी जारी हैं जिसके कारण इस प्रायोजना के कार्यान्वयन को रोकना पड़ा था। बंगाल क्षेत्र की खाड़ी में संभाव्य गैस की उपलब्धता के कारण इस बीच में मूल रूप में निर्धारित ईंधन तेल के स्थान पर इस प्रायोजना के लिये संभरण-सामग्री को अपनाने के लिये पुनरीक्षण की आवश्यकता पड़ी है। संसाधनों की स्थिति और गैस की उपलब्धता और उर्वरक संभरण सामग्री के रूप में उसके आर्थिक उपयोग की संभावनाओं के बारे में स्पष्ट स्थिति की एक दो वर्षों में उपलब्ध होने की संभावना है। उसके बाद इसके और छठी योजना की अवधि की दौरान उर्वरक क्षमता के विकास के लिये कार्यक्रम के अंश के रूप लिये जाने वाली अन्य प्रायोजनाओं के बारे में और कार्यवायी आरम्भ की जाये।

दक्षिण रेलवे के कुछ कार्यालयों में अराजपत्रित कर्मचारियों को प्रवेश की अनुमति न देना

3214. **श्री जी० भुवाराहन** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे में कन्ट्रोलर आफ स्टोर्स और डिप्टी चीफ अकाऊंटस आफिसर के कार्यालय, वर्कशाप और स्टोर्स, पैराम्बूर 3 और 4 मई, 1974 को बन्द रहे और क्या उन दिनों में इन कार्यालयों में उच्च अधिकारियों सहित किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई;

(ख) क्या केवल राजपत्रित अधिकारियों को ही महाप्रबन्धक के कार्यालय में अपनी उपस्थिति लगाने की अनुमति दी गई थी और उनको उन दिनों का वेतन दिया गया था ;

(ग) क्या यह सुविधा अन्य अराजपत्रित कर्मचारियों को नहीं दी गई और उन सभी को अनुपस्थित समझा गया और इन कर्मचारियों को उन दिनों का वेतन भी नहीं दिया गया; और

(घ) क्या सरकार का विचार उनकी इस अनुपस्थिति को ड्यूटी समझने तथा काटा गया वेतन उन्हें देने का है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां, जोरदार धरने के कारण इन दो कार्यालयों में कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सका था।

(ख) राजपत्रित अधिकारी अन्य स्थानों पर ड्यूटी पर उपस्थित हुए और वहीं पर दिया गया अपना काम निपटाये।

(ग) और (घ) दक्षिण रेलवे के अन्य कर्मचारियों की तरह जो 3 और 4 मई 1974 को न तो कार्यालय में उपस्थित हुए और न ही ड्यूटी पर आने की रिपोर्ट दी, इन दोनों कार्यालयों के कर्मचारियों को इन दो दिनों में हड़ताल में शामिल माना गया। तथापि, इस अवधि को देय छुट्टी मानने की प्रार्थना पर विचार किया जा रहा है।

इलैक्ट्रो-थर्मल फासफोरिक यूनिट की स्थापना

3216. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में संयुक्त राज्य अमरीका के तकनीकी-आर्थिक सहयोग से एक इलैक्ट्रोथर्मल फासफोरिक यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

रेल-मार्ग के विद्युतीकरण में प्रगति

3217. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल-मार्ग के विद्युतीकरण में प्रत्याशित सीमा तक प्रगति नहीं हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) जी हां। वित्तीय तंगी के कारण बिजलीकरण परियोजनाओं के लिए धन सीमित मात्रा में उपलब्ध हो रहा है, जिससे रेल पथ के बिजलीकरण की प्रगति प्रभावित हो रही है।

Appointment of Dealers for Distribution of Fertilizers

3218. SHRI M.C. DAGA : Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether the Fertilizer Corporation of India appoint small dealers for distribution of fertilizers, if so, the criteria and the terms and conditions of such appointments;

(b) the State-wise number of dealers appointed in 1973-74;

(c) the names of those dealers among them against whom any action was taken on corruption charges; and

(d) the results thereof?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) Small dealers are apointed by Fertilizer Corporation of India both directly and under the Enterpreneurship Development Scheme. A statement showing the criteria, terms and conditions of such appointments is attached.

(b) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

STATEMENT

Criteria/Procedure for appointment of Small Dealers

Advertisements are issued in local newspapers by the FCI for appointing private dealers according to the assessed need in different areas. Applications received in response thereto are processed in the respective regional offices with regard to the financial viability of the applicant, his business experience for a minimum period of three years,

preferably in agricultural inputs and his past conduct, indicating particularly whether he had violated the provision of the Fertilizer Control Order and Essential Commodities Act. Those found *prima facie* suitable, are interviewed by a Selection Committee set up by FCI. Antecedents in respect of candidates who are found suitable by the Selection Committee are then verified by FCI's representatives and if found satisfactory, they are offered dealership by the Corporation.

In the case of dealers to be appointed under the Entrepreneur Development Scheme, FCI issues advertisements in leading national and local newspapers. To be considered for dealership under this category, a candidate should fulfil the following conditions:—

The applicant should be a graduate preferably in agricultural sciences with rural background.

He should be below 30 years of age.

He must be unemployed.

He should belong to the area for which the dealership is applied for.

The Selection procedure with regard to the applicants is the same as in the case of private dealers.

The appointment of dealers from among disabled soldiers, is done on specific recommendations made by the Director General of Resettlement, Armed Forces, New Delhi.

Any cooperative or such institute can also become FCI's dealer by placing the orders for the supply of fertilizers backed by financial arrangements.

आई० डी० पी० एल० द्वारा वितरित औषधियों के मूल्य निर्धारित करना

3219. **श्री खेम चन्द भाई छाबड़ा :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई० डी० पी० एल० द्वारा वितरित की जाने वाली औषधियों के "पूल" किये गये मूल्य अब और किस प्रकार निर्धारित किये गये थे;

(ख) गत तीन वर्षों में आयातित 'बल्क' औषधियों के विवरण कार्य पर आई० डी० पी० एल० ने कितना लाभ अर्जित किया और क्या सरकार का विचार आई० डी० पी० एल० की 'बल्क' औषधियों के सभी मूल्यों की लागत परीक्षा करने का है ;

(ग) क्या आई० डी० पी० एल० द्वारा वितरित की जाने वाली औषधियों के "पूल" किये गये निर्धारित मूल्य देशी मूल्यों से अधिक हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (घ) आई० डी० पी० एल० द्वारा वितरित आयातित औषधों के पूल्ड मूल्य आई० डी० पी० एल० के देशी उत्पादन और उन प्रपुंज औषधों को ध्यान में रख कर निर्धारित औसत मूल्यों के आधार पर 1970 में पहली बार निर्धारित किये गये थे। देशी मूल्यों का वृद्धि की ओर संशोधन से पूल्ड मूल्यों का सितम्बर, 1974 में पुन: निर्धारण किया गया था। औषधों के देशी मूल्य और पूल्ड मूल्य को जो 1970 और बाद में पूलिंग व्यवस्थाओं के अन्तर्गत थे को दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-10775/76] केवल दो औषध अर्थात् फेनोबारबीटोन और सल्फाग वानीडाइन के बारे में इन दो औषधों के आयातों की अधिक उतराई की लागत और आयात की हुई मात्रा को ध्यान में रख कर पूल्ड मूल्य देशी मूल्य से अधिक थे।

(ख) आई० डी० पी० एल० द्वारा वितरित किये जाने वाले आयातित प्रपुंज औषध/मध्यवर्ती औषध के लिये आई० डी० पी० एल० अलग से व्यापार लेखा नहीं रखते हैं। इसके अलावा, उनके द्वारा देशी और आयातित या सामग्री की बिक्री के लिये स्वीकार्य पूल्ड मूल्यों की पद्धति के सन्दर्भ में लाभप्रदता को भी ध्यान में रखा जाता है ताकि उत्तरावर्ती की हानि की पूर्ववर्ती के लाभ द्वारा क्षतिपूर्ति की जाये । प्रपुंज औषधों का वितरण आई० डी० पी० एल० के विपणन प्रभाग द्वारा किया जाता है जो इस उद्देश्य के लिये एक अलग व्यापार एकक के रूप में माना गया है। प्रारम्भिक वर्षों के दौरान इन औषधों के व्यापार में विपणन प्रभाग की प्रदत्ता में हानि हुई थी। तथापि गत तीन वर्षों के दौरान विपणन प्रभाग ने विभिन्न लाभ उठाये हैं :—

1973-74	93 लाख रुपये
1974-75	265 लाख रुपये
1975-76	55 लाख रुपये (अस्थापित्र)

औषध निर्माताओं की ऐसोसियेशन से प्राप्त ज्ञापन

3220. **श्री नानू भाई एन० पटेल :** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाथी समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के बारे में विभिन्न औषध निर्माता एसोसियेशनों की ओर से सरकार को कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं तथा राष्ट्रीय क्षेत्र के ज्ञापन में दिये गये सुझावों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) जी हां। हाथी समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर अनेक औषध उत्पादक क्षेत्रों ने सरकार के विचारार्थ ज्ञापन भेजे हैं । औषध उद्योग के एक क्षेत्र का विचार है कि उद्योग का तेजी से विकास करने के लिये मूल्य निर्धारण की नीति सक्रिय होनी चाहिये, लाइसेंसिंग एवं अन्य बाधाओं को दूर किया जाये जिससे वर्तमान एककों की क्षमता का पूर्ण उपयोग हो, देश में उपलब्ध प्रौद्योगिकी प्रवीणता तथा अन्य योग्य ताओं का पूर्ण उपयोग हो, औषधों के लिये ब्राण्ड नामों को समाप्त करने से मिलावटी तथा निम्न श्रेणी की औषधों की समस्या बढ़ जायेगी तथा समस्त क्षेत्रों को अपने तरीकों से अर्थव्यवस्था के विकास एवं राष्ट्रीय विकास में योगदान देना चाहिये तथा क्षेत्रों के बीच में किसी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिये । भारतीय क्षेत्र का विचार है कि इन सिफारिशों को स्वीकार करते समय सरकारी क्षेत्र को औषध उद्योग के विकास करने में प्रमुख भूमिका दी जानी चाहिये, तथा भारतीय क्षेत्र को प्रोत्साहन दिये जाने के बारे में तथा उसके परिणामस्वरूप स्वीकृत क्षमता तक उनके उत्पादन में कटौती करके विदेशी फर्मों की समर्थता को कम करने के बारे में हाथी समिति की विभिन्न सिफारिशों को आम रूप में स्वीकार करते समय भारतीय औषध उत्पादक यूनिटों को सम्बद्ध प्रपुंज औषध अब से विदेशी साम्य पूंजी को 40% तक कम करने तथा उसके बाद 26% तक कम करने के बिना सूत्रयोगों के उत्पादन की अनुमति दी जानी चाहिये ।

सरकार ने सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है कि सरकारी क्षेत्र को प्रमुख भूमिका दी जानी चाहिये तथा देश में औषध एवं भेषज के उत्पादन में भारतीय क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये । अनेक अन्य सुझावों को नोट कर लिया गया है।

दिल्ली-हावड़ा डीलक्स और राजधानी चेयरकार रेलगाड़ियों में महिला गिरोह

3221. **श्री शंकर नारायण सिंह देव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि महिला यात्रियों के आभूषण चुराने के लिए दिल्ली-हावड़ा डीलक्स तथा राजधानी चेयर-कार रेलगाडियों में कोई महिला गिरोह कार्य कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इन शिकायतों का ब्यौरा क्या है और इस महिला गिरोह से सम्बद्ध व्यक्तियों के क्या नाम हैं; और

(ग) यात्रियों की सुरक्षित यात्रा के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) डीलक्स/राजधानी एक्सप्रेस गाडी में सक्रिय औरतों के एक गिरोह द्वारा यात्रियों के समान की चोरी होने की कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी अगस्त, 1975 के दौरान रेलवे पुलिस ने नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन से 4 महिलाओं, जिनके नाम (i) श्रीमती सीता दास पत्नी बिमलदास (ii) श्रीमती मुनी बाला दास पत्नी सतीश चन्द्र (iii) श्रीमती पुष्पा विश्वास पत्नी परोहुल्ला विश्वास और (iv) श्रीमती मनु राय पत्नी मनोहर राय को संदिग्ध परिस्थितियों में गिरफ्तार किया था। उनकी पूछताछ के दौरान गिरफ्तार महिलाओं ने यह स्वीकार किया कि उन्होंने दो चोरी की वारदातें कीं. जिनमें से एक 16-8-75 को राजधानी एक्सप्रेस में चढ़ती हुई एक महिला के 15000 रुपये के कीमती जेवरों की चोरी थी और दूसरी 29-7-75 को नयी दिल्ली स्टेशन पर बहिर्गमन फाटक से जाती हुई महिला यात्री के बटुवे की चोरी थी जिसमें जेवर (हीरे) थे।

इन दोनों मामलों में चुरायी गयी सारी सम्पत्ति बरामद कर ली गयी है और पुलिस द्वारा मामलों का चालान कर दिया गया है।

(ग) 1. दिल्ली-हावड़ा वातानुकूलित गाड़ी में सरकारी रेलवे पुलिस के सशस्त्र रक्षा दल के साथ-साथ सादे कपड़ों में सरकारी रेलवे पुलिस भी चलती है।

2. राजधानी कुर्सीयान और डीलक्स गाड़ी के ठहराव वाले स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर पहुंचने पर सरकारी रेलवे पुलिस के कर्मचारी प्लेटफार्मों और गाड़ियों में अपराधियों एवं अन्य अवांछनीय तत्वों का पता लगाने के लिए प्लेटफार्मों पर गश्त लगाते हैं और निरंतर निगाह रखते हैं।

3. इस प्रकार के तत्वों के बारे में आसूचना इकट्ठी करने के लिए सहायक व्यक्तियों को लगाया जाता है और सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा उपयुक्त निवारणात्मक उपाय किये जाते हैं।

गालसी और बकुलतला में तेल के लिए छिद्रण

3222. **श्री एच० एन० मुकर्जी**
श्री रानेन सेन } : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का गालसी में तेल के लिये छिद्रण कार्य वास्तव में कब आरम्भ करने का विचार है ;

(ख) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने पश्चिम बंगाल के 24 परगना में बकुलतला क्षेत्र में तेल और गैस का पता लगाया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

पैट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जैड० आर० अन्सारी) : (क) गालसी में व्यधन कार्य लगभग 1976 में शुरू किये जाने की आशा की जाती है।

(ख) और (ग) जी नहीं, अब तक नहीं।

करवाड़ पत्तन को रेल द्वारा जोड़ने के लिए अभ्यावेदन

3223. **श्री पी० रंगानाथ शिनाय** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में करवाड़ पत्तन को भारतीय रेलों से जोड़ने के लिए एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) हुबली से करवाड़ तक रेल सम्पर्क बनाने के लिए हाल ही में एक प्रारम्भिक इंजीनियरी तथा यातायात सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण की रिपोर्टों की जांच करने से पता चला है कि 191.29 कि० मीटर लम्बी इस लाइन पर 34.8 करोड़ रुपये लागत आयेगी और डी० सी० एफ० प्रणाली द्वारा 0.19 प्रतिशत आय होगी। यातायात की बहुत कम संभावनाओं को देखते हुए इस परियोजना को फिलहाल छोड़ दिया गया है।

सियालदह डिवीजन में रेलवे सम्पत्ति चुराने पर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति

3224. **श्री शक्ति कुमार सरकार** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-75 में सियालदह डिवीजन में रेलवे सम्पत्ति चुराने पर गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या कितनी है ;

(ख) इनमें से कितने व्यक्तियों को 1972--74 में भी गिरफ्तार किया गया था ; और

(ग) इस डिवीजन में रेलवे सम्पत्ति को अपराधियों से बचाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है और इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) सियालदह मंडल में 1974 और 1975 के दौरान रेल सम्पत्ति चुराने के कारण क्रमश: 429 और 525 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे।

(ख) 1974-75 में गिरफ्तार किये गये सात व्यक्ति 1972-74 की अवधि के दौरान भी गिरफ्तार किये गये थे।

(ग) सियालदह मंडल में रेल सम्पत्ति को अपराधियों से बचाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

1. लोहा, सीमेंट, खाद्यान्न, चीनी आदि जैसी मूल्यवान वस्तुओं की ढुलाई करने वाली गाड़ी भार में चलने वाली अधिकांश माल गाड़ियों पर विशेषकर रात के समय, रेलवे सुरक्षा दल के सशस्त्र मार्गरक्षक चलते हैं।
2. भेद्य क्षेत्रों और बदनाम जगहों पर यथासम्भव रेलवे सुरक्षा दल के सशस्त्र जवानों द्वारा गश्त लगायी जाती है।
3. अपराधियों के छुपने की जगहों और चोरी का माल लेने वालों के गोदामों और दुकानों पर अपराध आसूचना ब्यूरो/रेलवे सुरक्षा दल के जवानों द्वारा अचानक छापे मारे जाते हैं और तलाशी ली जाती है।

4. रेलवे सुरक्षा दल के अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण काम कड़ा कर दिया गया है ।

5. रेलों पर अपराध करने वालों को रंगे हाथों पकड़ने के लिए रेलवे सुरक्षा दल/अपराध शाखा के सादा पोशाक वाले कर्मचारियों को तैनात किया गया है ।

6, अपराधियों को पकड़ने के लिए और कुख्यात अपराधियों को आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम के अधीन बंद हिरासत में लेने के लिए खुफिया पुलिस और स्थानीय सरकारी रेलवे पुलिस के साथ निकट सम्पर्क रखा जाता है। रेलवे सुरक्षा दल द्वारा की गयी कार्रवाई के आधार पर आज तक 123 अपराधियों/चुरायी गयी रेल सम्पत्ति लेने वालों को आंतरिक सुरक्षा अधिनियम के अधीन हिरासत में लिया गया है ।

जो कार्रवाइयां की गयी हैं उनके परिणामस्वरूप, इस मंडल में चोरी की घटनाओं में कुछ सुधार दिखायी देता है ।

श्रेणी दो, तीन और चार के कर्मचारियों में कमी

3225. **श्री एस०एम० सिद्दय्या :** क्या रेल मंत्री श्रेणी एक से श्रेणी चार तक के पदों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व में कमी को पूरा करने के लिए किये गये उपाय के बारे में 27 जनवरी, 1976 के तारांकित प्रश्न संख्या 266 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 मार्च, 1976 तक श्रेणी दो, तीन और चार के पदों में प्रत्यक्ष भर्ती और पदोन्नति दोनों के मामले में प्रतिनिधित्व की कमी को पूरा किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) श्रेणी II की रिक्तियां सामान्यतः श्रेणी III के उपयुक्त कर्मचारियों को पदोन्नत करके भरी जाती हैं । ऐसी पदोन्नतियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण 20-7-1974 से प्रारम्भ किया गया है । किन्तु यदि किसी खास वर्ष में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों तो उनके आरक्षणों को वर्ष-प्रति-वर्ष अग्रानीत नहीं किया जाता है ।

श्रेणी III और श्रेणी IV में कमी पूरी करने के लिए चलाये गये विशेष अभियान के फलस्वरूप मार्च, 1976 के अन्त में निम्नलिखित भर्ती/पदोन्नतियां की गयी हैं :—

	नियुक्त व्यक्तियों की संख्या	
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
श्रेणी III		
भर्ती की कोटियों में . .	1612	1114
पदोन्नति की कोटियों में . .	3513	2827
श्रेणी IV		
भर्ती की कोटियों में . .	2703	5836
पदोन्नति की कोटियों में . . .	1174	1477

पराद्वीप और मथुरा में उर्वरक संयंत्र

3226. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री सरकारी क्षेत्र के उर्वरक संयंत्रों को विश्व बैंक की सहायता के बारे में 30 मार्च, 1976 के तारांकित प्रश्न सं० 320 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्तरिक संसाधनों पर दबाव संयंत्रों के लिये अपेक्षित विदेशी उपकरणों के अभाव और बंगाल की खाड़ी में तेल क्षेत्र की अनुकूल सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पराद्वीप और मथुरा उर्वरक परियोजनाओं की मूल योजना में परिवर्तन किये जाने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) इस बारे में क्या विशिष्ट कार्यवाही की गई है ?

रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (ग) संसाधन संबंधी बाधाओं के कारण मथुरा एवं पराद्वीप प्रायोजनाओं को अभी कार्यान्वित करने के लिये प्रारम्भ नहीं किया गया है । संसाधन स्थिति के अतिरिक्त हमारे अपतटीय क्षेत्रों में तेल/गैस की उपलब्धियों में इन प्रायोजनाओं, जिन्हें मूल रूप में ईंधन तेल के रूप में सम्भरण सामग्री पर आयोजित किया गया था, के लिये प्रयोग में लाये जाने वाले सम्भरण सामग्री की समीक्षा करना आवश्यक हो गया । कुछ खोज कार्यों के परिणाम-स्वरूप उपलब्ध होने गैस/लाइट रिपैकसन्स जैसेनेप था के स्वरूप एवं सीमा के सम्बन्ध में एक स्पष्ट रूपरेखा निखरेगी तथा एक अथवा दो वर्षों में उनके उर्वरक सम्भरण सामग्री के रूप में प्रयोग होने की सम्भावना है । इन तथा अन्य प्रायोजनाओं के सम्बन्ध हैं, इसके बाद आगामी कार्यवाही की जायेगी जिन्हें उर्वरक क्षमता के विकास के लिये छटे योजना कार्यक्रम के एक भाग के रूप में लिया जायेगा ।

औद्योगिक लाइसेंसों का पुनर्विलोकन

3227. **श्री के० लकप्पा** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से विदेशी औषध कम्पनियों को दिये गये औद्योगिक लाइसेंसों का पुनर्विलोकन करने का आग्रह किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) औषध और भेषज उद्योग जिसकी रिपोर्ट सभा-पटल पर 8-5-1975 को प्रस्तुत की गई थी ने सरकारी क्षेत्र का रोल (भूमिका), औद्योगिक लाइसेंस दिये जाने के समय भारतीय क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिये उठाये जाने वाले कदमों, जिस तरीके से विदेशी कम्पनियों के अधिक उत्पादन को नियमित किया जाना है आदि से सम्बन्धित कुछ सिफारिशें की हैं । अधिकांश विदेशी कम्पनियों के विषय में अधिक उत्पादन से सम्बन्धित आंकड़े एकत्र किये जा रहे हैं तथा तत्पश्चात् उपयुक्त कार्यवाही के लिये संकलित किये जायेंगे ।

मार्च और अप्रैल, 1976 में हुई रेल दुर्घटनाएं

3228. **श्री रानेन सेन** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1976 के मार्च और अप्रैल महीनों में कितनी रेल दुर्घटनाएं हुईं;

(ख) इनमें कितने व्यक्ति मारे गये ;

(ग) रेलवे की कुल कितनी सम्पत्ति का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है ;

(घ) क्या मामलों की जांच करने के लिए सरकार ने कोई जांच समिति स्थापित की है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) भारत की सरकारी रेलों पर 1-3-76 से 20-4-76 तक (जिस तारीख तक की सूचना उपलब्ध है) टक्कर लगने, पटरी से उतरने, समपारों पर गाड़ियों की सड़क यातायात से टक्कर हो जाने और गाड़ियों में आग लग जाने की 119 गाड़ी दुर्घटनाएं हुई थीं ।

(ख) 6 आदमी मर गये थे ।

(ग) चल स्टाक और रेल पथ आदि जैसी रेल सम्पत्ति को लगभग 25,05,100 रुपये की क्षति पहुंचने का अनुमान लगाया गया है ।

(घ) और (ङ) प्रत्येक दुर्घटना की जांच या तो रेलवे अधिकारियों द्वारा की जाती है या रेल संरक्षा के अपर आयुक्त द्वारा की जाती है जो पर्यटन एवं नागर विमानन मंत्रालय के अधीन स्वतंत्र रूप से काम करता है । इन जांचों के निष्कर्षों के अनुसार इन दुर्घटनाओं के कारण इस प्रकार हैं :—

(1) रेल कर्मचारियों की गलती . .	43
(2) रेल कर्मचारियों से भिन्न व्यक्तियों की गलती . .	14
(3) उपस्कर की खराबी .	25
(4) आकस्मिक . . .	5
(5) कारण अभी ज्ञात नहीं हो पाये . . .	32
जोड़	119

डीज़ल के उपयोग में मितव्ययता के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा किया गया अध्ययन

3229. **श्री पी० गंगा रेड्डी** : क्या **पैट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् ने डीज़ल तेल की खपत में मितव्ययता लाने के विचार से कोई अध्ययन किया था; और

(ख) यदि हां, तो अध्ययन की मुख्यत बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) हाल में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् द्वारा ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया । तथापि 1966 में परिषद् द्वारा राज्य रोड परिवहन निगमों में से एक में अध्ययन किया गया था ।

(ख) इस अध्ययन से अनुमान लगाया गया है कि प्रति 100 किलो मीटर पर 27 लीटर से प्रति 100 किलो मीटर पर 22 लीटर डीज़ल तेल की खपत को कम करने की निम्न आधार पर सम्भावना है :—

(i) डीज़ल के विरुद्ध विभिन्न कमियों के विषय में फलीट का विश्लेषण;

(ii) वास्तविक प्रयोग के पश्चात् डीज़ल उपभोग के मानदण्डों का मूल्यांकन;

(iii) बस रूट का पुनः कार्यक्रम तैयार करना; तथा

(iv) नियंत्रण को और अधिक प्रभावशाली बनाने के संगठनात्मक प्रणाली को कार्य-कुशल बनाना ।

पुराने बेकार इंजनों का निपटान

3230. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पुराने बेकार इंजनों का निपटान करने का निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनका निपटान किस प्रकार किया जायेगा?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ; वर्तमान अनुदेशों के अनुसार नाकारे इंजनों का निपटारा कर दिया जाता है ।

(ख) यह निपटारा नीलाम/निविदा द्वारा बिक्री करके किया जाता है ।

टाटा बन्धुओं द्वारा सोडियम डाइक्रोमेट का उत्पादन

3231. **श्री भाऊसाहेब थामनकर** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोडियम डाइक्रोमेट का उत्पादन पूर्णतः लघु उद्योग क्षेत्र के लिये आरक्षित है ;

(ख) क्या टाटा बन्धुओं का विचार उड़ीसा में राज्य सरकार के एक उपक्रम के सहयोग से एक बड़ा सोडियम डाइक्रोमेट संयंत्र स्थापित करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस कार्य के लिये टाटा बन्धुओं को अनुमति दे दी गई है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (ग) जी हां । सूचना एकत्र की जा रही है एवं सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी ।

तेल अन्वेषण सम्बन्धी आंकड़ों के अध्ययन में ब्रिटेन की सहायता

3232. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश सरकार ने तटदूर तेल अन्वेषण सम्बन्धी आंकड़ों के अध्ययन में भारत को तकनीकी सहायता देने के लिये कुछ अधिकारी भेजने की पेशकश की है ; और

(ख) यदि हां, तो भारत ने उस पर क्या निर्णय किया है ?

पैट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) जनवरी, 1975 में यू० के० के तत्कालीन ऊर्जा राज्य मंत्री लॉर्ड बेलौग की भारत-यात्रा के दौरान तेल की स्थिति से सम्बन्धित आपसी हितों के मामलों पर विचार-विमर्श किया गया था । उन्होंने यू० के० में भारतीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने और तेल अन्वेषण तथा उत्पादन में भारत को तकनीकी सहायता देने के लिये अल्पावधि के लिये अपने विशेषज्ञों को भारत में भेजने का प्रस्ताव रखा । अब ओ० एन० जी० सी० और यू० के० के ऊर्जा विभाग के बीच आपसी सहयोग के बारे में विचार-विमर्श हो गया है । यू० के० सरकार द्वारा दी गई तकनीकी सहायता का उपयोग आवश्यकतानुसार उचित समय पर किया जायेगा ।

मोटर कार उद्योग द्वारा कम दरों पर पेट्रोल का कोटा उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध

3233. **श्री रामसहाय पांडे**
श्री बाई० ईश्वर रेड्डी } : क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोटर कार उद्योग ने सरकार से अनुरोध किया है कि प्रति मीटर कार कम से कम 100 लिटर पेट्रोल का मासिक कोटा कम दरों पर दिलाने की व्यवस्था की जाये; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) मोटर कार उद्योग से पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा कोई ऐसी प्रार्थना प्राप्त नहीं की गई है तथापि गत वर्ष कुछ ऐसी ही प्रार्थना टैक्सी चालकों के संघ से प्राप्त हुई थी। परन्तु पेट्रोल के लिये दोहरी मूल्य पद्धति स्वीकार्य नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गोंडिया के स्टेशन मास्टर और पार्सल क्लर्क के विरुद्ध शिकायतें

3234. **श्री सरजूपांडे** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर से डी० एस० और डी० सी० एस० गोंडिया रेल स्टेशन पर वहां के स्टेशन मास्टर और पार्सल क्लर्क के खिलाफ की गई शिकायतों की जांच करने गये थे;

(ख) क्या उन्होंने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) जी नहीं। किन्तु मण्डल वाणिज्य अधीक्षक, नागपुर की गोंडिया के सब्जी के व्यापारियों के साथ उनकी शिकायतों की जांच करने के लिए 9-12-1975 को एक बैठक हुई जो मुख्यतौर पर निम्नलिखित से संबंधित थी :—

(i) पार्सलों की सुपुर्दगी में विलम्ब।

(ii) कुछ खास गाड़ियों द्वारा लदान न किये जाने के कारण पार्सलों का रुका रहना और पार्सल कर्मचारियों द्वारा बुकिंग करने से इनकार करना।

(iii) स्टेशन के मौजूदा कर्मचारी, जो लम्बे अर्से से वहां पर काम करते आ रहे हैं उनको स्थानान्तरित करने का अनुरोध।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :

(i) व्यापारियों के अनुरोध पर सड़ने वाले माल की प्लेटफार्मों पर सुपुर्दगी समाप्त करके उसे पार्सल कार्यालय में करने की व्यवस्था कर दी गयी थी। सुपुर्दगी करने से पूर्व पार्सलों को प्लेटफार्मों से पार्सल कार्यालय को स्थानान्तरित करने की प्रक्रिया में कुछ विलम्ब अपरिहार्य था क्योंकि पार्सल कार्यालय प्लेटफार्मों से कुछ दूर है। अधिकांश व्यापारियों के प्लेटफार्म पर ही सुपुर्दगी लेने के इच्छुक होने पर सुपुर्दगी प्लेटफार्म पर ही देने की पुरानी प्रणाली को पुनः अपनाने का प्रश्न रेल प्रशासन के विचाराधीन है।

(ii) चूंकि पार्सलों का लदान अनिवार्य रूप से किसी खास गाड़ी के ठहराव समय के भीतर और उनमें उपलब्ध खाली जगह के अन्तर्गत ही करना होता है, अत: सभी पार्सल एकही गाड़ी में नहीं लादे जा सकते ।

गौडिया पर पार्सलों का लदान 8-00 बजे से 12-00 बजे तक और 14-00 बजे से 17-30 बजे तक किया जाता है, चूंकि कार्य के घंटों का कड़ाई से अनुपालन किया जाता है, अत: कार्य बन्द होने के समय के बाद भी बुकिंग स्वीकार करने का व्यापारियों का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सका ।

(iii) आवधिक स्थानान्तरण की प्रणाली फिलहाल आस्थगित है । फिर भी गौडिया पर एक नया स्टेशन मास्टर तैनात कर दिया गया है और गौडिया पार्सल घर के काम पर कड़ी नजर रखने की व्यवस्था की गयी है ।

झंझर-वाचस्पति नगर रेलवे लाइन पर यातायात

3235. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या रेल मंत्री झंझरपुर-आंध्राधरी सेक्शन के यातायात के लिए खोले जाने के बारे में 9 मार्च, 1976 के अतारांकित प्रश्न संख्या 210 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झंझरपुर-लौकाहाबाजार रेल लाइन के झंझरपुर-वाचस्पति नगर भाग को यातायात के लिए खोल दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ;

(ग) इस लाइन के वाचस्पति नगर–लौकाहाबाजार सेक्शन के पूरे होने तथा इसे यातायात के लिए खोले जाने के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है; और

(घ) सकरी-हसनपुर लाइन, जो पहले ही अनुमोदित परियोजना है, राज्य सरकार के उत्तर तथा निर्माण कार्य आरम्भ करने तथा पूरा करने के लिए निर्धारित समय के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) झंझरपुर से वाचस्पति नगर खंड का कार्य जोकि झंझरपुर और लौकहाबाजार के बीच लगभग आधी दूरी पर है वास्तविक रूप से पूर्ण हो चुका है और यातायात के लिए खोला जा सकता है बशर्ते कि राज्य सरकार भूमि के उन मालिकों को मुआवजा दे जिन की भूमि इस परियोजना के लिए अधिकृत की गयी है ।

वाचस्पति नगर-लौकहाबाजार खंड का कार्य भी रुका हुआ है क्योंकि बिहार राज्य सरकार ने इस कार्य के लिए अधिग्रहण की गयी भूमि की लागत बहन करने के प्रश्न पर कोई निर्णय नहीं किया है । संयोगवश इस परियोजना में काफी प्रगति हुई है और यातायात के लिए शीघ्र ही खोली जा सकती है ।

(घ) हसनपुर-सकरी परियोजना के लिए भूमि और मिट्टी के काम की लागत वहन करने के लिए बिहार सरकार के अन्तिम उत्तर की अभी भी प्रतीक्षा की जा रही है । राज्य सरकार द्वारा वित्तीय व्यवस्थाओं की स्वीकृति दिये जाने के बाद ही प्राक्कलनों की मंजूरी दी जा सकेगी और निर्माण की तालिका तैयार की जा सकेगी ।

असम आयल कम्पनी, डिगबोई के कुछ कर्मचारियों की गिरफ्तारी

3236. **श्री नूरुल हूडा :** क्या पेट्रोलियम मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम आयल कम्पनी, डिगबोई (आसाम) का महाप्रबन्धक, मुख्य विपणन प्रबन्धक तथा कुछ अन्य वरिष्ठ अधिकारी भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत अगस्त, 1975 में गिरफ्तार किये गये और जेल में रखे गये थे ;

(ख) यदि हां, तो उनकी गिरफ्तारी के क्या कारण थे; और

(ग) क्या उनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच कर ली गई है और जांच के परिणाम क्या निकले ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) असम आयल तेल कम्पनी से तीन वरिष्ठ अधिकारी अर्थात् महा प्रबन्धक, मुख्य विपणन प्रबन्धक तथा तकनीकी प्रबन्धक 31 जुलाई, 1975 को भारत-सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत सीमेंट के स्टाक को निपटाने में कुछ अनियमितता के लिये गिरफ्तार किये गये थे तथा डिबरुगढ़ जेल में रखे गये थे, परन्तु बाद में 2-8-1975 को छोड़े गये थे। सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

आयातित कीटनाशी औषधियों का मूल्य

3237. **श्री विश्वनारायण शास्त्री**
श्री कृष्ण चन्द्र पांडे } : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि विदेशी कम्पनी की एक सहायक कम्पनी फार्मूलेशन के पश्चात् अत्यधिक मूल्य पर आयातित कीटनाशी औषधियों को बेच रही है और इससे 200% से अधिक लाभ कमा रही है ; और

(ख) देश में किसानों को विशेषकर छोटे तथा सीमान्त किसानों को लाभ पहुंचाने के लिये इसके मूल्य कम करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

नाइट्रोजन उर्वरकों के उठान में कमी

3238. **श्री एन० आर० डेकारिया**
श्री कृष्णचन्द्र पांडे } : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन महीनों में नाइट्रोजन उर्वरकों के कम उठाने के कारण उर्वरक निर्माताओं के पास नाइट्रोजन उर्वरकों की 1.5 लाख टन स्टाक जमा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उर्वरकों के एक राज्य से दूसरे राज्य में निर्बाध रूप से लाने ले जाने पर लगे प्रतिबन्ध को हटा रही है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी हां । 1-4-76 को नाइट्रोजन का स्टाक लगभग 2.02 लाख मी० टन था ।

(ख) जी नहीं। देश के विभिन्न भागों में उर्वरकों को रेल द्वारा परिवहन करने के लिए समन्वित योजना को तैयार करने के संबंध में वर्तमान व्यवस्था उपयोगी है।

विदेशी औषध कम्पनियों द्वारा कच्चा माल चोरी छिपे बेचा और खरीदा जाना

3239. **श्री सोमचन्द सोलंकी :** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय की शिकायतें मिली हैं कि हमारे देश में विदेशी औषध निर्माता कंपनियां कच्चे माल को चोरी छिपे अनधिकृत रूप से खरीदने और बेचने का काम करती हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रकाश में आई ऐसी गतिविधियों का ब्योरा क्या है और कौन-कौन सी कंपनियां अंतर्ग्रस्त हैं; और

(ग) इन फर्मों के विरुद्ध और ऐसी अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (ग) : विदेशी साम्य पूंजी वाली भेषज फर्में, जिसके लिए वे मूल कच्चे माल की तस्करी में लगी हुई हैं और जिन्हें लाइसेंस दिए गए थे और जो इस सामग्री को अपने द्वारा निर्मित की हुई सामग्री के रूप में बेचते हैं का कोई उदाहरण सरकार के ध्यान में नहीं आया है। अतः कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

मैसर्स एब्बट, फाईजर और ग्लैक्सों द्वारा औषधियों का उत्पादन

3240. **श्री सोम चन्द सोलंकी :** क्या **रसयन और उर्वरक** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में मैसर्स एब्बट, मैसर्स फाइज़र, मैसर्स हैक्स्ट और मैसर्स ग्लेस्क्री की अपनी-अपनी कम्पनियों के वास्तविक 'बल्क' औषधियों और फार्मूलेशनों के उत्पादन का ब्यारा क्या है तथा औषधियों के कुल उत्पादन में इनकी प्रतिशतता क्या है;

(ख) सभी परियोजनाओं के क्रियान्वित हो जाने पर, जिनके लिए इन कंपनियों के पास मंजूरी है, 'बल्क' औषधियों और फार्मूलेशनों का प्रत्याशित उत्पादन कितना है;

(ग) कच्चे माल के आयात, लाभांश आदि स्वदेश भेजने के कारण इनमें से प्रत्येक कम्पनी ने गत तीन वर्षों में कुल कितनी विदेशी मुद्रा विदेशों में भेजी; और

(घ) सरकार का क्या उपाय करने का विचार है जिससे विदेशी औषध निर्माता कम्पनियां विदेशों को कम विदेशी मुद्रा भेज सकें?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।

एनेलजिन फार्म्यूलेशनों का निर्माण

3241. **श्री सोम चन्द सोलंकी :** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एनेलजिन फार्म्युलेशनों के निर्माण की प्रौद्योगिकी देश में उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय/सरकारी क्षेत्र के एककों की तुलना में विदेशी औषध निर्माण एककों को कितनी क्षमता की अनुमति दी गई है; और

(ख) क्या विदेशी फर्मों को अनुमोदित क्षमता से अधिक कच्चे माल की अनुमति दी गई थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी हां।

(ख) संगठित क्षेत्र में संभवत: समान मामलों में एनालजीन पर आधारित गोलियां, इंजेक्शन जैसे सूत्रयोगों के उत्पादन के लिए या तो एकल अथवा अन्य प्रपुंज औषधों के समामेलन को सूत्रयोगों से संबंधित श्रेणी की समग्र रूप में स्वीकृत क्षमताओं के अन्तर्गत बताया गया है। इसी प्रकार पंजीकरण प्रमाणपत्रों अथवा लघु क्षेत्र उद्योग में व्यवस्थित स्वीकृत क्षमताओं के बारे में कोई आंकड़े नहीं हैं।

(ग) वर्ष 1972–73, 1973–74 एवं 1974–75 के दौरान विभिन्न फर्मों को दिए गए एनालजीन देने के आंकड़ों से यह देखा गया है कि संगठित क्षेत्र में केवल 5 कंपनियों ने जिनमें विदेशी साम्यपूंजी 40 प्रतिशत से अधिक है एनालजीन की सप्लाई प्राप्त की। इन सप्लाइयों के आंकड़े संलग्न विवरण पत्र 1 में दिए गए हैं। मैसर्स हैक्स्ट फार्मास्युटिकल्स लि० के संबंध में एनालजीन की आवश्यकता प्रतिवर्ष 32.65 मी० टन है। तथापि बिगत दो अच्छे वर्षों के आधार पर आवंटन की उनकी हकदारी 131 मी० टन है।

1972–73 तक एनालजीन का आवंटन राज्य औषध नियंत्रकों की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। 1973–74 से सरणीबद्ध प्रपुंज औषधों जिनमें एनालजीन शामिल है दो वर्षों में से सबसे अधिक आवंटन अथवा राज्य व्यापार नियंत्रक द्वारा सिफारिश की गई मात्रा में से जो भी कम है।

मैसर्स ई मर्क के पास एनालजीन के सूत्रयोग के लिए कोई स्वीकृत क्षमता नहीं है। उन्हें बिना औद्योगिक लाइसेंस के एनालजीन एवं विटामिन बी 1 के सम्मिश्रण से बने सूत्रयोग डोलोन्यूरोवोयन, बी० 6, तथा बी 12 का उत्पादन करते हुए पाया गया है। इस अनियमितता को तकनीकी रूप में माना गया है। इस प्रकार इस कार्यकलाप को विनयमित करने के लिए कार्यवाही चल रही है तथा इस कार्य के लिए पार्टी ने आवेदन पत्र भेज दिया है।

विवरण

(आंकड़े किलोग्राम में)

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	के दौरान दिए गए एनालजीन की मात्रा		
		1972–73	1973–74	1974–75
1.	एंगलो फैन्च ड्रग बम्बई।	685	240	–
2.	ई मर्क (इण्डिया) लि०, बम्बई	6170	500	8255
3.	ज्योफ़े मैनर्स एण्ड कम्पनी, बम्बई	11505	8800	8100
4.	हैक्स्ट फार्मास्युटिकल्स, बम्बई	120680	145450	150000
5.	(i) मारटिन एण्ड हैरिस लि०, बम्बई	2030	200	200
	(ii) मारटिन एण्ड हैरिस लि०, कलकत्ता	2100	1250	–

विदेशी फर्मों द्वारा मूल निवेश और उनकी वर्तमान साम्य पूंजी

3242. **श्री भालजीभाई रावजीभाई परमार** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स ग्लैस्को, फाईजर, सी० ई० फुल्फोर्ड, एवट्टस, ज्योफ्रेमैनर्स, हैक्स्ट, रोशे, सीवा, सेण्डोज, सायना आईड, एंग्लोफ्रेंच और आई० सी० आई० सी० आई० द्वारा कितना मूल पूंजी निवेश किया गया था और उनकी फर्म-वार वर्तमान साम्य पूंजी क्या है;

(ख) इन फर्मों की गत तीन वर्षों में कुल बिक्रियां क्या थीं और इन्होंने किन-किन मदों को निर्धारित से अधिक उत्पादन किया ; और

(ग) क्या सरकार का भारतीय औषध उद्योगों के विकास के हित में इन फर्मों को अपने अधिकार में लेने का और सरकारी क्षेत्र को इस उद्योग में अधिक भूमिका देने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) उपलब्ध आंकड़े औषध एवं भेषज उद्योग पर समिति की रिपोर्ट के अध्याय–1 के विभिन्न अनुबन्धों में दिए गए हैं जिसकी प्रति-लिपि 8–5–1975 को सभा पटल पर रख दी गई थी।

(ग) इस समय ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

Working conditions of Guards

†3243. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA: Will the MINISTER OF RAILWAYS be pleased to state:

(a) the various improvements demanded by the Western Railway Branch of the All India Guards (Railway) Association in the working conditions of Guards; and

(b) the steps taken by Government in this regard ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI BUTA SINGH): (a) No representation in this regard has been received from Western Railway Branch of All India Guards Council.

(b) Does not arise.

Extension of Goods Sheds at Jaora, Dhodhar and Mandsaur Stations

†3244. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA: Will the MINISTER OF RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether booked goods often remain lying outside the goods sheds and get damaged in rains and the sun at Jaora, Dhodhar and Mandsaur stations of Ratlam division of Western Railway due to inadequate capacity of the goods sheds there;

(b) if so, whether the merchants and other concerned persons of the area have made demand for the extension of the goods sheds there; and

(c) if so, the action taken in this regard ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI BUTA SINGH):

(a) No.

(b) No.

(c) Does not arise.

Proposal to make casting of Votes Obligatory

†3245. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA: Will the MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have before them a proposal to make casting of votes obligatory besides the proposal for lowering voting age from 21 years to 18 years; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (DR. V.A. SEYID MUHAMMAD) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

नागपुर से चुराई गई रेल सम्पत्ति

3246. **श्री बसन्त साठे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर से गत एक वर्ष के दौरान लगभग दो लाख रुपए की रेल संपत्ति चोरी चली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है;

(ग) मध्य रेलवे के ऐसे अन्य कौन-कौन से महत्वपूर्ण स्टेशन हैं जहां पर चोरी की बड़ी-बड़ी घटनाएं होती हैं; और

(घ) इस बारे म क्या विशेष उपाय किए गए हैं और उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कल्याण, पुर्णे, भुसावल, इटारसी, अजनी, नागपुर, आगरा कैंट और झांसी।

(घ) इस संबंध में निम्नलिखित विशेष कदम उठाए गए हैं :—

(1) पुराने अपराधियों और रेलवे की संपत्ति लेने वालों को आंतरिक सुरक्षा अधिनियम के अधीन बंदी बनाया गया है।

(2) भेद्य क्षेत्रों में गश्त लगाने के लिए रेलवे सुरक्षा दल के कुत्ता दस्तों को तैनात किया गया है।

(3) अपराधियों की हरकतों और गतिविधियों के बारे में आसूचना सादा पोशाक वाले कर्मचारियों द्वारा इकट्ठा की जा रही है और रेल संपत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम के अधीन छापे मारे जाते हैं/ मुकदमे चलाए जाते हैं।

इन कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप मध्य रेलवे पर अपराध की घटनाओं में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

टिकटों की बिक्री के कारण रेलवे की आय में वृद्धि

3247. **श्री समर गुहा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-75 के दौरान टिकटों की बिक्री में वृद्धि के कारण रेलवे की आय में कुल मिलाकर कितनी वृद्धि हुई है।

(ख) वातानुकूलित प्रथम श्रेणी सहित प्रथम श्रेणी तथा अन्य श्रेणी के टिकटों से हुई आय का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हीं वर्षों में (i) प्रथम श्रेणी, (ii) वातानुकूलित प्रथम श्रेणी और (iii) अन्य श्रेणियों के लिए सुविधाओं में सुधार करने पर कितना व्यय किया गया ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 1972-73 के वर्ष की तुलना में 1973-74 के दौरान टिकटों की बिक्री लगभग उतनी ही थी, जबकि 1974-75 में वह कम हो गई। लेकिन किरायों में और गमन दूरी में वृद्धि के कारण 1972-73 के बाद टिकटों की बिक्री में आमदनी में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है।

(ख) आय का आवश्यक ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(करोड़ रुपयों में)

आय	1972-73	1973-74	1974-75
वातानुकूलित प्रथम श्रेणी सहित पहले दर्जे के टिकटों से .	30.9	37.1	45.3
अन्य दर्जों से . .	312.9	330.0	367.3

(ग) यात्रियों की श्रेणी के अनुसार सुविधाओं की व्यवस्था पर खर्च का ब्यौरा नहीं रखा जाता है। "यात्रियों और अन्य रेल उपभोक्ताओं के लिए सुविधाएं" शीर्षक के अन्तर्गत कुल खर्च इस प्रकार है :—

1972-73 . . .	450 लाख रुपये
1973-74	301 लाख रुपये
1974-75	221 लाख रुपये

Selling of raw materials by Drug Firms

3248. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI: Will the MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether some foreign drug manufacturing unit in India sold raw materials in the market at double rates by reducing their production far below the production capacity; and

(b) if so, their names and the quantum and value of the raw materials supplied to them during the years 1972 to 1975, year-wise ?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) and (b): No such instances have come to the notice of Min. of C & F. Position is, however, being checked up in consultation with other authorities likely to be concerned and will be laid on the Table of the House.

Theft of goods from godowns and bogies at Ujjain, Ratlam, Indore and Nagda Stations

†3249. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the MINISTER OF RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether goods in large quantity are stolen from the railway godowns and bogies on Ujjain, Ratlam, Indore and Nagda stations of Ratlam division;

(b) the number of such cases detected during the period from 1972 to 1975 and the number of persons awarded punishment therefor;

(c) whether Railway employees like watchmen have also been found to be involved in those cases; and

(d) the steps taken by Government to check such thefts in future ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI BUTA SINGH): (a) No, only 7 cases of theft of small quantity of goods were detected in 4 years time during 1972 to 1975 resulting in prosecution of 22 persons out of whom one person has been convicted and the remaining are pending trial.

(c) No Railway Employee or RPF Staff are found involved in such cases except in a stray case of 1974 in which 4 Railway Employees and 1 RPF Rakshak were arrested.

(d) Some of the important steps taken in this regard are enumerated below:—

(*i*) An analysis of thefts and pilferages is made every month at the Divisional Level and every 10 days at Headquarter level and security arrangements are intensified in the affected sectors and spots.

(ii) Regular meetings of State Lavel and Basic Level Committees are held for discussing Railway crimes and allied matters.

(*iii*) Close co-ordination and effective liaison is maintained with Government Railway Police and District Police.

(*iv*) Collection of crime intelligence by the Crime Intelligence Branch Staff and effective utilisation of the Divisional Plain Clothed Staff.

(*v*) Keeping strict surveilance on the known criminals through the medium of Government Railway Police and District Police.

(*vi*) Patrolling by armed staff on foot and posting of Armed/RPF pickets at vulnerable yards.

(*vii*) Action is also taken to detain known receivers of stolen property and habitual criminals under Maintenance of Internal Security Act and other Acts through the State Police authorities.

Vacant posts of Judges in Gwalior, Indore and Jabalpur Benches of Madhya Pradesh High Court

†3250. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of posts of judges lying vacant in the benches of Madhya Pradesh High Court at Gwalior, Indore and Jabalpur;

(b) since when these posts have been lying vacant in eaeh bench; and

(c) the action being taken by Government to fill them up ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (DR. V. A. SEYID MUHAMMAD): (a) to (c): The sanctioned strength of the Madhya Pradesh High Court is of 20 permanent and three Additional Judges. These posts are for the entire Court and there is no separate strength for the Benches. It is for the Chief Justice of the High Court to consider posting of Judges to the Benches from the overall sanctioned strength. At present there are two vacancies of permanent judges and two vacancies of additional judges. Efforts are being made to fill up these vacancies as early as possible in consultation with the State authorities and the Chief Justice of India.

Cancellation of Trains from Gwalior to Sheopur, Shivpuri and Bhind

†3251. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the MINISTER OF RAILWAYS be pleased to state whether all the trains running from Gwalior to Sheopur, Shivpuri and Bhind on narrow gauge lines in Jhansi Division of Central Railways have been cancelled?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI BUTA SINGH): Gwalior-Shivpuri Narrow-gauge section has been closed for all description of traffic with effect from 1-8-1975. Trains on Gwalior-Bhind and Gwalior-Sheopur Kalan sections, however, are running.

नार्थ कछार पहाड़ी जिले के लिए राज्य सभा में एक स्थान आबंटित किए जाने के लिए अभ्यावेदन

3252. **श्री नूरुल हूडा :** क्या विधी, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के मिकिर और नार्थ कछार पहाड़ी जिलों ने केन्द्रीय सरकार को नार्थ कछार पहाड़ी जिले के लिए राज्य सभा में एक स्थान आबंटित किए जाने के लिए एक संयुक्त अभ्यावेदन दिया है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार की इस अभ्यावेदन पर क्या प्रति क्रिया है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वी० ए० सेयद मुहम्मद) : (क) ऐसा कोई अभ्यावेदन सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रासायनिक उत्पादन एककों में वृद्धि

3253. श्री समर गुह : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1973-75 में बड़े रासायनिक उत्पादन एककों में कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) उनको (एक) विदेशी कम्पनियों, (दो) सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों और (तीन) गैर-सरकारी कम्पनियों सम्बन्धी अलग-अलग आंकड़े क्या हैं; और

(ग) इन कम्पनियों में कौन-कौन से रासायनिक पदार्थों का उत्पादन किया जाता है अथवा किया जायेगा?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बम्बई हाई तेल क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से सहायता

3254. श्री के० एम० मधुकर : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम बम्बई हाई तेल क्षेत्र के विकास हेतु सहायता देने पर सहमत हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

पैट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी हां।

(ख) यू० एन० डी० पी० अपतटीय क्षेत्र के विकास तथा उत्पादन के विशिष्ट पहलुओं तथा क्षेत्र के लिए मूल विकास योजना तैयार करने में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के कार्मिकों को प्रशिक्षित करने हेतु स्वीकृति दे दी है। जिसमें एक गणीतीय निदर्शन का निर्माण करना शामिल है जिससे अनेक भिन्नता योग्य तथ्यों का मूल्यांकन किया जा सके।

इस योजना के लिए यू० एन० डी० पी० की सहायता 679,550 डालर होगी।

नागरिकों के मूल कर्त्तव्य

3255. श्री बालकृष्ण वेंकप्पा नायक
श्री समर गुह } क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 27 मार्च, 1976 को दिल्ली में हुए अखिल भारतीय बार-कौन्सिल के सम्मेलन में अपने भाषण में इस बात की वकालत की थी कि हमारे संविधान में नागरिकों के 'मूल कर्त्तव्य' सम्मिलित किये जायें और यदि हां, तो वे मूल कर्त्तव्य क्या हैं;

(ख) क्या ये कर्त्तव्य विधि द्वारा प्रवर्तनीय होंगे;

(ग) क्या ऐसे उपबन्ध किसी अन्य लोकतांत्रिक देश के संविधान में भी हैं और यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं; और

(घ) सरकार का उनके इस विचार को संवैधानिक संशोधन का रूप देकर कब तक लागू करने का विचार है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वी० ए० सेयद मुहम्मद): (क) विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री ने यह सुझाव उक्त सम्मेलन में रखा था। मूल कर्त्तव्य, जैसी कि उनकी प्रकल्पना की गई है, मोटे तौर पर निम्नलिखित आधार पर हो सकते हैं :—

(i) संविधान और विधियों का पालन,

(ii) कर का भुगतान करने का कर्त्तव्य,

(iii) अन्य नागरिकों के अधिकारों का आदर करने का कर्त्तव्य; और

(iv) सार्वजनिक कर्त्तव्यों और कृत्यों का शुद्ध मन से और ईमानदारी से पालन करने की बाध्यता।

(ख) जी हां।

(ग) नागरिकों के कर्त्तव्यों और उनकी बाध्यताओं संबंधी उपबंध अनेक संविधानों, जैसे कि सोवियत संघ, यूगोस्लाविया, नेपाल, चेकोस्लोवाकिया और डोमिनिकल गणराज्य के संविधानों में पाए जाते हैं।

(घ) निश्चित रूप से यह बताना संभव नहीं है कि इस विषय का विस्तृत अध्ययन करने में और संविधान में संशोधन करने के लिए ठोस प्रस्ताव तैयार करने में कितना समय लग जाएगा।

गैस और मिट्टी के तेल के एजेंटों की नियुक्ति

3256 श्री शंकरराव सावन्त
श्री श्यामर सुन्द महापात्र } : क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुकिंग गैस और मिट्टी के तेल के वितरण के लिए एजेंटों और उपएजेंटों की नियुक्ति के बारे में कोई नीति बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं?

पैट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) सरकारी क्षेत्र तेल कम्पनियों द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिप देने के बारे में नीति के पुनरीक्षण पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रख कर प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में बिना चौकीदार के रेलवे क्रासिंग

3257. श्री शंकर राव सावंत: क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में बिना चौकीदार के रेलवे क्रासिंग की संख्या कितनी है और उनके नाम क्या हैं; और

(ख) इन क्रासिंगों पर दुर्घटना रोकने के लिए क्या सावधानियां बरती गई हैं?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) महाराष्ट्र राज्य में 31 मार्च, 1975 को 'ग' श्रेणी के बिना चौकीदार वाले 1,278 समपार थे।

(ख) बिना चौकीदार वाले समपारों पर दुर्घटनाओं की घटनाएं कम करने के लिए विभिन्न उपाय किये गये हैं जैसे बिना चौकिदार वाले समपारों के आगे सड़क उपयोगकर्ताओं को चेतावनी देने के लिए 'रुको पट्ट' की व्यवस्था; गाड़ी के ड्राइवरों को सीटी बजाने के आदेश के लिए सीटी पट्ट की व्यवस्था; समपारों पर चौकीदारों की आवश्यकता निर्धारित करने के लिए यातायात की गणना; पर्चियो, सिनेमा स्लाइडों, लाउडस्पीकरों पर घोषणाओं, रेडियो वार्ताओं, ड्राइवरों और परिवहन संघों के साथ वैयक्तिक सम्पर्क स्थापित करके सड़क उपयोगकर्ताओं में शैक्षणिक अभियान; समपारों पर अचानक छापे आदि अधिकांश राज्य सरकारों ने मोटर वाहन नियमों के अन्तर्गत कानून बनाकर मोटर ड्राइवरों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि बिना चौकीदार वाले समपारों से थोड़ी दूर पहले रुक जायें और वाहन के आगे-आगे कन्डक्टर के पैदल चलने पर ही रेल पथ पार करें।

पुलिस प्राधिकारियों के साथ मिलकर छापे भी मारे जाते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रेल उपयोगकर्ताओं द्वारा मोटर वाहन अधिनियम का कड़ाई से पालन किया जाता है। सभी राज्य सरकारों और केन्द्र प्रशासनों से भी अनुरोध किया गया है कि वे मोटर वाहन नियमों के उपबन्धों को कड़ाई से लागू करें; सभी समपारों के पहुंचमार्गों पर सड़क पर लगाए गए संकेतों के सबसे ऊपर 'खतरा है' शब्द अंकित करायें।

'एस्सो' और 'बर्माशैल' की अधिग्रहण के बाद प्रबन्ध पद्धति

3258. **श्री शंकर राव सावन्त**: क्या **पैट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 'एस्सो' और 'बर्मा शैल' की अधिग्रहण के बाद प्रबंध पद्धति में क्या अन्तर आया है; और

(ख) गत वर्ष के दौरान राजकोष को इनमें से प्रत्येक से कितनी-कितनी आय होने की संभावना थी और वास्तव में कितनी आय हुई?

पैट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी): (क) हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लि० (जो पहले एस्सो था) और भारत शोधनशाला लि० (जो पहले बर्मा शैल थी) की प्रबन्ध प्रणाली में कोई मौलिक अन्तर नहीं है। उन दोनों कम्पनियों का प्रबन्ध, सरकारीं क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्ध के लिए दिये गये मार्ग दर्शन के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है।

(ख) जैसी आशा की गई थी, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० जिसकी स्थापना 1974 में की गई थी, ने 1975 में अपनी 10 करोड़ रुपये की साम्य पूंजी पर 15 प्रतिशत लाभांश घोषित किया। भारत सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त 74 प्रतिशत साम्य पूंजी पर लाभांश में सरकार का शेयर 1.11 करोड़ रुपये का है।

भारत शोधनशाला लि० (बर्मा-शैल) का अधिग्रहण सरकार द्वारा केवल 24-1-1976 से किया गया था, अतः 1975 के दौरान उस कंपनी से राजकोष को न तो किसी लाभ की आशा की न कोई लाभ हुआ।

राजधानी एक्सप्रैस रेल गाड़ियां

3259. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में दिल्ली-बम्बई तथा दिल्ली कलकत्ता राजधानी एक्सप्रेस रेल-गाड़ियों से कितना हानि-लाभ हुआ;

(ख) क्या इसी प्रकार की रेलगाड़ियां दिल्ली-मद्रास मार्ग पर चलाये जाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो कब; और

(ग) दिल्ली-बम्बई तथा दिल्ली-कलकत्ता राजधानी एक्सप्रेस प्रतिदिन क्यों नहीं चलाई जाती हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) अलग-अलग गाड़ियों के खर्च का हिसाब-किताब रखने का रिवाज नहीं है। फिर भी, राजधानी एक्सप्रेस की वित्तीय लाभ-कारिता की जांच करने के लिए उसके परिचालन पर हुए कुल खर्च का हिसाब लगाने के उद्देश्य से लोक लेखा समिति की 195वीं रिपोर्ट (जनवरी, 1976) के अनुसार अध्ययन किये जा रहे हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) राजधानी एक्सप्रेस में 130 कि० मी० प्रतिघन्टा की रफ्तार से चलने के योग्य विशेष प्रकार के सवारी डिब्बों के अभाव के कारण इनका फेरा बढ़ाना फिलहाल सम्भव नहीं है।

रेलवे टाइम टेबल के प्रकाशन के बाद उस में परिवर्तन

3260. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन रेलवे टाइम टेबल के प्रकाशन के बाद उसमें बहुत अधिक परिवर्तन करता है;

(ख) क्या उनको पता है कि इस प्रकार के परिवर्तन करने और कोई नया अथवा संशोधित टाइम टेबल उपलब्ध न होने से यात्रियों को बहुत असुविधा होती है; और

(ग) क्या हर छः महीने बाद रेलवे टाइम टेबल प्रकाशित करने की प्रक्रिया पुनः आरम्भ की जायेगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) : जी नहीं। लेकिन नयी गाड़ियों के चलाये जाने, गाड़ियों के डीजलीकरण अथवा वर्तमान गाड़ियों की आवृत्ति में वृद्धि के फलस्वरूप समय सारिणी में मध्यावधि परिवर्तन किये गये हैं और इन परिवर्तनों का प्रचार प्रेस विज्ञप्तियों और स्टेशनों के सूचना पट्टों पर सूचना लगाकर किया जाता है

(ग) जी हां। मई, 1976 के अंक से समय सारिणियों का छमाही प्रकाशन करने का प्रस्ताव है।

पिछड़े तथा पर्वतीय क्षेत्रों में रेल लाइनें

2261. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1976-77 की वार्षिक योजना में 418 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या इसमें पिछड़े तथा पर्वतीय क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने के लिए रेल लाइनों के निर्माण की योजनाएं शामिल हैं; और

(ग) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) पिछड़े और पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए रेलों द्वारा नयी लाइनों का निर्माण वित्तीय दृष्टि से सम्भव बनाने के उद्देश्य से 1973 में नयी नीति प्रारम्भ की गयी थी जिसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

(i) लाइनों के निर्माण काल में और उनके तैयार हो जाने तथा यातायात के लिए खोल दिए जाने के बाद कुछ निर्दिष्ट वर्षों तक सामान्य राजस्व को लाभांश दायिता के भुगतान से सम्पूर्ण अथवा आंशिक छट;

(ii) राज्य सरकारों या स्थानीय प्राधिकारियों का निर्माण कार्य के लिए भूमि और उसमें लगने वाला श्रम निःशुल्क देकर निर्माण लागत घटाने में सहयोग;

(iii) नवनिर्मित लाइन पर लागू होने वाले किराये और भाड़े के ढांचे में उपयुक्त समायोजित वृद्धि जिसे सामान्यतः 'प्रभार्य मील दूरी की स्फीति' कहा जाता है; और

(iv) किराये और भाड़े खंडों के आधार पर लगाना ताकि मानक किरायों और भाड़ों के 'अधिक दूरी कम किराये' वाले ढांचे से होने वाली कमी की पूर्ति की जा सके।

हिन्दी में विधि पुस्तकें

3262. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय उस स्कीम को क्रियान्वित कर रहा है जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालयों में पाठ्यपुस्तकों के रूप में उपयोग के लिए हिन्दी में विधि पुस्तकों तथा हिन्दी भाषी राज्यों में वकीलों के लिए संदर्भ पुस्तकों के प्रकाशन की व्यवस्था है;

(ख) क्या स्कीम की प्रभावकारी क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिए कोई मूल्यांकन समिति स्थापित की गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो उस समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वी० ए० सेयद मोहम्मद) : (क) जी हां।

(ख) एक तदर्थ मूल्यांकन समिति 25 जुलाई, 1975 से एक वर्ष की या नियमित मूल्यांकन समिति का गठन होने तक की, जो भी पूर्वतर हो, अवधि के लिए गठित की गई है।

(ग) तदर्थ मूल्यांकन समिति के सदस्य निम्नलिखित व्यक्ति हैं :—

1. डा० (श्रीमती) श्रद्धा कुमारी	रीडर, विधि संकाय, लखनऊ विश्व-विद्यालय, लखनऊ।
2. डा० जी० सी० कासलीवाल	प्रोफेसर, विधि संकाय, उदयपुर विश्व-विद्यालय, उदयपुर।
3. डा० वी० आर० चौहान	प्रोफेसर एवं विधि विभागाध्यक्ष और विधि संकायाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला।
4. श्री बी० के० शर्मा, सदस्य-संयोजक	सचिव, राजभाषा (विधायी) आयोग, नई दिल्ली और विधि मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के पदेन सचिव।

मंगलौर में मँगला उर्वरक कारखाना

3263. श्री राजदेव सिंह : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलौर स्थित मंगला उर्वरक कारखाने में उत्पादन आरम्भ हो गया है;

(ख) क्या कारखाने के किसानों को उर्वरकों का किफायत से उपयोग करने के तरीके बताने के लिए एक 'फार्म सेवा' बनाई है जिससे लागत में 20-30 प्रतिशत की कमी की जा सकती है;

(ग) क्या किसनों को जानकारी दे कर और यूरिया का उत्पादन करके इस कारखाने को विदेशी मुद्रा की बचत हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो गत वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा की बचत हुई है और क्या देश के अन्य भागों में भी मितव्ययी उपयोग का तरीका क्रियान्वित किया जाएगा ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) : जी हां, कम्पनी ने सूचित किया है कि उर्वरक के कम उपयोग के साथ अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लक्ष्य से उर्वरकों के अच्छे तथा कुशल उपयोग पर कृषकों को शिक्षित करने के लिए उन्होंने 'मंगल फार्म सर्विस' स्थापित किए हैं। इसके अतिरिक्त कम्पनी अन्य वैज्ञानिक तथा लाभदायक फार्मिंग तकनीक को 'मंगला फार्म सर्विस' के भाग के रूप में बढ़ा रही है।

(ग) और (घ) : उर्वरकों के कुशल प्रयोग के माध्यम से प्राप्त विदेशी मुद्रा में बचत को यथार्थरूप में मापना संभव नहीं है। अन्य बातों के माध्यम से उर्वरकों के कुशल प्रयोग द्वारा फार्म उत्पादन को अधिकतम करने की सरकारी नीति है।

जबलपुर-इलाहाबाद मार्ग पर रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाना

3264. सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 8 अप्रैल, 1976 को जबलपुर-इलाहाबाद मार्ग पर कोई रेल गाड़ी पटरी से उतर गई थी और इसके परिणामस्वरूप यातायात पर सारे दिन प्रभाव पड़ा; और

(ख) यदि हां, तो गाड़ी के पटरी से उतरने के क्या कारण थे और सरकार का भविष्य में इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) : 8-4-76 को जब आर०-50 अप माल गाड़ी मध्य रेलवे से सतना-इलाहाबाद इकहरी लाइन खण्ड पर चितहरा और खुटहा स्टेशनों के बीच चल रही थी तो यह उक्त खण्ड में छुट गए X/35 डाउन मालगाड़ी के कुछ डिब्बों से टकरा गयी। इस टक्कर के फलस्वरूप आर०-50 अप मालगाड़ी का एक माल डिब्बा और X/35 डाउन मालगाड़ी से अलग हुए डिब्बों में से 5 मालडिब्बे पटरी से उतर गये। परिणामस्वरूप 8-4-1976 को थ्रू यातायात 04.10 बजे से 17.00 बजे तक रुका रहा।

इस दुर्घटना के कारण की जांच की जा रही है। जांच की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर उपयुक्त कार्रवाई की जायेगी।

मोतीपुर के समीप 479 अप यात्री गाड़ी में आग लगना

3265. सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 8 अप्रैल, 1976 को पूर्वोत्तर रेलवे के मुजफ्फरपुर नरकटियागंज सेक्शन के मोतीपुर रेलवे स्टेशन की ओर जाती हुई 479 अप यात्री गाड़ी में आग लग गई थी;

(ख) क्या बहुत सी महिला यात्री और बच्चे गम्भीर रूप से घायल हो गए थे;

(ग) क्या आग से किसी यात्री की मृत्यु हुई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) 8-4-1976 को लगभग 11.07 बजे जबकि यात्री गाड़ी सं० 479 अप मोतीपुर स्टेशन में दाखिल हो रही थी, एक स्त्री जिसकी गोद में एक बच्चा था अपनी बेटी सहित दूसरे दर्जे के डिब्बे, जो इंजन से पांचवां डिब्बा था, से बाहर कूद पड़ी क्योंकि इस में आग लग गयी थी। महिला यात्री का पिता और उसका बड़ा लड़का बाद में प्लेट फार्म पर कूद पड़े। महिला यात्री को गंभीर चोटें आयी लेकिन पता चला है कि उसके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। जहां उसके पिता और एक बच्चे को साधारण चोटें आई हैं, अन्य दो बच्चों को मामूली चोटें आयीं जैसे थोड़ी खरोंच आदि। अन्य सभी यात्री सुरक्षित उतर गए।

प्रभावित डिब्बे को तुरन्त काट कर अलग कर दिया गया। गाड़ी एक घन्टा और चालीस मिनट रुकने के बाद मोतीपुर से उस डिब्बे के बिना चली।

रेल अधिकारी के पास अत्यधिक परिसम्पत्तियां होना

3266. सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सतर्कता विभाग ने हाल ही में मद्रास में एक रेलवे अधिकारी को पकड़ा है जिसके पास उसके ज्ञात आय के स्रोतों की तुलना से बहुत अधिक परिसम्पत्तियां थीं;

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में तथ्य क्या ह; और उसके नाम पर कितनी परि-सम्पत्तियां थीं; और

(ग) सरकार का उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है?

रेल मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने मद्रास में एक रेलवे अधिकारी के निवास स्थान की तलाशी ली है और जांच-पड़ताल चल रही है।

वीरमगाम-ओखा लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

3267. **श्री अरविन्द एम० पटेल**
श्री एन० आर० बेकारिया } : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वीरमगाम से ओखा तक छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा।

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) इस आमान परिवर्तन के काम में कुल मिलाकर लगभग 40 प्रतिशत वास्तविक प्रगति हुई है।

(ख) आशा है कि पहले चरण में वीरमगाम से राजकोट (181 कि० मी०) तक का खंड यातायात के लिए 31-3-1978 तक खोल दिया जायेगा बशर्ते पर्याप्त धन उपलब्ध हो।

ऐसी स्थिति में राजकोट से ओखा/पोरबन्दर लाइन के शेष भाग को पूरा होने की निश्चित तारीख नहीं बताई जा सकती क्योंकि बाद के वर्षों में कितना धन उपलब्ध होगा, इसकी जानकारी नहीं है।

प्रतिजीवाणु (एण्टीबायोटिक्स) औषधियों का निर्माण करने वाली कम्पनियां

3268. **श्री अरविन्द एम० पटेल**
श्री एन० आर० बेकारिया } : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिजीवाणु औषधियों का निर्माण करने वाली कम्पनियों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या कोई विदेशी कम्पनी प्रतिजीवाणु औषधियों का निर्माण कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो व कौन सी मदों का निर्माण करती हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (ग) वांछित आंकड़े औषध और भेषज उद्योग की समिति की रिपोर्ट के अध्याय 11 (पृष्ठ 26 और 27) के परिशिष्ट 1 में दिए हुए हैं, जिसकी एक प्रति 8-5-1975 को सभा पटल पर प्रस्तुत की गई थी।

मैसर्स ड्यूमैक्स के नाम में परिवर्तन

3269. **श्री भालजी भाई रावजीभाई परमार :** क्या **रसायन और उवरक** मंत्री ड्यू-मैक्स और फीजर के दो पृथक कम्पनियों के रूप में कार्य करने के बारे में 23 मार्च, 1976 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1187 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स ड्यूमैक्स के नाम में परिवर्तन से पूर्व फीजर (इण्डिया) भारत में निगमित हुई थी तथा क्या नाम के परिवर्तन में स्वामित्व का परिवर्तन भी निहित था;

(ख) क्या किसी विदेशी कारखाने के नये निगमन के लिए लाइसेंसिंग समिति/विदेशी करार समिति से अनुमति लेनी पड़ती है और यदि हां, तो क्या ड्यूमैक्स का नाम बदलकर फीजर के बारे में ऐसे प्राधिकरण से स्वीकृति ली गई थी; और

(ग) मैसर्स ड्यूमैक्स को मूलत: दिये गये मदों सहित लाइसेंसों/अनुमोदनों, क्षमताओं और शर्तों का ब्यौरा क्या है; और लाइसेंसों की मंजूरी फीजर के नाम किस प्रकार की दी गई और लाइसेंसिंग समिति ने इसका अनुमोदन कब किया ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

औषध फर्मों को जारी की गई अधिसूचना

3270. **श्री भालजीभाई रावजीभाई परमार :** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औषध निर्माण फर्मों को एक अधिसूचना संख्या एल०/11011/3/75-सी० एच० III जारी की है;

(ख) यदि हां, तो इसमें किस प्रकार की जानकारी मांगी गई है और 26 प्रतिशत से अधिक विदेशी ईक्विटी पूंजी वाली कितनी विदेशी फर्मों ने यह जानकारी दे दी है; और

(ग) विदेशी क्षेत्र की 12 बड़ी फर्मों से प्राप्त हुई जानकारी की मुख्य बातें क्या हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (ग) पत्र संख्या एल/11011/3/75-कैमी-III की एक प्रतिलिपि, अनुलग्नक सहित संलग्न है [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 10776/76] अभी तक सभी एककों से आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं। 26 % से अधिक विदेशी साम्य पूंजी वाले 29 औषध फर्मों ने अपेक्षित सूचना भेज दी है।

वैगन उद्योग को प्राप्त नये क्रयादेश

3271. **श्री टुना उरांव :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में वैगन बनाने के लिए वैगन उद्योग को कोई नए क्रयादेश दिए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो दिए गए क्रयादेशों का कारखानेवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या अधिकांश कारखानों ने पहले क्रयादेशों के वैगन भी सप्लाई नहीं किए;

(घ) यदि हां, तो इन कारखानों के पास असम्पन्न पड़े क्रयादेशों का अद्यतन ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आज तक के इन सभी क्रयादेशों के वैगन सप्लाई करने का काम पूरा करने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) अपेक्षित सूचना अनुबन्ध 'क' और 'ख' में दी गई है। [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-10777/76]

(ङ) वैगनों के नए क्रयादेशों को दस चालू कारखानों में इस प्रकार बांटा गया है कि पिछले आर्डरों की सुपुर्दगी के साथ-साथ अतिरिक्त आर्डरों को दिसम्बर, 1978 तक निपटाया जा सके। यदि कारखाने वर्तमान उत्पादन क्षमता को कायम रखते हैं तो वे आर्डरों की उक्त सुपुर्दगी के समय तक पूरा कर देंगे, बशर्ते कि धन उपलब्ध हो।

हावड़ा डिवीजन की बी० ए० के० लूप लाइन को लालगोल-सियालदह डिवीजन से जोड़ना

3272. **श्री टुना उरांव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुगली भागीरथी नदी के दायें तट पर पूर्व रेलवे के हावड़ा डिवीजन की बी० ए० के० लूप लाइन को सियालदह डिवीजन के लालगोला-सियालदह सैक्शन से जोड़ने के लिए कोई कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक की गई कार्यवाही की मुख्य बातें क्या हैं।

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) नैहाटी-बंडेल और डमडम-डांकुनी लाइनों पर हुगली नदी के ऊपर बने पुलों द्वारा ये दोनों खण्ड पहले से ही जुड़े हुए हैं। प्रत्याशित यातायात की ढुलाई के लिए इन पुलों पर पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है। बंडेल और नैहाटी के बीच स्थित जुबली पुल की क्षमता में और सुधार करने के उद्देश्य से पुल को मजबूत करने की सम्भावना की भी जांच की जा रही है। भविष्य में भागीरथी नदी पर एक और पुल बनाने के लिए एक प्रारम्भिक सर्वेक्षण भी किया गया है और कल्याणी के नजदीक एक स्थान को सब से उपयुक्त समझा गया है।

रेल इंडिया टेक्नीकल एण्ड इकानामिक सर्विसेज लिमिटेड का कार्यकरण

3273. **श्री बालकृष्ण वेकन्नानायक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल इंडिया टेक्नीकल एण्ड इकानामिक सर्विसेज लिमिटेड ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो वे टेंडर कौन-कौन से हैं जो यह प्रस्तुत कर सकीं है ;

(ग) शुरु की जा रही परियोजनाओं का कितना मूल्य है और वे कहां-कहां स्थित हैं; और

(घ) परियोजना पूरी करने में विदेशी मुद्रा की कितनी राशि का पूंजी निवेश किया जाएगा और इससे विदेशी मुद्रा की कितनी राशि की आय होगी और क्या बंगलौर में प्रस्तावित एक्सल कारखाने से विदेशी मुद्रा की बचत होगी और यदि हां, तो कितनी ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) रेल इंडिया टेक्नीकल एण्ड इकानामिक सर्विसेज लिमिटेड ने अब तक विदेशों को कुल 19 और भारत में 4 प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं, जिनमें से निम्नलिखित परियोजनाएं उन्हें प्रदान की गई हैं :—

परियोजना/स्थान	मूल्य
केरमान और शरगज़ (ईरान) के बीच 326 किलोमीटर लम्बी एक नई लाइन के लिए प्रारम्भिक व्यावहारिकता एवं लागत अध्ययन	163 लाख रियाल (21.45 लाख रुपए)
सीरिया में 3 नयी लाइनों के लिए आर्थिक अध्ययन सहित व्यावहारिकता एवं लागत अध्ययन	11:25 लाख सीरियन पाउंड (24.75 लाख रुपए)
असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक सड़क सहित रेलपुल के लिए प्रारम्भिक सर्वेक्षण	25 लाख रुपए

(घ) रेल इंडिया टेक्नीकल एण्ड इकानामिक सर्विसेज लिमिटेड द्वारा इन परियोजनाओं को पूरा करने में विदेशी मुद्रा का निवेश और उनसे विदेशी मुद्रा की शुद्ध प्राप्ति क्रमशः 1.69 लाख और 21.70 लाख रुपए होने की संभावना है ।

वेंगलूरु में प्रस्तावित पहिया और धुरा कारखाने से विदेशी मुद्रा की बचत होगी । तथापि रे० इं० टे० ई० एस० का सम्बन्ध इस परियोजना से नहीं है । 1975-76 की अवधि में पहिया सेटों, पहियों, टायरों और धुरों का कुल मिलाकर बन्दरगाह तक आयात मूल्य 35 करोड़ रुपए के लगभग रहा है । वर्षानुवर्ष के आधार पर यह बचत उस समय होगी जब रेलवे संयंत्र स्थापित कर देगी और वह अपने संस्थापित क्षमता के अनुसार काम करने लगेगी ।

Strength of Staff and Officers on Eastern Railway

3274. SHRI RAMAVATAR SHASTRI: Will the MINISTER OF RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether there is a ban imposed on the recruitment of ministerial staff since 1962 and even the resultant vacancies caused due to transfers, retirement or deaths of such staff have not been allowed to be filled up;

(b) whether there is no ban on increasing the number of other staff such as line staff, technical staff and officers; and

(c) the number of ministerial staff, other staff and officers on the Eastern Railway in 1973, 1974 and 1975, year-wise ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI BUTA SINGH): (a) A ban both on the recruitment of ministerial staff and on the creation of ministerial posts was imposed in 1960 and has been continuing since then subject to certain modifications notified from time to time. During the years 1969-70 to 1974-75, recruitment against a certain proportion of vacancies—varying from 50% to 75%—was permitted. Moreover, the recruitment rules require that a certain proportion of vacancies be filled by promotion from amongst qualified Class IV staff. Appointments of wards of Railway employees on compassionate grounds and of outstanding sportsmen are also permitted. It is, therefore, not correct that vacancies caused due to wastage in various forms have not been allowed to be filled up.

(b) There is a complete ban on creation of posts chargeable to Grant No. 4, ie., Administration.

Posts chargeable to other Revenue Grants can be created under certain conditions, e.g., if required for the operation and/or maintenance of new Plan assets.

(c)

	1973	1974	1975
Officers	991	1015	1053
Ministerial . . .	19495	19321	19481
Non-Ministerial . . .	183994	185677	181254

कुट्टीपुरम–त्रिचूर रेलवे लाइन के बारे में निर्णय

3275. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या रेल मंत्री कुट्टीपुरम-गुरुवायूर रेलवे लाइन के सर्वेक्षण प्रतिवेदन के बारे में 23 मार्च, 1976 के तारांकित प्रश्न संख्या 203 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सर्वेक्षण प्रतिवेदन कितने समय से रेलवे बोर्ड के विचाराधीन है ।

(ख) वरास्ता गुरुवायर कुट्टीपुरम से त्रिचूर तक रेलवे लाइन बनाने के पक्ष में अन्तिम रूप से निर्णय करने में सरकार को कितना समय लगेगा;

(ग) क्या केरल राज्य सरकार इस लाइन के लिए स्लीपर सप्लाई करने पर सहमत हो गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) सर्वेक्षण-रिपोर्ट जनवरी, 1976 में प्राप्त हो गई थी और उसी समय से जांच की जा रही है ।

(ख) सभी सम्बद्ध पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच की जा रही है। रिपोर्ट की जांच पूरी होते ही इस लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में विनिश्चय किया जायेगा । लेकिन यह अन्य बातों के साथ-साथ संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

लम्बित मामलों को निपटाने के लिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की विशेष बैंचें

3276. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में इस समय लम्बित मामलों को निपटाने में कितना समय लगेगा ;

(ख) क्या लम्बित मामलों को निपटाने के लिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की विशेष बैंचें स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) विभिन्न उच्च न्यायालयों में कितने मामले 25 वर्ष से अधिक अवधि से लम्बित पड़े हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वी० ए० सैय्यद मोहमद) : (क) कोई निश्चित समय बताना संभव नहीं है ।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ग)	मद्रास उच्च न्यायालय	4	31-12-75 को जो स्थिति थी उसके अनुसार आंकड़े ।
	पटना उच्च न्यायालय	2	
	मुम्बई उच्च न्यायालय	3	
	मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय	1	
	कलकत्ता उच्च न्यायालय	22	
	इलाहाबाद उच्च न्यायालय	13	1-7-75 को जो स्थिति थी उसके अनुसार ।

अन्य उच्च न्यायालयों/उच्चतम न्यायालय में ऐसा कोई मामला लम्बित नहीं है ।

तत्कालीन रेल मंत्री के अन्तिम भाषण का प्रकाशित किया जाना

3277. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या तत्कालीन रेल मंत्री श्री एल० एन० मिश्र द्वारा 2 जनवरी, 1975 को समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर तक ब्राडगेज लाइन बढ़ाए जाने का उद्घाटन करते समय जो भाषण दिया गया था, उसका लोगों में प्रचार किया जायेगा ।

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : भाषण का पहले ही व्यापक प्रचार किया गया है ।

विदेशी औषध फर्मों को जारी किये अनुज्ञा-पत्र

3278. **श्री सोमचन्द सोलंकी :** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी औषध फर्मों को कितने अनुज्ञा-पत्र जारी किए गए, कम्पनी का नाम, अनुज्ञा-पत्रों का ब्योरा, संख्या, मदों तथा क्षमता का ब्यौरा क्या है और उनके द्वारा इन मदों में से कितनी बनाई जानी हैं। और आयात तत्व क्या हैं, और

(ख) क्या हाथी समिति की एक उप-समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अनुज्ञापत्रों से उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम का उल्लंघन हुआ है और विदेशी फर्मों को दिए गए सी० ओ० बी० लाइसेंस भारतीय क्षेत्र के एककों के लिए हानिकर हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी): (क) और (ख) विदेशी औषध फर्मों को जारी किए गए अनुमति पत्रों के ब्यौरे औषध एवं भेषज उद्योग पर समिति की रिपोर्ट के अध्याय I/ के अनुबन्ध II में दिए गए हैं जो 8-5-75 को सभा पटल पर रख दी गई थी । अनुमति पत्रों/सी० ओ० बी० लाइसेंसों पर हाथी समिति की उप-समिति की रिपोर्ट, रिपोर्ट के अध्याय I/के अनुबन्ध-III में दी गई है। अनुमति पत्र द्वारा शामिल विषयों में आयात विषय और उत्पादन आंकड़े रखे जाते हैं ।

Foreign monopoly in Railway Bookstalls

3279. SHRI K. M. MADHUKAR: Will the MINISTER OF RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the demand made by All India Railway Book Stall Union that monopoly of foreign companies in the book stalls should be abolished; and

(b) if so, Government's reaction thereto and the action proposed to be taken by Goverument ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI BUTA SINGH): (a) No.

(b) Does not arise.

रेलवे में खोमचों के ठेकों में उप-ठेके

3280. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राय: रेलवे में खोमचों के ठेके उन के धारकों द्वारा नहीं चलाए जाते अपितु वे मासिक आय पर अन्य व्यक्तियों को दे दिए जाते हैं ;

(ख) क्या उपरोक्त प्रथा के परिणामस्वरूप रेलवे प्लेटफार्म पर खोमचेवालों द्वारा बेची जाने वाली खाद्य सामग्री उतनी अच्छी किस्म की नहीं होती जितनी होनी चाहिए; और

(ग) क्या समय समय पर यह सुनिश्चित करने के लिए जांच पड़ताल की जाती है कि इन ठेकों के उप-ठेके न दिए जाएं और यदि हां, तो वर्ष 1974 में विभिन्न जोनों में ऐसी जांच के क्या परिणाम रहे और दोषी व्यक्तियों के मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हां। ऐसे जांच के परिणामस्वरूप वर्ष 1974 के दौरान उत्तर रेलवे और दक्षिण मध्य रेलवे में से प्रत्येक पर एक एक अर्थात् दो ठेके समाप्त कर दिए गए हैं।

कोयला वैगनों में कोयले का लदान

3281. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सरकार को पता चला है कि रेलवे और राज्यों द्वारा संचालित बिजलीघरों सहित विभिन्न उपभोक्ताओं के लिए कोयला वैगनों में लादे जाने वाले कोयले का वजन कम रह जाता है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1975 में ऐसे कितने मामलों का पता चला है और उनमें कितना कोयला कम पाया गया; और

(ग) प्रत्येक मामले में उपभोक्ताओं को कितनी वित्तीय हानि हुई और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि उपभोक्ता को उतनी मात्रा मिले जिसके लिए वह भुगतान करता है।

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) यद्यपि रेलों पर नियमित रूप से ऐसे कोई आंकड़े नहीं रखे जाते तथापि पूर्व रेलवे पर अप्रैल से दिसम्बर 1975 तक की अवधि के दौरान परीक्षण के रूप में जो वजन लिए गए थे उनसे मालूम हुआ था कि तोले गए कोयले के माल डिब्बों में से 19.7 प्रतिशत माल डिब्बों का वजन कम पाया गया था।

(ग) रेलों को यह मालूम नहीं है कि कम वजन के कारण प्रत्येक उपभोक्ता को कितनी वित्तीय हानि हुई।

ये ज़िम्मेदारी कोयला उत्पादक एजेंसियों की है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके ग्राहक जिस कोयले का मूल्य देते हैं उन्हें ठीक उसी किस्म का कोयला मिलता है।

Writing off Bad Debt by I.O.C.

3282. SHRI M. C. DAGA : Will the MINISTER OF PETROLEUM be pleased to state :

(a) whether a sum of Rs. 44·62 lakhs was written off by the Indian Oil Corporation during the years 1969-70 to 1972-73 by way of bad debt; and

(b) if so, the reasons therefor and the names of persons found guilty and whether they have been punished?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF PETROLEUM (SHRI ZIAUR RAHMAN ANSARI) : (a) and (b) Yes, Sir. The matter has also been dealt with in the 73rd Report (Chapter I—Paragraphs 22-24) of the Committee on Public Undertakings (Fifth Lok Sabha) and necessary action is being taken in accordance with the Committee's recommendations.

Cases against Companies Filed in 1974-75

3283. SHRI M. C. DAGA: Will the MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) the names of the companies against which cases were filed in the courts under Company Law in 1974-75; and

(b) the number of companies, out of them, which were punished indicating the nature of punishment given to them and the number of cases in which judgments were passed?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI BEDABRATA BARUA): (a) & (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Completion of Delhi-Ahmedabad Line Conversion into Broad Gauge During Fifth Plan

†3284. SHRI M. C. DAGA: Will the MINISTER OF RAILWAYS be pleased to state:

(a) since when the scheme to convert the metre gauge railway line from Delhi to Ahmedabad into broad gauge line has been pending and when will it be implemented; and

(b) whether this scheme will be completed during Fifth Five Year Plan ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI BUTA SINGH): (a) & (b) Engineering and traffic surveys carried out during 1972-73 for the conversion of Delhi-Ahmedabad MG section into BG have revealed that this project of length 925 kms will cost about Rs. 108 crores. In view of the availability of inadequate funds to complete the works in progress and for which commitments have already been made, it may not be possible to take up this project in the 5th Plan unless there is a marked improvement in the availability of funds for taking up gauge conversion projects.

उधार लाइसेंस व्यवस्था के अन्तर्गत विदेशी औषध कंपनियों द्वारा औषधियों का निर्माण

3285. **श्री खेमचन्द भाई चावडा :** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन मदों के नाम कहीं हैं जो शत प्रतिशत विदेशी औषध कम्पनियां उधार लाइसेंस व्यवस्था के आधार पर अन्य निर्माता कम्पनियों से निर्माण करवा रही हैं और क्या उक्त कार्य के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता होती है और यदि हां, तो उन कम्पनियों द्वारा प्राप्त अनुमति का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान शत प्रतिशत विदेशी कम्पनियों को कितनी-कितनी मात्रा में आयातित तथा सरकारी एजेंसी के माध्यम से मंगाया गया कच्चामाल **उधार लाइसेंस** व्यवस्था के अन्तर्गत फार्मूलेशन सम्बन्धी कार्यों के लिए दिया गया ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) संगठित क्षेत्र में 56 औषध फर्में थी जो अन्य एककों से ऋण लाइसेंस आधार पर उत्पादित अपने कुछ मदों को प्राप्त

कर रही थी जैसा कि 1972 में था। इनमें से 3 कम्पनियों के पास 100% विदेशी साम्यपूंजी है।

औषध एवं सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 के अन्तर्गत ऋण लाइसेंस व्यवस्थाएं अनुमेय हैं तथा इससे देश में प्लांट एवं मशीनरी के अधिकतम उपयोग में सहायता मिलेगी।

(ख) ऊपर बताए गए 3 कम्पनियों के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है एवं सभा पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।

विदेशी कंपनियों को दिया गया आयातित कच्चा माल

3286. **श्री खेमचन्द भाई चावडा :** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) गत तीन वर्षों में आयातित और सरकारी एजेंसियों के माध्यम से शत प्रतिशत विदेशी मंगा कर कम्पनियों को दिए गए कच्चे माल के नाम, मात्रा और मूल्य कितना-कितना है ;

(ख) गत तीन वर्षों में इन कम्पनियों ने औषध 'फार्मूलेशन' के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की और लाभांश, रायल्टी आदि के रूप में कितनी विदेशी मुद्रा बाहर भेजी और इन कम्पनियों की, कम्पनीवार, मूल तथा वर्तमान इक्विटी पूंजी कितनी है ;

(ग) क्या इन कम्पनियों को आयातित तथा सरकारी एजेंसियों के माध्यम से मंगाया गया कच्चा माल उनकी मंजूरशुदा क्षमताओं से अधिक दिया गया है और उन्होंने अधिक उत्पादन करके अपनी लाभ प्रदत्तता में वृद्धि की है आस्तियां बनाई हैं, रक्षित निधियां बनाई गई हैं और लाभांश विदेश भेजे हैं और यदि हां, तो क्या लाइसेंस प्राप्त क्षमताओं के अनुसार आयातित और सरकारी एजेंसियों के अनुसार आयातित और सरकारी एजेंसियों के माध्यम से मंगाये गए कच्चे माल को सीमित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है एवं सभा पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।

किन्ही विदेशी फर्मों द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्रों पर क्षमताओं के पृष्ठांकन के लिए आवेदन-पत्र

3287. **श्री खेमचन्द भाई चावडा :** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय द्वारा घोषित नीति के आधार पर कितनी विदेशी औषध कम्पनियों ने अपने पंजीकरण प्रमाणपत्रों पर क्षमताओं का पृष्ठांकन करने के लिए आवेदन-पत्र दिए हैं और उनके नाम और मदें क्या हैं और उन्होंने कितनी क्षमता के लिए आवेदन-पत्र दिए हैं।

(ख) क्या अनेक कम्पनियों ने पूरे उपयोग के लिए आवेदनपत्र दिए हैं परन्तु सरकार की अनुमति के बिना अनेक 'फार्मुलेशन्स' बनाने आरम्भ कर दिए हैं और अब उन्हें पंजीकरण प्रमाणपत्र में सम्मिलित दिखा रहे हैं ; और

(ग) ऐसे कितने मामलों की जानकारी सरकार को मिली है और क्या सरकार का विचार इन कम्पनियों द्वारा बाहर भेजी जाने वाली विदेशी मुद्रा की छानबीन करने का है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (ग) अब तक 11 विदेशी औषध कम्पनियों ने (40 प्रतिशत से अधिक साम्य पूंजी सहित) अपने पंजीकृत प्रमाणपत्रों पर क्षमताओं को बनाए रखने के लिए आवेदन दिए हैं। बनाए रखने के लिए इन आवेदन पत्रों में संबंधित आंकड़े शामिल हैं जिससे क्षमताओं को निर्धारित करने में सहायता मिलेगी इन मामलों की विस्तृत में जांच की जानी है इस लिए प्रश्न के (ख) और (ग) भागों में मांगी गई सूचना इस समय नहीं दी जा सकती।

शत-प्रतिशत विदेशी औषध कंपनियों को मिलाकर एक कम्पनी बनाना

3288. **श्री खेमचन्द भाई चावड़ा** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने शत-प्रतिशत विदेशी औषध कम्पनियों द्वारा अपनी सहयोगी कम्पनियों को मिलकर एक कम्पनी बनाने के प्रस्तावों पर निर्णय कर लिया है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : 110 औषध कम्पनियों 100 विदेशी साम्य पूंजी धारी हैं। मैसर्स में एण्ड वाकर लि० ने मैसर्स में एण्ड वाकर (इण्डिया) प्रा० लि० के साथ एकीकरण की स्वीकृति के लिए रिजर्व बैंक आफ इण्डिया को आवेदन पत्र भेजा है। यह समझा गया है कि आवेदन पत्र रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के पास लम्बित पड़ा है।

Arrivals of Trains at Delhi and new Delhi

3289. SHRI SHANKAR DAYAL SINGH: Will the MINISTER OF RAILWAYS be pleased to state:

(a) the number of trains which arrived in time, before time and late at Delhi and New Delhi stations respectively from different parts of the country during the period from 1st to 31st January, 1976.

(b) whether most of the trains arrive at Delhi before scheduled time and they have to stop at outer signal; and

(c) if so, whether Government propose to revise the time-table?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI BUTA SINGH): (a) A statement is attached.

(b) No.

(c) Does not arise, but a review of journey time of trains is undertaken at the time of the revision of the Time-Table every six months.

STATEMENT

Statement showing total number of trains arrived right time before time and late at Delhi/New Delhi during January, 1976

Station	*Total No. of incoming trains*	*Right time*	*Before time*	*Late*
Delhi . .	2530	1949	83	498
New Delhi . .	2302	1675	435	192

Doubling of Gaya-Patna Railway Line

3290. SHRI SHANKAR DAYAL SINGH: Will the MINISTER OF RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether any survey was ever of conducted by Government for doubling Gaya-Patna railway line;

(b) if so, the facts thereof and the total expenditure to be incurred thereon; and

(c) whether Government would start work on this line in the coming years?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI BUTA SINGH): (a) No.

(b) Does not arise.

(c) The need for doubling this line on traffic considerations has not been felt and it is, therefore, not proposed to take up this doubling.

औषध कंपनियों में नियुक्त होने वाले सरकारी अधिकारियों के बारे में शिकायत

3291. **श्री नानूभाई एन० पटेल :** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शिकायतें मिली हैं कि सरकार, रसायन मंत्रालय के अनेक उच्चाधिकारी सरकारी सेवा से निवृत्त होने के पश्चात् औषध निर्माता कम्पनियों में नियुक्त हो गए हैं और उनकी नियुक्ति सरकारी सेवा अवधि के दौरान अनुकूल दृष्णिकोण अपनाने का पुरस्कार-मात्र है;

(ख) गत तीन वर्षों में औषध निर्माता कम्पनियों में नियुक्त हुए ऐसे सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों के नाम तथा अन्य ब्यौरा क्या है, अर्थात् वे कौन सी फर्मों में नियुक्त हैं, उनके वेतन और परिलब्धियां क्या हैं?

(ग) क्या सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों ने सरकार से अनुमति लेकर नये पद ग्रहण किए हैं; और

(घ) इन अधिकारियों और कम्पनियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (घ) इस प्रकार की कोई शिकायत केमिकल्स और उर्वरक मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुई है। तथापि गैर सरकारी कम्पनियों में सेवानिवृत्त सिविल कर्मचारियों को रोजगार देना विनियमन के अन्तर्गत आता है जिसके अन्तर्गत ऐसे सेवानिवृत्त सिविल कर्मचारियों को यदि वे सेवानिवृत्ति की तिथि से दो वर्षों की अवधि के अन्तर्गत ऐसा रोजगार स्वीकार करते हैं तो उन्हें सरकार की पूर्ण अनुमति लेनी पड़ेगी। मामलों पर उचित कैडर प्राधिकारियों द्वारा विचार किया जाता है। विभिन्न कम्पनियों में कार्य कर रहे सेवानिवृत्त कम्पनियों के आंकड़े रखे नहीं जाते।

'बल्क' औषधियों के निर्माण के लिए नया फार्मूला

3292. **श्री नानू भाई एन० पटेल :** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय फर्मों से 'बल्क' औषधियों का लगभग 66 प्रतिशत उत्पादन ले लिए जाने के बारे में कोई नया फार्मूला बनाया गया है, यदि हो, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) क्या यह नया फार्मूला भारतीय औषध निर्माता एककों की प्रगति में एक और बाधा उपस्थित नहीं कर रहा है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कोचीन तेल शोधक कारखाने में अशोधित तेल को मध्य समुद्र से नौका द्वारा लाने का सुझाव

3293. **श्री वयालार रवि :** क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने कोचीन तेल शोधक कारखाने के प्रयोग के लिए कोचीन में अशोधित तेल को मध्य समुद्र से नौका द्वारा लाने का कोई सुझाव दिया था; और

(ख) यदि हां, तो यह सुझाव क्या है और यह कहां तक व्यवहार्य है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) अखिल भारतीय आधार पर सभी शोधनशालाओं के प्रयोग के लिए जिसमें कोचीन रिफाइनरीज लि० भी शामिल है के लिए इनटेग्रटिड क्रूड लाइटरेज प्रोग्राम से संबंधित सरकार का प्रस्ताव है। क्योंकि प्रस्ताव के कार्यान्वयन विभिन्न तथ्यों पर निर्भर हैं, इस विषय में अंतिम निर्णय लिए जाने से पूर्व इसमें कुछ समय लगेगा ।

अलाभप्रद रेल लाइनों के सर्वेक्षण संबंधी समिति के प्रतिवेदन पर पुनर्विचार

3294. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या अलाभप्रद रेल लाइनों के सर्वेक्षण संबंधी समिति के प्रतिवेदन के प्रस्तुत किए जाने के समय से लेकर अब तक उपलब्ध हुए नए आंकड़ों के प्रकाश में इस प्रतिवेदन पर पुनर्विचार किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : समिति की रिपोर्ट की समीक्षा का कोई प्रस्ताव नहीं है लेकिन, अलाभकारी रेलवे लाइनों के काम-काज की समय-समय पर समीक्षा की जाती है ।

हावड़ा–शिखाला रेलवे के लिए भूमि

3295. **श्री शंकर नारायण सिंह देव :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार हावड़ा-शिखाला रेलवे के लिए भूमि देने पर सहमत हो गई थी;

(ख) क्या यह भूमि उपलब्ध करा दी गई है ;

(ग) इस रेल लाइन पर अब तक किए गए कार्य का ब्योरा क्या है; और

(घ) यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) भूमि अधिग्रहण के लिए कदम उठाए गए हैं।

(ग) लाइन के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो गया है और भूमि अधिग्रहण के बाद उपलब्ध सीमित साधनों के अंतर्गत निर्माण का काम प्रारम्भ किया जाएगा।

(घ) यह काम प्रारम्भ होने की तारीख से 3 वर्षों में पूरा हो जाने की संभावना है।

सियालदह स्टेशन को नया रूप देना

3296. **श्री शंकर नारायण सिंह देव :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सियालदह स्टेशन को नया रूप दिया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो अद्यतन कितना कार्य किया गया है; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) वर्ष 1960-61 में सियालदह स्टेशन के ढांचे में परिवर्तन का कार्य शुरू किया गया था, जिसके तीन चरणों में से दो चरणों में यार्डके

ढांचे में परिवर्तन का काम था और रूट रिले अन्तर्पास केबिनों की व्यवस्था का कार्य पहले ही पूर्ण हो चुका है। तीसरे चरण का सभी कार्य अर्थात् रेल डाक सेवा वेतन और रोकड़ कार्यालय का निर्माण, प्लेटफार्मों को ऊंचा करने और फर्श बिछाने आदि का कार्य भी पूरा हो चुका है और उनका उपयोग किया जा रहा है सिवाय स्टेशन की नई इमारत का निर्माण जिसे बाद में पूरा किया गया है।

(ग) निर्माण का सारा काम वर्ष 1977–78 के दौरान पूरा हो जाने की संभावना है।

राष्ट्रीय रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति का पुनर्गठन

3298. **श्री एस० एम० सिद्दय्या :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्यों के नाम क्या हैं?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें मांगी गई सूचना दी गई है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–10778/76]

औषधियों के अधिक मूल्य वसूल किए जाने के बारे में शिकायतें

3299. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय की कुछ शिकायतें मिली हैं कि औषधियां आसानी से नहीं मिल रही हैं और खुदरा विक्रेताओं द्वारा उपभोक्ताओं को किसी न किसी बहाने से निर्माताओं द्वारा लेबल पर अंकित मूल्यों से बहुत अधिक मूल्य पर बेची जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कोई कार्यवाही करने का है ताकि उपभोक्ताओं को निर्धारित मूल्य पर औषधियां मिल सकें?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) औषधों की अत्यधिक अथवा सामान्य कमी की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि कुछ अलग-अलग दवाइयों की कमी की शिकायतें समय-समय से राज्य औषध नियंत्रक से प्राप्त होती हैं। औषधों की पर्याप्त सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए कमी/उपलब्धता की रिपोर्टों का पुनरीक्षण करने के लिए मंत्रालय में आवधिक रूप में बैठकें की जाती हैं। जब कभी कमी के बारे में सरकार को पता लगता है तो संबंधित निर्माताओं के साथ मामला उठाया जाता है और उन्हें सलाह दी जाती है कि ऐसी आवश्यकताओं को अतिआवश्यकता के आधार पर पूरा करें।

औषधों के मूल्य औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1970 के अन्तर्गत सांवधिक रूप में नियंत्रित हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इस बात की भी व्यवस्था है कि कोई भी फुटकर विक्रेता केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत फुटकर मूल्य से अधिक मूल्य पर सूत्रयोगों को उपभोक्ताओं को नहीं बेचेगा। औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1970 की संबंधित व्यवस्थाएं 7 मार्च 1975 की अधिसूचना द्वारा संशोधित की गई हैं जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि कोई भी फुटकर विक्रेता किसी सूत्रयोग को केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत सूची में अंकित मूल्य अथवा सूत्रयोग की डब्बी पर लगाई गई लेबल पर मूल्य से जो भी कम हो उससे अधिक पर नहीं बेचेगा। ये व्यवस्थाएं पहली मई 1975 से पहले ही लागू की गई हैं।

कुछ पेटेंट अथवा स्वामित्व प्राप्त वाली दवाइयों पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि के परिणामस्वरूप 16 मार्च 1976 से मेडीसीनल दवाइयों जिसमें शराब नारकोटिकस और नारकोटिक औषध शामिल

है उनके लिए निर्माताओं को संबंधित उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों द्वारा लगाई गई उत्पाद शुल्क की अतिरिक्त मात्रा तक वर्तमान फुटकर मूल्यों को संशोधित करने की अनुमति दी गई है। निर्माताओं से कहा गया है कि वे अपने विक्रेताओं, थोक विक्रेताओं अथवा फुटकर विक्रेताओं के जरिए यह सुनिश्चित करें कि उपभोक्ताओं को बिक्री के लिए वास्तविक सामग्री देने से पहले संशोधित मूल्य सूची में प्रकाशित मूल्यों के अनुसार नए मूल्यों को दवाई और मेडीसीनल दवाइयों के बाहरी पैकेटों पर पर्चियां लगा कर नए मूल्यों को प्रदर्शित करें।

बाम्बे हाई के लिए एक नया ड्रिलिंग पोत प्राप्त किया जाना

3300. **श्री राम भगत पासवान :** क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बाम्बे हाई के लिए एक और नया ड्रिलिंग पोत प्राप्त करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी औषध कम्पनियों के लाभांशों पर रोक

3301. **श्री राम भगत पासवान :** क्या **रसायन और उवर्रक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में विदेशी औषध कंपनियों द्वारा घोषित किए गए लाभांशों पर प्रतिबन्ध लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उवर्रक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) कम्पनी (लाभांशों पर अस्थाई प्रतिबन्ध) अधिनियम 1974 जो 6-7-74 को 2 वर्षों के लिए बनाया गया था अन्य बातों के साथ-साथ कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत की गई कंपनियों पर भी लागू होगा। बाद में यह अधिनियम जनवरी 1975 को संशोधित किया गया था जिससे उपरोक्त अधिनियम में उल्लिखित प्रतिबन्धों की अधिकता में कंपनियों को लाभांश घोषित करने में समर्थ बनाया जा सके जबकि अधिक लाभांश का भुगतान 8 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से दो समान वार्षिक किश्तों में ब्याज सहित किया जाएगा। तथापि अधिनियम की अवधि को नहीं बढ़ाया गया था।

अशोधित तेल के आयात के लिए सऊदी अरब के साथ समझौता

3302. **श्री पी० गंगा रेड्डी :** क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में अशोधित तेल के आयात के लिए सऊदी अरब के साथ समझौते का नवीकरण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस देश से कितने अशोधित तेल का आयात करने का प्रस्ताव है; और

(ग) उसका भुगतान किस प्रकार किया जाएगा ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी): (क) से (ग) : 1976 के दौरान 1.1 मि० मी० टन कच्चे तेल की सप्लाई के लिए इंडियन आयल कारपोरेशन तथा सऊदी अरब की पेट्रोमिन के साथ एक समझौता किया गया है। विदेशों से इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा खरीदा की जाने की वाणिज्यिक शर्तों का न बताना एक स्वीकृति प्रथा है।

रेल मार्ग में खराबी का पता लगाने का उपकरण

3303. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मार्ग में खराबी का पता लगाने के उपकरण का विकास किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां। भारतीय रेलों पर उपयोग के लिए रेल-पथ रिकार्डिंग कारों रेल-पथ दोष मापी ट्रालियों तथा पटरियों के दोष संसूचकों का विकास किया गया है।

(ख) भारतीय रेलों के महत्वपूर्ण मार्गों पर वाहन भार के अन्तर्गत रेल पथ के आमान, पार समतलता, असमतलता, घुमाव और संरेखण की माप और रिकार्ड करने के लिए रेल पथ रिकार्डिंग कारें, जिनमें इलेक्ट्रानिक/यांत्रिक उपकरण लगे होते हैं, अब देश में ही बनाई जा रही हैं, चलाई जाती हैं। हाल में, सामान्य नीरीक्षणों के दौरान रेल पथ मापने में फील्ड कर्मचारियों को सहायता देने के लिए साधारण अभिकल्प की रेल-पथ दोष मापी ट्रालियों का विकास किया गया है और उन्हें भारतीय रेलों पर प्रयोगात्मक रूप में उपयोग में लाया जा रहा है। रेल फ्ला डिटक्टरों की पटरियों की जांच करने तथा ऐसे दोषों को खोजने जो आंखों से दिखाई नहीं देते, के लिए उपयोग किया जा रहा है। इनका विकास सरकारी क्षेत्र के उद्योग मैसर्स इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। और एक प्रोट्रोटाइप उपकरण का परीक्षण किया जा रहा है।

'कामन सिविल कोड'

3304 **श्री एन० ई० होरो :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संविधान के उपबंधों के अनुसार सभी नागरिकों के लिए एक 'कामन सिविल कोड' बनाने का है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जाएगा; और

(ग) क्या इस बारे में किसी समुदाय ने कोई विरोध प्रकट किया है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वी० ए० सेयद मोहम्मद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी हां।

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्युटिकल्स लिमिटेड का पुनर्गठन

3305. **श्री राम सहाय पाण्डे :** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकार का विचार इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्युटिकल्स लिमिटड को मान्यता देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स ने पूंजी के पुनर्गठन, अल्पावधि ऋणों को दीर्घावधि ऋणों में परिवर्तित करने, ऋणों की पुनः अदायगी में विलम्ब आदि से संबंधित कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। य अभी परीक्षाधीन हैं।

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्यमंत्री (श्री के० रघुरामैया) : कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा सामान्यत: 4 बज समाप्त होनी थी। परन्तु सदस्यों की लम्बी सूची के कारण आज सभा 7.30 तक बैठेगी।

सभा पटल पर रखे गए पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : डा० वी० ए० सैइद यहां पर नहीं हैं। मुझे उनकी ओर से पत्र सभा पटल पर रखने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

सीमाशुल्क अधिनियम, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमों तथा दिल्ली विक्रय-कर अधिनियम के अधीन अधिसूचनाएं।

राजस्व तथा बैंकिंग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : मैं निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूं :

(1) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 583 जो दिनांक 24 अप्रैल, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० सां० नि० 584 जो दिनांक 24 अप्रैल, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० सां० नि० 585 जो दिनांक, 24 अप्रैल, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा० सां० नि० 586 जो दिनांक 24 अप्रैल, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 10767/76]

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 587 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 24 अप्रैल, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 10768/76]

(3) दिल्ली विक्रय कर अधिनियम, 1975 की धारा 72 के अन्तर्गत दिल्ली विक्रय-कर (तीसरा संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 24 अप्रैल, 1976 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 4/25/76–फिन० (जी०) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 10769/76]

एकाधिकारी तथा निर्बन्धनकारी व्यापारिक व्यवहार आयोग के प्रतिवेदन तथा दो वक्तव्य

श्री वेदव्रत बरुआ : मैं निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूं :

(1) एकाधिकारी तथा निर्बन्धनकारी व्यापारिक व्यवहार अधिनियम 1969 की धारा 62 के अन्तर्गत एकाधिकारी तथा निर्बन्धनकारी व्यापारिक व्यवहार आयोग के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति :—

(एक) उक्त अधिनियम की धारा 22(3) (ख)के अन्तर्गत मैसर्स बल्लारपुर पेपर एण्ड स्ट्रा बोर्ड मिल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के मामले में प्रतिवेदन तथा उस पर केन्द्रीय सरकार का 28 फरवरी, 1976 का आदेश ।

(दो) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 22(3) (ख) के अन्तर्गत मैसर्स रैलिस इण्डिया लिमिटेड, बम्बई के मामले में प्रतिवेदन तथा उस पर केन्द्रीय सरकार का दिनांक 9 फरवरी, 1976 का आदेश।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदनों तथा उन पर सरकार के आदेशों के हिन्दी संस्करण साथ साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले दो विवरण।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 10770/76]

रेलवे रैड टैरिफ (चौथा संशोधन) नियम, 1976

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : मैं भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 47 के अन्तर्गत जारी किए गए रेलवे रैड टैरिफ (चौथा संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो दिनांक 24 अप्रैल, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 601 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 10771/76]

अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) संशोधन विधेयक

ADDITIONAL EMOLUMENTS (COMPULSORY DEPOSIT) AMENDMENT BILL

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम 1974 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री एस० एम० बैनर्जी (कानपुर) : मैं इस संशोधन विधेयक का विरोध करता हूं । ये व्यवस्था मूल्य वृद्धि रोकने के लिये की गई थी । अप्रैल 1976 से सभी वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि शुरु हो गई है । सब्जियों तथा तेलों के मूल्य में बहुत वृद्धि हुई है । संसदीय सदस्यों का निर्वाह नहीं होना था अतःएव उन्हें 500 रुपये अतिरिक्त मंजूर किये गये । परन्तु कर्मचारियों को उनका पूरा मंहगाई भत्ता नहीं मिल रहा । जीवन निर्वाह सूचकांक इस प्रकार से तैयार किया जा रहा है कि भविष्य में मंहगाई भत्तें में वृद्धि की कोई सम्भावना नहीं है । दो मामले विचराधीन हैं; एक कर्मचारियों को देय छठी किश्त तथा दूसरे पेंशनरों की

उपलब्धियां में वृद्धि । पेंशनरों के बारे में तो कार्यवाही की गई है परन्तु छठी किश्त का कोई निर्णय नहीं लिया गया । कर्मचारियों के वास्तविक वेतन में कमी आई है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह किसी सरकारी रिपोर्ट के आधार पर कह रहे हैं ।

श्री एस० एम० बैनर्जी : यह विभिन्न अर्थ शास्त्रियों का मत है जो कि विभिन्न आयोगों के सदस्य थे । यदि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर ध्यान दें तो पता चलता है कि कर्मचारियों की क्रय शक्ति गिर गई है । मूल्य गिरने का भी एक यही कारण है कि क्रय क्षमता गिर गई है ।

50 प्रतिशत कर्मचारी जीवन निर्वाहांक से कम पर निर्वाह कर रहे हैं। कर्मचारियों को और महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा है । जो मंहगाई भत्ता उन्हें मिल रहा है उसका भी 50 प्रतिशत जमा कर दिया जाता है।

जब यह कदम पहले पहल उठाया गया था तब हमने इसका समर्थन किया था । हमने कर्मचारियों को समझाया कि अपने खर्च कम करके देश हित को प्राथमिकता दें । अब उन्हें छठी किश्त देने के स्थान पर यह विधेयक लाया गया है ।

हम केवल विरोध के लिये इसका विरोध नहीं कर रहे हैं । इस कार्यवाही से प्रतिक्रियावादी तत्वों को वेतन भोगी कर्मचारियों से यह कहने का अवसर मिलेगा कि सरकार उनका खून नोच रही है ।

कई आश्वासन दिये गये थे कि यह क़दम कुछ समय के लिये उठाये जा रहे हैं । हर वर्ष इसे लाना उचित नहीं है । इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : हमारी भी कर्मचारियों की भलाई में रुचि है । मैं समझता हूं कि इन उपायों से न केवल कर्मचारियों अपितु समग्र देश का हित हुआ है । उसे दृष्टि में रख कर हम इसे एक वर्ष के लिये और बढ़ा रहे हैं ।

माननीय सदस्य द्वारा उठाई कई बातों को विधेयक पर विस्तार पूर्वक चर्चा के समय ध्यान दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम, 1974 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ :

The Lok Sabha divided :

पक्ष में AYES	}	154
विपक्ष में NOES	}	16

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

अनुदानों की मांगे, 1976-77—जारी

DEMAND FOR GRANTS, 1976-77—*Contd.*

कृषि और सिंचाई मंत्रालय—जारी

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास बहुत से नाम हैं । मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि 10 मिनट में अपनी बात कहें ।

डा० के० एल० राव (विजयवाड़ा) : हमें मानसून की प्रतिपूर्ति नामन कार्यक्रम को पूरा करना है । हमें तीन चार वर्षों से खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए । यह कार्य उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में किया जा सकता है जहां भूमि पर तथा भूमिगत जल प्रचूर मात्रा में है जहां उत्पादन लागत बहुत सस्ती है, जहां भूमि उपजाऊ है और जहां पहले ही कुछ कार्य हो चुका है । यदि हम इन क्षेत्रों में एक मुश्त कार्य आरम्भ करेंगे तो हम देश की आवश्यकता पूरी कर सकते हैं ।

हमारे देश में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां सूखा पड़ता है । हमें इन क्षेत्रों में सिंचाई की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए । परियोजना पर अन्य राज्यों में 2500 प्रति एकड़ है जबकि उत्तर प्रदेश में 1000 रुपए प्रति एकड़ है । तमिलनाडु कम भूमि से अधिक उत्पादन कर पाता है । इसका कारण यह है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई के अंतर्गत भूमि 16 प्रतिशत है जबकि तमिलनाडु में 90 प्रतिशत है। पालमू, रेवा, मिर्जापुर, शाहबाद, गया आदि कई सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं । हमें सामान्य सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई परियोजनाओं को आरम्भ करना चाहिए । यदि तलिया जल का रुख गया जिले की ओर मोड़ दिया जाये तो उस क्षेत्र को सूखे से बचाया जा सकता है । यह कार्य कई वर्षों से वैसे ही लटका हुआ है । इस पर तत्काल कार्य प्रारम्भ किया जाना चाहिए ।

कहा गया है कि शताब्दी के अंत तक विश्व की जनसंख्या दुग्नी हो जायेगी । अतः हमारा बड़ा उत्तरदायित्व है क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत अधिक है । जिन देशों के पास अच्छी भूमि तथा सिंचाई के साधन है उन्हें अपना अनाज स्वयं पैदा करना चाहिए । भारत भी इसी वर्ग में आता है । हमें अनाज में आत्म निर्भर बनना चाहिए।

लघु सिंचाई कार्य को कृषि के अंतर्गत लिया जाना चाहिए ताकि समुचित रूप से समन्वय रखा जा सके ।

गंडक परियोजना एक श्रेष्ठ परियोजना है । यदि यह सफल नहीं होती तो संसार की कोई परियोजना सफल नहीं हो सकती । कोसी की भी वही स्थिति है । उस पर पर्याप्त धन व्यय हो चुका है क्योंकि हम राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं । मंत्री महोदय विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति पर ध्यान रखें।

राजस्थान नहर का कार्य भी कई वर्षों से रुका पड़ा है । मुझे खुशी है कि इस वर्ष इसके लिये धन आवंटित दिया गया है । हमारी नीति यह होनी चाहिए कि भविष्य में किसी भी परियोजना पर 10 वर्ष से अधिक समय न लगे।

हमारी नहरों के निर्माण डिजाइनों में कुछ भी सुधार नहीं हुआ । हम पुराने नियमों का ही पालन कर रहे हैं जिनमें बहुत से सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होती है।

जो इंजीनियर किफायत के लिए प्रयास करते हैं उन्हें कोई दुर्घटना होने पर दण्ड न दिया जाय क्योंकि इससे वे नए प्रयोग नहीं कर सकेंगे । उन्हें पर्याप्त प्रोत्साहन मिलना चाहिये । मैं चाहता हूं कि परियोजना व्यय कम होना चाहिये क्योंकि इसमें 10 गुना वृद्धि हो चुकी है ।

हमें गति-समय संबंधी अध्ययन करना चाहिये और सिर पर बोझा उठाया जाना रोका जाना चाहिये । इससे कुशलता बढ़ेगी और नए तथा आसान तारीके से कार्य पूरा किया जा सकेगा और हम देश की जनक्षति का सर्वोत्तम उपयोग कर सकेंगे ।

कोसी तटबन्ध निर्माण में आरंभ में जनता ने काफी उत्साह दिखाया था परन्तु बाद में कुछ अड़चनें आने से वह उत्साह ठंडा पड़ गया । हमें असफलताओं और बाधाओं से घबराना नहीं चाहिये । अब तो छः मास या एक वर्ष की समाज सेवा अनिवार्य बनाने में कोई हर्ज नहीं है ।

अन्त में मैं यही कहूंगा कि यदि खाद्य और ऊर्जा की अच्छी नीव हम डाल सकें तो हमारा भविष्य उज्जवल बन सकेगा और आने वाली पीड़ियां हम पर गर्व कर सकेंगी।

PROF. SHER SINGH (Jhajjar) : Agriculture is not only the biggest industry but also a primary industry in the country. In many countries it is known as such but strongly enough it is not even recognised as an industry in our country.

Out of 40 crores of people who are engaged in agriculture or are dependent thereon, about 50 per cent are small or marginal farmers but their total holdings are less than 9 per cent of land under the plough. Agriculture needs investment but during the last plans this has been very insignificant. These small and marginal farmers have became agricultural labourer due to lack of finance, incentives and attention.

Farmers have no capital because he has to sell out 50 per cent of his return in the form of direct or indirect taxes. Moreover he has to sell his produce to the middleman at cheap prices who corners the gains himself.

It is essential to study the cost of production in respect of agricultural produce. Capital formation is as essential for agriculture as it is for industries.

Regarding agricultural input, water is most essential for crops and therefore irrigation should be ensured.

Though we have entered the third year of the Fifth Plan we have not yet achieved even 40 per cent of the target for irrigation of 620 lakh hectares of land. The pace of work has to be stepped up. Similarly, Command Area development has also to be quickened.

The hon. Minister deserves congratulation for resolving various river water disputes, but I have not understood how the waters of rivers Beas and Ravi have been distributed equally between Punjab and Haryana and 0·2 million acre feet has been allotted to Delhi ? I may point out that according to the decision of the Committee on use of land and water resources, constituted in 1965, Haryana should get at least 65 per cent of Beas and Ravi waters. Taking into consideration the availability of ground water in these two States. Haryana should get 90 per cent of these waters. Therefore, allotment for Haryana should be between 90 and 65 per cent. It is said that Haryana has made much progress in agriculture but according to the Economic Survey, agricultural production has gone down during the last five years. On account of not getting sufficient water in Haryana the production decreased.

In rural areas more employment can be provided by developing animal husbandry and Cottage industries, but proper attention has not been paid towards that. In tribal areas employment can be provided by aforestation.

SHRI D. N. TIWARY (Gopalganj) : I congratulate the Minister of Agriculture for making the Country self sufficient in food and resolving most of the river water disputes and now water is being used for irrigation purpose.

Seepage in the Gandak Canal area should be stopped immediately because it is doing great harm.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

THE DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

The affairs in I.C.A.R. are not normal. False dates are prepared there and those who are at the helm of all this get credit for the same. Those who tried to refute the claims made by Shri Swaminathan were victimised and those who supported him were promoted. I doubt that only on account of this corruption Dr. Shah committed suicide.

Now the question is how to stop this scientific corruption and the disappointment prevelent among the scientists working under Shri Swaminathan. I will request the hon. Minister to take necessary step in this direction and dismiss Shri Swaminathan.

More Forest Officers should be posted in Bihar.

श्री भालजीभाई परमार (दोहद) : प्रतिवेदन से पता चलता है कि खाद्यान्नों के भाव गिरे हैं तथा आशा है हम आत्मनिर्भर हो जायेंगे, परन्तु फिर भी 1975 में 74.7 लाख मी० टन अनाज का आयात किया गया जब कि 1974 में 48.74 लाख मी० टन और 1973 में 36.14 लाख मी० टन का आयात हुआ था । जनसंख्या की अधिकता के कारण ही ऐसा हुआ है, पर आशा है परिवार नियोजन के द्वारा, खाद्यान्न के आयात को कम करने में काफी सहायता मिलेगी ।

इस वर्ष मेरे राज्य गुजरात में भी खाद्यान्न की स्थिति काफी अच्छी है । इस वर्ष 50,000 मी० टन गेहूं का उत्पादन हुआ । यह एक रिकार्ड है ।

भूमिहीन लोगों को शीघ्र ही भूमि का अधिकार दिया जाय, क्योंकि इसमें देरी करना उन्हें लाभ से वंचित करना है ।

अन्तर्राज्यीय जल विवादों को शीघ्र हल किया जाए । मैं केंद्रीय मंत्री महोदय तथा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात के प्रतिनिधियों द्वारा अपनाए गये इस रुख की प्रशंसा करता हूं, कि उन्होंने गुजरात को करजन, हेरान राभी और सुभी परियोजनाओं को शुरू करने की अनुमति दे दी है ।

गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में अनेकों गावों में पीने के पानी का अभाव है । केंद्र सरकार इसके लिए राज्य को विशेष अनुदान द ।

सूखाग्रस्त क्षेत्र में भूमि का समुदाय कर उस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को सुधारा जाए ।

ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण आहार का कार्यक्रम ठोस रूप में संगठित किया जाए । सरकार आदिवासियों की ओर विशेष ध्यान दें जो आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक पिछड़े हुए हैं ।

SHRI DARBARA SINGH (Hoshiarpur): Our whole economy depends on agriculture. During the last two years due to lack of rain and water there was less production but in the absence of strikes we had political stability.

Now our situation has improved and we are importing lesser food-grains. Procurement is more than the target. But the storage capacity is only 7 million tonnes we should have buffer stock of 15 million tonnes for difficult times. The storage capacity should therefore, be increased.

Wheat production has increased. This happened due to improvement in irrigation facilities. We should pay more attention towards this side so as to keep the pace of production.

The recommendations of the National Agriculture Commission should be implemented.

It is good that the almost all the water disputes have been resolved.

Emergency has brought discipline among us. Prices have come down, inflation has been removed and factories are working smoothly. The prices of finished goods should also be brought down so that the farmers may get the things of their requirements at reasonable prices. Agricultural produce of the farmers should be brought by the government direct and wastage and handling charges should be minimised.

Land reforms have not been fully implemented. They should be implemented with utmost care. Nationalised Banks should be asked to advance loans to the small farmers. The procedure of advancing loan should be simplified.

Agriculture Industries Complex should be started to give employment to unemployed.

Their Dam should be given clearance. It will provide water to Punjab, Haryana and Rajasthan.

With these words I support the demands of the Ministry.

SHRI BIBHUTI MISHRA (Motihari) : Land should be made national property. The farmer should get reasonable price of his produce.

The Gandak Canal is not a pucca one and as such it results in great seepage and water logging. This difficulty should be removed.

Land revenue and water rates have been raised with the result that the cost of production to be borne by the farmer has also been increased considerably. No land revenue is being charged so far on homestead land but now that land is being given to Harijans and Government is charging land revenue on those lands. The Government should therefore, withdraw land revenue on these lands. At the same time I may submit that the legislation regarding land reforms should be earnestly implemented.

The sugar factories still owe a large amount of payments to farmers and therefore it is requested that government should do the needful to ensure that farmers get their due arrears at the earliest. The defaulting factories should be taken over by the Government, if necessary.

Regarding jute production I am sorry to point out that it is going down because jute growers are not getting adequate price for their produce. My humble suggestion is that jute should exclusively be put under the control of agricultural Ministry.

SHRI GENDA SINGH (Padrauna) : More attention should be paid to the preservation of our cattle wealth. The Government should initiate steps for opening more veterniary hospitals. Steps for setting up Gobar gas plants in rural areas should be expedited.

The problem of rural indebtedness is still there and poor farmers have to mortgage their lands to meet their financial needs. Something must be done to relieve the farmers from the clutches of money lenders.

The agricultural labourer is not being paid a fair wage according to law. Measures should, therefore, be taken to see that the agricultural labour is paid full wages.

The Community Development organisation has become lifeless and it should, therefore, be revitalised. Attention should be paid to those voluntary organisations which have worked in this field.

About Rs. 200 crores have been spent by Governnment on Gandak canal Scheme but still that project has not been completed. Steps should be taken to complete that task. The funds allotted for the command area development are too inadequate.

The sugar cane growers in UP and Bihar are victims of exploitation by mill owners. Something must be done to relieve them from the hardships they were undergoing due to their exploitation by sugar industrialists.

SHRI ANANT PRASAD DHUSIA (Basti) : About 18 crores and 17 lakhs of hectares of hilly land is lying useless. If, with the help of science and technology, this large tract of land

could be used for agricultural purposes, our food problem could be solved to a large extent and the unemployment in that part of country would also be removed. It is a serious matter that no attention is being paid to utilise such a vast tract of land.

The land distribution system that had been adopted in our country, is quite old. 60 per cent of land is being held by big Jamindars, 35 per cent by affluent farmers and there is only 5 per cent of land that is cultivated by marginal farmers. In no other country, there was such a great disparity. The Minister should throw some light on this question, Unless land is equitably distributed, poverty could not be removed. The poorest man should be considered as a centre for the purposes of all kinds of development.

All rivers should be nationalised and they should be brought out of the control of the State Governments and put under the jurisdiction of the Central Government with a view to avoid all disputes regarding water.

SHRI NATWARLAL PATEL (Mehsana) : Agriculture should be regarded as an industry because 80 per cent of our population depends upon agriculture. Farmers have to depend on vagaries of nature for irrigating their crops. Therefore, in a State like Gujarat more efforts should be made for providing better irrigation facilities.

The Narmada project will be beneficial not only to Gujarat but even to other States and the entire country. As the Narmada water dispute is pending before the tribunal, it is hoped that the tribunal will soon give their report and solve the whole problem.

The Ministry of Agriculture deserved congratulations for making an announcement to procure wheat at the rate of Rs. 105 per quintal. It will provide aremunerative price to farmers and so, this action is a welcome one. But the Agricultural Prices Commission must include one representative of farmers also.

The farmers very much needed fertilisers for cultivation and so, the present prices of fertilisers should be considerably reduced, so as to enable them to make good use of the same.

We thought the prices of urea would be reduced by Rs. 600—800, but in fact these have been reduced by only Rs. 100/-. The farmers very much need fertilizers for cultivation and so the present prices of fertilizers should be considerably reduced if agricultural economy is to be strengthened.

Whenever there is reduction in the prices of fertilizers, it effects the cooperatives very much because these societies handle their distribution. It is a great problem. If you want that distribution of fertilizers must be made through cooperatives, these should be saved otherwise they will be closed down.

SHRI MANI RAM GODARA (Hissar) : I rise to support the demands for grants pertaining to Ministry of Agriculture. About one fourth of the total budget expenditure is incurred on agriculture but it appears that there is no intention to bring about the all-round welfare of agriculturists. The Agricultural Prices Commission fixes the prices of agricultural produce without taking a sympathetic view of the problems and difficulties faced by farmers. These prices have never been fixed with a view to benefit the farmers.

Whereas prices of cars, airconditioners, refrigerators and T.Vs. have been reduced, the prices of tractors and other agricultural implements have not been reduced. Their prices have been increased and it has affected the agriculturists very much. These are manufactured within the country and their prices can be reduced specially when the prices of cars and other things have been reduced.

SHRI RAM CHANDRA VIKAL (Bagpat) : It is wrong to think that farmer has become prosperous. He has to experience many difficulties and his condition is not still as it should be. He is not in a position to purchase pumping set and other machineries required by him. This will have an adverse effect on our agricultural production.

Procurement prices of wheat has been fixed at Rs. 105/- per quintal. But the farmer is not getting this price for his produce. Steps should be taken to ensure that the farmer gets the procurement price fixed by the Government.

Prices of foodgrains which prevailed at the time of crop, have incresased afterwards. This is because of middlemen.

We should encourage tree plantation. Trees should be planted on river banks and road sides. Also we should increase our forest wealth.

A number of assurances have been given by Government in regard to introduction of crop insurance and cattle insurance. But these assurances are not being implemented. Crop insurance and cattle insurance should be introduced.

The border dispute among Haryana, U.P. and Delhi should be settled early, because this dispute is not allowing proper cultivation of land in border areas.

Sugar mill owners are not paying money due to cane-growers. There is accumulation of dues amounting to crores of rupees and no interest is paid to farmers. Steps should be taken to see that farmers get the money due to them.

The Government acquire land for urbanisation and other purposes. As far as possible acquisition of cultivable land should be avoided. Such land should be acquired only if it is very essential to do so. Also land should be acquired after the crop is harvested.

[श्री भागवत झा आजाद पीठासीन हुए
MR. BHAGWAT JHA AZAD *in the Chair*]

Farmers is the back bone of the country's economy. We must keep the interests of farmer in mind. It will be in the interest of nation. With these words I support the demand.

कृषि और सिंचाई संत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : यह बहुत प्रसन्नता की बात है कि देश ने खाद्य उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त कर ली है और अब हम फालतू स्टाक बनाने का प्रयास कर रहे हैं ।

हमारी जनसंख्या का 80 प्रतिशत लोग खेती का काम करते हैं। इनमें किसान--छोटे और सीमांत तथा खेतिहर मजदूर शामिल हैं । कई सदस्यों ने देश में छोटे और मध्यम किसानों की समृद्धता के लिये चलाई जाने वाली योजनाओं का उल्लेख किया गया है । इन योजनाओं का उद्देश्य हमारे छोटे और सीमांत किसानों तथा खेतिहर मजदूरों में समृद्धता लाना है । पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 200 करोड़ रुपए की राशि छोटे किसानों के लिए बनाये गये 160 विकास अभिकरणों के लिये अलग रखी गई है और इसमें लघु सिंचाई के विकास पर मुख्य रूप से बल दिया जायेगा । आशा की जाती है कि इन पांच वर्षों के दौरान 50 लाख हेक्टेयर भूमि लघु सिंचाई के अन्तर्गत लाई जायेगी।

हमने 75 लाख छोटे और सीमांत किसान तथा खेतिहर मजदूरों का पता लगाया है । इन लोगों को छोटे किसानों के विकास के लिये बनाई गई अभिकरण योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त होगा । इन योजनाओं में राज सहायता दी जायेगी । ये योजनायें लोकप्रिय हैं और लोग इनसे पूरा-पूरा लाभ उठा रहे हैं । अभी तक 2.87 लाख लोगों को लघु सिंचाई योजनाओं से लाभ हुआ है, 1.53 लाख डेरी उद्योग से लाभान्वित हुए हैं, 10,000 लोगों ने मुर्गीपालन उद्योग से लाभ उठाया है, 23 लाख लोगों ने कृषि योजनाओं से लाभ उठाया है और हमने छोटे और सीमांत किसानों तथा खेतिहर मजदूरों को 110 करोड़ रुपये की राज सहायता दी है।

सूखा पड़ने वाले क्षेत्रों के विकास को महत्ता देने के संबंध में भी उल्लेख किया गया है । हमने उन सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में 74 परियोजनाओं का चयन किया है तथा उन योजनाओं पर काम हो रहा है । इन परियोजनाओं में हम लघु सिंचाई, मुर्गीपालन, डेरी फार्मिंग, पर बल दे रहे हैं । रेशम उत्पादन कुछ क्षेत्रों में बहुत लोकप्रिय तथा सफल हुआ है । छोटे और सीमांत किसान इस काम को कर रहे हैं। हमें सूखा पड़ने वाले क्षेत्रों के लिये विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से भी सहायता मिल रही है।

सरकार आदिवासी लोगों की ओर भी विशेष ध्यान दे रही है । हमने आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए 8 बड़ी परियोजनाएं बनाई हैं और प्रत्येक परियोजना में हम 2 करोड़ रुपया व्यय करेंगे । इससे उन्हें खेती, पशुपालन, बागवानी और मछली पालन के कार्य में सहायता मिलेगी ।

पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए हमने तीन परियोजनाएं शुरु की हैं । दो परियोजनाएं टिहरी गढ़वाल और एक मनीपुर में है । हम "झूम" की खेती के बजाय कृषि को स्थिर बनाने की ओर विशेष ध्यान दे रहे हैं । हमने पूर्वी क्षेत्र में एक कृषि अनुसन्धान काम्पलेक्स की स्थापना की है । इसका मुख्यालय शिलांग में है तथा पूर्वी क्षेत्र के प्रत्येक राज्य में इसकी एक-एक शाखा होगी । मिजोरम, मेघालय और नागालैंड आदि सभी क्षेत्र इसके अन्तर्गत आ जाते हैं। वहां हम इस संबंध में दिलचस्प परीक्षण कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार आदिवासी लोग बदल-बदल कर खेती करना छोड़ कर स्थिर खेती अपना सकते हैं । हमारे देश के सर्वोच्च वैज्ञानिक के प्रति आरोप लगाये गये हैं । यह आरोप एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ लगाये गये हैं जो विश्व में ख्यातिप्राप्त है तथा अपनी प्रतिभा के लिए सम्मानित हैं। इस बारे में मैंने पहले ही स्थिति स्पष्ट की है ।

अब यह बात सिद्ध हो चुकी है कि शरबती सोनारा गेहूं अन्य सभी किस्मों से बढ़िया है और खाद्य तथा कृषि संगठन के डा० बैनेट नामक अधिकारी का यह दावा गलत है कि ऐसा नहीं है ।

हमारे वैज्ञानिकों ने चावल की भी कई नई किस्मों का विकास किया है जिनमें से रोग-मुक्त भूरी किस्म उल्लेखनीय है। इसी प्रकार गेहूं की जंग-रोधक किस्म का भी विकास किया गया है । मूंगफली की भी गुच्छा-किस्म का विकास हुआ है जो कृषि में बहुत लाभ-दायक होगी । अधिक उपज देने वाली कपास की पांच किस्मों का भी विकास किया गया है ।

हमने पशुपालन के क्षेत्र में भी काफी प्रगति की है और सुघरी नस्ल की गाय-भैंसों की ईराक और बुल्गारिया जैसे देशों में काफी मांग है । करनाल और पूसा संस्थानों में हमारी गाय 38 किलो प्रतिदिन दूध देती हैं। भेड़ों की नस्ल सुधार का कार्य भी चल रहा है और बीकानेर में उनकी संख्या में प्रजनन द्वारा काफी वृद्धि हो रही है । हम उनकी ऊन तथा उनके मांस के गुणसुधार का काम भी कर रहे हैं । **(व्यवधान)** ।

बैरकपुर का मत्स्य अनुसंधान संस्थान मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए काफी प्रयत्नशील है और वहां सिद्ध किया जा चुका है कि प्रति वर्ष 9 टन मछलियों का उत्पादन प्रति हैक्टेयर किया जा सकता है । देश में इस प्रकार विशेषकर पूर्वी राज्यों में मछली उत्पादन बढ़ाने की काफी गुंजाइश है आशा है कि हम जो प्रोत्साहन दे रहे हैं उनसे छोटे/सीमांत किसान, राज्य सरकार और भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य लोगों की सहकारी समितियाँ लाभ उठायेंगी।

यह सही है कि इस वर्ष चीनी का उत्पादन विपरीत परिस्थितियों के कारण गिरा है यद्यपि इस वर्ष अधिक भूमि पर गन्ने की खेती की गई फिर भी कम गन्ना मिलों में आया । तथापि पांचवीं योजना के अन्त तक हमारा लक्ष्य 70 लाख टन उत्पादन करने का है । 96 नए चीनी कारखाने बन रहे हैं । इनमें से महाराष्ट्र में 22; आंध्र प्रदेश में 20; उत्तर

प्रदेश में 23; तमिल नाडु में 8; कर्नाटक में 8; गुजरात में 6; हरियाणा में 2, असम में 4 और मध्य प्रदेश पांडिचेरी तथा मणिपुर में एक-एक, आशा है कि ये मिलें चालू होने पर हम लक्षय प्राप्त कर लेंगे।

राज्य सरकारों द्वारा कानून बनाए जाने के कारण गन्ना-उत्पादकों को अब काफी राशि का भुगतान होने लगा है और एक मिल मालिक को भुगतान न करने के कारण जेल जाना पड़ा है।

SHRI SARJOO PANDEY (Ghazipur) : What about natinolisation of Sugar mills?

SHRI SHAH NAWAZ KHAN : I can assure him that one Party is committed there for. At present we are stressing on production.

SHRI NAWAL KISHORE SINHA (Muzaffarpur) : It is gratifying to note that since taking over charge of this Ministry by Shri Jagjivan Ram, the food situation is looking up and clouds of worry have passed. All the same, much ground has yet to be covered because we continue to import foodgrains and our population would also rise considerably.

Irrigation is the soul of agriculture. Out of 107 million hectare irrigable land, we have been able to provide irrigation for 45 million hectares *i.e.* one fifth of the total irrigated land in the world. Inspite of this the per acre yield in India is much lower because we have not provided all the necessary inputs to farmers. I also want to know the progress made in the implementation of minor irrigation schemes in the country because much depends on their successful completion as far as agricultural operation of small and marginal farmers are concerned. In fact water no where goes waste as much as in India where it is needed the most. Although it is a very costly commodity throughout the world.

I am happy to note that 50 Agro-Science Centres are proposed to be set up. Government should look into the pricing of pumping sets because their manufacturing cost is Rs. 2900/- only whereas farmers have to pay Rs. 5500/-.

Government should explore the possibility of purchasing land on negotiated prices from land owners for distribution among landless people. This will enable Government to provide more jobs to landless people and bring more land under the plough resulting in boosting food production.

Whereas other major river water dispute are being solved, the Subernrekha. Ajay river water dispute is perhaps being evaded for solution in the name of a minor dispute. The people of Bhagalpur and Santhal Parganas are much anxious for its solution so that their waters are also profitably utilised for irrigation.

*श्री एम० कत्तामुत्तु (मगापट्टीनम) : समयाभाव के कारण मैं केवल 2-3 बातों पर ही सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कृषि में भूमि सुधारों का बहुत महत्व है इसे मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन में भी स्वीकार किया गया है परन्तु लगता है कि इसे लागू करने में वही उत्साह नहीं दिखाया जा रहा है।

यद्यपि अनेक राज्यों में भूमिहीनों को भूमि के पट्टे दिए गए हैं, तथापि उन्हें स्वामित्व अधिकार नहीं दिए गए हैं और उत्तर प्रदेश में तो उन्हें भूमि का कब्जा भी नहीं मिला है। स्वामित्व अधिकार देने के कानून केरल को छोड़कर किसी राज्य में अभी तक नहीं बने हैं। अतः केंद्र सरकार अन्य राज्यों को ऐसा कानून बनाने के लिए कहे, तभी भूमि सुधार प्रभावी ढंग से लागू हो सकेंगे।

एक चिंताजनक बात यह भी है कि जमींदार लोग निजी खेती के लिए भूमि वापस ले सकते हैं जैसा कि असम, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में उन्हें यह अधिकार

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिंदी रूपांतर।

*Summarised Hindi version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

प्राप्त हैं । यद्यपि तमिलनाडु, में हाल ही में इस पर प्रतिबन्ध लगाने का कानून बना है परन्तु वहां भी अनेक मामले भूमि छीनने के देखने में आए हैं । अतः मैं चाहता हूं कि देश भर में भूमिहीनों को दी गई भूमि के स्वामित्व अधिकार दिए जायें।

राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार जमींदार बटाईदारों से उनकी कुल उपज का चौथा या पाँचवा भाग ले सकते हैं परन्तु वास्तव में आंध्र पंजाब, हरियाणा तथा तमिलनाडु में इससे कहीं अधिक भाग हथिया लिया जाता है: अतः मैं चाहता हूं कि केंद्र सरकार इन सिद्धातों को लागू करने के लिए प्रभावी कार्यवाही करे । इस संबंध में धर्मार्थ संस्थाओं की भूमि भी अर्जित करनी होगी ताकि सभी भूमिहीनों को भूमि दी जा सके।

खेद है कि देश में नकदी तथा अन्य फसलों के लाभप्रद मूल्य किसानों को नहीं मिलते । सरकार मुद्रास्फीति का भय दिखा कर किसानों की उचित मांगों की उपेक्षा नहीं कर सकती।

यह आश्चर्य की बात है कि इस वर्ष अधिक भूमि पर गन्ना बोए जाने के बाजजूद उत्पादन गत वर्ष की अपेक्षा कम होगा—इसका कारण दक्षिण भारत में कम भूमि पर गन्ना बोया जाना है क्योंकि किसानों को वहां गन्ने का लाभप्रद मूल्य नहीं मिलता था, अतः सरकार को किसानों की इस महत्वपूर्ण समस्या पर उचित ध्यान देकर उन्हें राहत देनी चाहिये ।

कृषि श्रमिकों को अभी तक घोषित न्यूनतम मजूरी नहीं मिल रही है, अतः मैं चाहता हूं कि मंत्रालय गंभीरता से इसकी जांच करे ।

वित्त मंत्री ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि वित्तीय संस्थाओं का लाभ अभी केवल बड़े किसान ही उठा पाए हैं । सरकार छोटे किसानों को पर्याप्त ऋण सुविधायें देना सुनिश्चित करे ।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

SHRI SUKHDEVO PRASAD VERMA (Navada) : The Minister deserves congratulation for improving our agricultural production. The country has heaved a sigh of relief at the easy food situation.

The Government's policies have raised new hopes among marginal and small farmers. They are hoping that their lot will improve.

Land reforms can be implemented with the cooperation of various agencies and Government machinery. It has to be seen whether we will be able to fulfil the target of implementing land reforms by 30th June, 1976.

There are legal hurdles in getting land above the ceiling. Steps should be taken to remove those hurdles so that surplus land can be obtained and distributed among the landless.

Agricultural prices have come down and farmers are in difficulty. It is so because there is no balanced relationship between agricultural prices and prices of industrial goods. The Government should take steps to provide at least industrial goods needed by farmers at a lower price.

Agricultural workers are living in villages where farmers are living. Their condition is deplorable. It is the duty of farmers to sea to it that condition of agricultural workers who worked with them improves.

The landless people who have been given certain documents allotting them some land are not getting possession of that land. The police and Government Officials are harassing them. The Centre should ask the States to see that these poor people are not harassed by the police.

Work relating to installation of tubewells has come to a standstill in four drought prone areas of Bihar because Centre is not giving money. The Government should give necessary funds so that work can start.

Tilaya Diversion Scheme is pending with the Central Government for the last two years. This scheme should be finalised soon as it will benefit the drought affected areas of Gaya and Navada.

श्री के० सूर्य नारायण (एलूरू) : यह प्रसन्नता की बात है कि सिंचाई के लिए पर्याप्त रुपया रखा गया है । नागार्जुन सागर के पूरा होने से 21.54 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की जा सकती है । परन्तु अभी उसकी संबंधित नहरें नहीं बनी हैं । धन की कमी के कारण नहरें नहीं बनाई जा सकी हैं । इसे राष्ट्रीय परियोजना माना जाए और अधिक धन दे कर शीघ्र पूरा किया जाए । इससे सरकार को बड़ा लाभ होगा तथा खाद्य उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि होगी ।

गन्ने का मूल्य संतोषजनक स्तर पर तय न करने पर किसानों को हानि होगी । इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया गया है कि किस आधार पर मूल्य निश्चित किए गए हैं । गन्ने के मूल्य में वर्ष प्रति वर्ष परिवर्तन होता रहा है, पर यह सब किस आधार पर किया गया । हाल ही में हमने एक फैक्टरी सहकारिता के आधार पर निर्मित की है । परन्तु उसमें लगातार हानि हो रही है । एक डिप्टी कलेक्टर उसका निदेशक है और वह इसके प्रबन्ध में सक्षम नहीं है । सहकारी क्षेत्र में होने के कारण यह सब हो रहा है । ऐसा कब तक चल सकता है ?

गोदावरी बांध 1847–1853 में किसी अंग्रेज ने बनवाया था । पूर्वी गोदावरी ज़िले में दोलाइस्वरम में गोदावरी एनकिर का निर्माण 1847 से 1952 में 4 लाख एकड़ की सिंचाई के लिए किया गया था । 1936 तक यह बढ़ कर 10 लाख एकड़ हो गया । वर्तमान आयाकर को बचाने के लिए विशेषज्ञ समिति की नए बांध बनाने की सिफारिश पर विचार किया गया है । आवश्यक वित्तीय सहायता के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन से अनुरोध किया गया है ।

उन छोटे किसानों की जमीनों की कुर्की की जा रही है जो वर्षा न होने के कारण फसल खराब होने पर सहकारी समितियों या बैंकों के ऋण वापिस नहीं कर सके हैं । उनकी उपज भी कुर्क कर ली गई है तथा उसे पड़ोस के ग्रामीणों को बेचा गया है ।

सहकारी समितियों और बैंकों से लिए गए ऋणों को समाप्त नहीं किया गया है जब तक ऐसा नहीं किया जाता 1–2 एकड़ वाले छोटे किसानों को उबारा नहीं जा सकता ।

SHRI NATHU RAM AHIRWAR (Tikamgarh) : The Minister and the Ministry of Agriculture deserve to be congratulated for improving the food situation and taking the country towards self-reliance. The fall in the prices of foodgrains has been welcomed by the poor workers both in the rural and urban areas as they are now assured of two square meals a day.

Under the 20-point programme, work of land distribution is going on. So far as Madhya Pradesh is concerned, we have decided to give five acres of land to the landless persons. Unfortunately not much land is available for distribution as a result of the ceiling, because most of it has already been transferred in the name of the family members. Even where land is available wells could not be dug there because it is in hilly tracts. The poeple getting land can get real benefit only if proper irrigation facilities are provided to them.

So far as small irrigation schemes are concerned, most of the water of the rivers and rivulets flows away and can not be utilised. If that water can be stored by constructing cement embankments it can be used for irrigation purposes. Government should seriously consider this matter. According to the 1961 census, there were 800 tanks in Tikamgarh district which are in a dilapidated condition. If those tanks are repaired it would cost about Rs. 8 crores. But this expenditure is worth incurring as thereby 8 lakh acres of land will be irrigated and about 80,000 quintals of foodgrains will be produced.

A number of river water disputes have been solved at the initiative of the Minister. The people of Madhya Pradesh and especially Tikamgarh are very grateful to him for the Rajghat agreement. The small farmers are not getting loans from the bank as the banks will not give loans beyond ten miles. If some funds are provided to the cooperative societies for this purpose it will be a great boon to those people.

Bundelkhand is a backward area. A number of irrigation schemes from that area are pending with the Central Government: they should be sympathetically considered.

SHRI K.M. 'MADHUKAR' (Kesaria) : He has recently toured Bihar and found that while a land reforms legislation has been passed and an atmosphere has also been created for its implementation, the problems of agricultural labourers have not yet been resolved. The minimum wages law is not yet being implemented. Also, they are not able to get loans. Even the land that is given to them as a result of the ceiling is not being cultivated in the absence of necessary facilities. The Minister should pay attention to these things.

Even in regard to irrigation the water of Gandak Canal, Western Kosi Canal and other rivers of north Bihar is not being fully utilised and it is not possible to do so as long as an agreement is not concluded with Bihar.

So far as ground water is concerned, whatever resources are available in the country they are not being properly utilised. In the last 30 years we have been able to utilise only 35 percent of the resources. At this rate how long it will be possible to utilise all the resources in full? Government should pay more attention to it.

Of course, so far as foodgrains production is concerned our progress has been commendable and we will soon become self-reliant. But we should not become complacent, because whatever success has been achieved is not as a result of Government's policy; it is due to good rains.

So far as flood control is concerned, there is great need to undertake effective measures in Bihar. This year that State has been the worst sufferer. Floods in Bihar can be controlled only if dams on the rivers there are constructed in Nepal from where they originated. Immediate steps should be taken in this regard.

[श्री वसन्त साठे पीठासीन हुए
Shri Vasant Sathe *in the chair*]

Land reform measures should be expedited and we should not depend on officials alone in this regard. There should be committees appointed at the panchayat level in which such persons should be taken who believe in land reforms.

In the past there have been some talks with Nepal Government. These talks should be renewed so that North Bihar can be saved from floods. There should also be a national control policy so that priorities can be decided. Since Bihar has suffered a big loss due to recent floods special assistance should be given to that State.

As the prices of foodgrains are falling, Government should have a a price support policy so that the agriculturists are not adversely affected.

There is great need for nationalisation of sugar mills and fixing a remunerative price for sugarcane.

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : यह अच्छी बात है कि स्वर्ण सिंह समिति ने कृषि को समवर्ती सूची में रखने का प्रस्ताव किया है । इंडियन साइंस कांग्रेस ने वाल्टेयर में 3 से 7 जनवरी तक हुई अपनी बैठक में सर्वसम्मति से ग्रामीण विकास के लिए एक राष्ट्रीय ऐजेंसी के संविधान की मांग की है क्योंकि अब तक इस दिशा में बहुत कम काम किया गया है । यद्यपि अत्यधिक महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे समुदाय विकास कार्यक्रम की भी सिफारिश की गई है किंतु इससे अधिक वे कुछ और नहीं कर पाये । गत कई वर्षों से समुदाय विकास कार्यक्रम की असफलता का एक कारण, जैसाकि मंत्री जी ने बताया है, यह रहा है कि इसके पीछे नौकरशाही प्रशासन का हाथ रहा है । जब तक लोग ऐसा नहीं समझेंगे कि ग्रामीण विकास युग धर्म अथवा समय की पुकार है तब तक कुछ भी नहीं किया जा सकता ।

ग्रामीण विकास एक अच्छा कार्य है किंतु हमने इस संबंध में कमी भी व्यावहारिक रुप से नहीं सोचा है। पांचायतों तथा समितियों के माध्यम से स्थानीय प्रयासों को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। वास्तव में पंचायत राज संस्थाओं से संसदीय स्तर तक लोगों के प्रयास को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। इंडियन साइंस कांग्रेस ने कहा है कि इस समय शहरी क्षेत्रों में ही साधनों तथा प्रतिभा का अधिकतम उपयोग किया जा रहा है। अतः यदि शहरी विकास के लिये, हम प्रखंड मुख्यालयों को आदेश केंद्र समझें तो हमें वहां प्रारम्भिक स्वास्थ्य केंद्र, टेलीफोन, पक्की सड़क तथा मिडिल स्कूलों की व्यवस्था करनी चाहिये ताकि लोग उनका लाभ उठा सकें। यदि कृषि तथा शिक्षा समवर्ती विषय बन जायें तो फिर केंद्रीय सरकार की अच्छी जिम्मेदारी हो जायेगी। ग्रामीण विकास के लिए आदर्श स्थान केवल ग्राम प्रखंड या सामुदायिक विकास खण्डों के मुख्यालय हो सकते हैं।

जहां तक वनों का संबंध है, आजकल वनों को भुला दिया गया है। यद्यपि भारत में 750 लाख हैक्टेयर भूमि कृषि के लिये उपलब्ध है फिर भी इस कुल भूमि में से केवल 22.7 प्रतिशत भूमि वन वृक्षों के लिये उपलब्ध है। यह उचित समय है कि हम वन विकास और वनों पर आधारित उद्योगों की ओर ध्यान दें क्योंकि वनों के काटे जाने से भू-स्खलन और काई आदि कई समस्यायें पैदा हो जायेंगी जिसके फलस्वरुप कृषि योग्य भूमि कम हो जायेगी। भारत के सौंदर्य के लिये और भारत तथा उसकी परम्पराओं की समृद्धि के लिये मैं अनुरोध करता हूं कि वनों की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं कृषि और सिंचाई मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री डी० डी० देसाई (कैरा) : कृषि और सिंचाई मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करते हुए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

खाद्यान्नों तथा अन्य फसलों के उत्पादन में इस वर्ष हमें असाधारण सफलता मिली है। अतः हमें अपने उत्पादन का 15 प्रतिशत अनाज अपनी भावी आवश्यकताओं के लिये सुरक्षित रखना चाहिये क्योंकि 1976–77 का वर्ष इस दिशा में बुरा वर्ष हो सकता है। किसानों को उनके उत्पादन के लिए समुचित मूल्य दिये जाने चाहिएं। यदि हम किसानों को उचित मूल्य दें तो फिर हमें जिस किसी फसल के उत्पादन की आवश्यकता होगी वह हमें मिल जायेगी।

कई नदी जल विवाद चल रहे हैं। किंतु काम की बातों को एक ओर छोड़कर असंगत मामले बीच में लाय जाते हैं जिससे व्यर्थ ही समय बरबाद हो जाता है। यह बात नर्मदा नदी जल-विवाद के बारे में विशेष रूप से कही जा सकती है।

फसल बीमा को अभी तक संगठित नहीं किया गया है। किंतु जितनी जल्दी हम इसे संगठित करेंग उतना अधिक हमें इससे लाभ होगा क्योंकि इससे किसानों को बीमा सुविधा मिल जायेगी।

अशोक मेहता समिति ने लगभग 20 वर्ष पूर्व सिफारिश की थी कि नीतियों, समर्थन मूल्य तथा फसल संबंधी अन्य नीतियों की घोषणा बीज बोने के समय ही कर दी जानी

चाहिये किंतु इस वर्ष तक भी ऐसा नहीं किया गया है। कपास के लिए समर्थन मूल्य की अभी तक घोषणा नहीं की गई है। यदि ऐसा नहीं किया गया है तो उन्हें एसा करने का प्रयास करना चाहिए ताकि किसान यह निर्णय कर सकें कि आने वाले समय में किस तरह की फसल उगायें।

हम कुछ फसलों के समुचित उत्पादन करने की स्थिति में पहुंच गये हैं और इसलिये अब हमें उनका जैविक विकास करना चाहिये। यदि हम चुनींदा फसलों को उगाना शुरू कर दें तो फिर हमें अधिक उर्वरकों की जरुरत नहीं पड़ेगी जोकि बहुत महंगे हो गय हैं। अतः इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

कई देशों में अनाज की फसलों पर नाइट्रोजन पैदा करने वाले जीवाणुओं का रोपण किया गया है। हम उन देशों के साथ सहयोग कर सकते हैं और देश में इस टेक्नोलोजी को तेजी से लागू करने के लिए जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

बिना जुताई की खेती का भविष्य हमारे लिये अत्याधिक उज्जवल है। इसकी लागत पचास प्रतिशत रह जाती है और 25 प्रतिशत अधिक उत्पादन होता है। भू-कटाव की कोई समस्या नहीं है और इसके लिए हमें कम उर्वरकों तथा अन्य वस्तुओं की भी आवश्यकता पडेगी।

वन तथा अन्य क्षेत्रों में झूम ढंग से खेंती करने से पर्वतीय क्षेत्रों की कई एक समस्यायें हल हो जायेंगी। इससे वन काटने संबंधी कई कठिनाइयां भी दूर हो जायेंगी। हमारे पास अपने वनों का विकास करने के लिए प्राप्त ज्ञान है और हम इसे व्यर्थ नहीं जाने देंगे।

इन शब्दों के साथ मैं कृषि और सिंचाई मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री शिवाजी राव एस० देशमुख (परभनी) : मैं मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का पूर्णतः समर्थन करता हूं। देश में 11.4 करोड़ मीटरी टन अनाज का रिकार्ड उत्पादन हुआ है। यदि उर्वरकों की खपत में गिरावट नहीं आती तो उत्पादन और भी अधिक होता। सरकार ने उर्वरकों का मूल्य 100 प्रतिशत बढ़ा दिया है। उर्वरकों की समस्या पर नुक्ता-चीनी करने का अधिकार दूसरे मंत्रालय के हाथों में नहीं सौंपा जाना चाहिये। कृषि से संबंधित सभी विषय एक ही मंत्रालय के नियंत्रणाधीन होने चाहियें। पता चला है कि कृषि का एक महत्वपूर्ण अंग सहकारिता विभाग किसी अन्य मंत्रालय के हाथों में सौंप दिया गया है अतः समस्या का समाधान करने में सहायता देने के बजाय इससे यह समस्या और अधिक जटिल हो गई है।

यही हालत कपास और पटसन के बारे में है। हम देखते हैं कि कपास का उत्पादन कम हो गया है। अविवेकपूर्ण मूल्य नीति अपनाने के कारण ही कपास उत्पादन कम हुआ है और इस नीति पर कृषि मंत्रालय का कोई नियंत्रण नहीं है। अतः जब तक स्थिति में सुधार करने के लिये तुरन्त कोई कदम नहीं उठाया जाता तो यह और अधिक खराब हो जायेगी।

गत वर्ष हमारे यहां कपास का रिकार्ड उत्पादन हुआ था । गत वर्ष मिल ओनर्स एसोसियेशन ने कहा कि हमें कपास का निर्यात नहीं करना चाहिये । और हमें इससे सिले-सिलाये वस्त्र बना कर निर्यात करना चाहिये । वे चाहते थे कि कपास के मूल्य गिर जायें । परन्तु बाद में निर्णय किया गया और केवल 2 लाख गांठे कपास निर्यात की गई। यदि ज्यादा गांठें निर्यात की जाती तो देश को भारी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती । यद्यपि इस बार भी हमारे पास काफी कपास है तो भी उन्होंने तर्क दिया कि वे आयातित कपास चाहते हैं ताकि देसी कपास के मूल्य कम हो सकें । गत वर्ष का बकाया कपास का मूल्य अभी दिया जाना है । अतः इसका परिणाम यह हुआ कि महाराष्ट्र में कपास की खेती का क्षेत्र 25 प्रतिशत कम हो गया है और कपास का कुल उत्पादन 50 प्रतिशत कम हो गया है ।

अतः कृषि उत्पाद का विपणन कृषि उत्पादन का एक अभिन्न अंग है । जब तक बिचौलियों को समाप्त नहीं किया जाता उत्पादन नहीं बढ़ सकता । वस्त्र आयोग को समाप्त किया जाये । रुई से वाणिज्य मंत्रालय से क्या सरोकार है । पटसन तथा रुई को कृषि मंत्रालय के अंतर्गत लिया जाये ताकि इनका उत्पादन बढ़ सके ।

आपात स्थिति में चीनी सिंडीकेट की स्थापना की गई है । इन लोगों के पास गन्ने का क्षेत्र तो 3 एकड़ है परन्तु यह टाटा बिरला से भी अधिक धनी हैं । चीनी का उत्पादन 48 टन से घटकर 44 टन रह गया है । आज भी लन्दन बाजार में चीनी का भाव £ 200 प्रतिटन है ।

हमने सेन आयोग से लेकर आज तक कई आयोगों की स्थापना की है ताकि चीनी का मूल्य वैज्ञानिक आधार पर तय किया जाये । गन्ने के दाम चीनी की उपलब्धता के आधार पर तय किये गये । खुली बिक्री के नाम पर चीनी उद्योग पर पूरा नियंत्रण हो गया । यह नियंत्रण चीनी उद्योग, गन्ना उत्पादकों तथा उपभोक्ता के हितों के विरुद्ध कार्य कर रहा है । चीनी के 44 लाख टन उत्पादन पर 20 प्रतिशत उत्पादन शुल्क लगाया जाता है जोकि औसतन प्रति बोरी 150 रुपया की दर से पड़ता है। तथ्य यह है उत्पादन शुल्क का 3/4 चीनी उद्योग में लगे धन का तीन गुणा है । इसका अध्ययन करने के लिये समपत समिति की नियुक्ति की गई । समिति की सिफारिशों पर विचार करने पर सरकार का पूरा वर्ष लग गया । उक्त समिति की सिफारिशें उन फैक्ट्रियों पर लागू होनी थीं जिनकी मशीनरी आदि की लागत 200 लाख रुपए से अधिक है । चीनी उद्योग 200 लाख लगाने पर $4\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये परियोजना व्यय निकालता है । हमारा सरकार से निवेदन है कि समपत आयोग के अंतर्गत आने वाली 9 फैक्ट्रियों के मामले पर विचार करें । सीमा को 200 लाख से घटाकर 160 लाख किया जाये ।

चीनी मिलों के क्षेत्र में गन्ने के विकास के केन्द्रीय क्षेत्र में परियोजना आरम्भ करने का है । राज्य सरकारों द्वारा लगाये गये क्रय कर का 50 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के विकास पर व्यय किया जाये । महाराष्ट्र सरकार ने निर्णय किया है कि गन्ना उत्पादक पक्की सड़कों का उपयोग नहीं कर पायेंगे । समपत समिति की सिफारिशों की किसी अवहेलना को सहन नहीं किया जाना चाहिए । गन्ना उत्पादकों को बिजली पानी दिया जाना चाहिए । जो राज्य सरकारें ग्रामीण सड़कों का विकास नहीं करतीं उन्हें भारत सरकार स्पष्टतः कह दें कि उन्हें उत्पादन शुल्क में हिस्सा नहीं दिया जायेगा ।

SHRI NARENDER SINGH BISHT (Almora) : The eight hilly districts of Uttar Pradesh have been ignored in the sphere of agriculture as well as irrigation. I want to draw the attention of the Government towards horticulture of these hill districts. The fruits like apples, pears peach etc. are grown at a height of 5-6 thousand feet above sea level and certain fruits, are grown in plains. If proper arrangements for their marketing and transportation are made and canning and cold storage facilities are provided the people of the area can earn a lot.

Lift irrigation facilities should also be arranged in these areas, because their condition is "water, water, every where but not a drop to drink". In certain villages the ladies have to carry water from 2-3 miles. The Government may arrange water for irrigation and drinking purposes.

This State is very backward so far as per capita income is concerned. Shri Shah Nawaz Khan has stated that two projects have been proposed, one at Pauri and the other at Tehri. Some projects should also be made for Almora also.

SHRI JAGJIVAN RAM : The project for Germna is going on.

SHRI NARENDER SINGH BISHT : I am grateful to the Government for this.

The forests have been exploited very much and very little of afforestation has been done. The Government should give due attention to it.

Animal husbandry can prosper in that region to a great extent. A number of sheep brought from the Soviet Union have been kept at Rajasthan. These should better have been kept in a cold place. A sheep rearing farm is running at Karmi. There is need to open another such farm. Earlier a lot of wool used to come from Tibet but after the Chinese occupation of Tibet that process has stopped and people have become unemployed. The people should be provided with raw wool.

In Kashmir there is trout fishing. That can succeed in this area and attract foreign tourists. The plant protection work is very slow and the plants are destroyed in few years. Certain crops like tomatoes perish due to lack of transport facilities.

Last year our budget was exhausted in the import of fertilisers and this year the production of foodgrains has been encouraging. If we produce food like this we would become self-reliant.

SHRI PARIPOORNANAND PAINULI (Tehri Garhwal) : While supporting the demands for grants for the Ministry I congratulate the hon. Minister for enhanced food production. But intensive cultivation has not been given the attention it deserved.

Time has now come when we should adopt a national food policy so that the future generation may be free of this problem of food.

Shivraman Committee on weaker section has just submitted its report, wherein it has suggested consumption credit. I hope that the Government would take steps to implement it early.

So far the Agriculture Ministry has not given due attention to our second line of Defence. No strong policy has been formulated so that the region may become self-reliant.

No definite policy has ever been adopted for bringing about the development of Himalayan region so that people could become self-reliant there. There are no proper arrangements for marketing of fruits that are grown there. There must be some sort of price support or price guarantee for cash crops produced in the hilly regions. Nothing had been done for the sale of seed potato that is grown in the hills. The producers do not get adequate price and the middlemen grab the entire profits. Therefore, a special policy should be drawn up for hilly areas.

As regards animal husbandry, there is scarcity of fodder and green lands had not been adequately developed. A clear policy should be adopted in regard to sheep rearing. As many as possible artificial insemination centres should be opened in hilly areas. The rearing of she-goats should be stopped.

A National Corporation of apples should be set up on the lines of Jute Corporation so as to take over the trade in apples and help the local people to improve their economic position.

Every time the problem of flood is discussed. Some long term plan should be evolved for flood control. The work of afforestation should be taken up. The policy regarding forests should be enterely changed.

SHRIMATI SAHODRABAI RAI (Sagar) : The condition of Harijan Adivasis has not improved. Steps should be taken to improve their lot. Larger number of agricultural workers are women. Their wages have not been fixed. Attention should be paid to their difficulties also.

At present Harijan Adivasis are not getting land. Land should be given to these people. Also other facilities should be provided to them so that they are able to cultivate that land properly.

The condition of Harijans in cities is better than the condition of those who live in villages. Harijans from rural areas are coming to cities. This tendency should be checked. That is possible only if steps are taken to improve the condition of Harijans in villages.

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कृषि के क्षेत्र में किए गये अनुसंधानों का लाभ किसानों तक नहीं पहुंचा है । छोटे-छोटे खेत होने के कारण छोटे किसान अपने कार्य में मशीनों का उपयोग नहीं कर सके हैं । अभी भी वे खेती के पुराने तरीके ही अपनाए हुए हैं ।

छोटे किसान सरकार से मिलने वाले ऋण का भी लाभ नहीं उठा पाते, क्योंकि सरकारी अधिकारी उन्हें ऋण देते समय अत्यधिक तंग करते हैं । उसका लाभ भी बड़े किसानों को ही मिलता है, क्योंकि वे गारंटी दे सकते हैं ।

कृषि उत्पादों का मूल्य कृषि में काम आने वाली वस्तुओं के मूल्य को देख कर निश्चित किया जाए । अनाज का मूल्य गिर गया है जबकि ट्रैक्टर आदि का मूल्य नहीं गिरा है ।

किसानों पर लगने वाले करों का विस्तृत अध्ययन किया जाए तथा उसे सुव्यवस्थित किया जाए ।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गोहाटी) : गत वर्ष हुऐ आश्चर्यजनक सुधार के लिए मंत्री महोदय और उनका मंत्रालय बधाई के पात्र हैं । कृषि क्षेत्र में हुए सुधार से न केवल देश की कुल अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है बल्कि इससे साधारण व्यक्ति को वास्तविक राहत मिली है ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. **Deputy Speaker** *in the chair*]

आसाम कई वर्षों से निरन्तर बाढ़ का शिकार बना हुआ है । ब्रह्मपुत्र नदी ने वहां की जनता और सम्पत्ति के साथ इतनी अधिक विनाश लीला की है कि किसान खेती के बेहतर तरीके को अपनाने के लिए साहस नहीं करता है ? उसे यह भी पता नहीं है कि बाढ़ आने की स्थिति में उसकी क्या दशा होगी ।

इन सभी वर्षों में बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए केवल तदर्थ उपाय किए गए हैं, यद्यपि हमने इस के लिए काफी धन खर्च किया है । जब तक बाढ़ समस्या से निपटने के लिए कोई व्यापक योजना नहीं बनाई जायेगी यह समस्या ऐसी ही बनी रहेगी । हम बेकार धन खर्च करते रहेंगे । अब समय आ गया है कि हमें सुनियोजित कार्यवाही करनी चाहिए । यद्यपि हमारे संसाधन इसके लिए काफी नहीं है, फिर भी हमें विश्व बैंक जैसे अन्य संगठनों से संसाधन जुटाने चाहिएं ।

हमें इस सदन में आश्वासन दिया गया था कि ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण विधेयक लाया जायेगा और केन्द्रीय सरकार ब्रह्मपुत्र की समस्या से निपटने की जिम्मेदारी लेगी । हमें पता है कि केन्द्रीय सरकार एक या दो वर्ष में ब्रह्मपुत्र को नियंत्रण में नहीं कर सकती और हमें अनेक वर्षों तक ब्रह्मपुत्र के साथ ही जीवन बिताना है । लेकिन फिर भी इस समस्या

से निपटने के लिए शुभारम्भ तो किया ही जाना चाहिए । आसाम जैसे राज्य के लिए ऐसी भंयकर नदी से निपटना सम्भव नहीं है । केन्द्र को राज्य सरकार की सलाह से यह मामला संभालना चाहिए ।

पूर्वी क्षेत्र में कृषि के मामले में अधिक विकास नहीं हुआ है। वस्तुतः हम कृषि के पुराने तरीकों से ही कार्य करते रहे हैं । इस क्षेत्र के किसानों ने सिंचाई, विद्युत या अन्य उपादानों का उपयोग करना आरम्भ ही नहीं किया है । पूर्वी राज्यों ने ग्राम्य विद्युतीकरण हुआ ही नहीं है। इस का एक कारण यह है कि वहां विकास के लिए वातावरण पैदा ही नहीं हुआ है। अतः जहां किसान कृषि के आधुनिक तरीकों का लाभ समझ लें वहां ऐसा वातावरण पैदा किया जाना चाहिए जिससे कि वे उन्हें स्वयं ही अपना सकें । केंद्रीय सरकार को यह विचार करना चाहिए कि हम वहां ऐसा वातावरण कैसे पैदा कर सकते हैं ।

यह सही है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में जल विकास की भारी सम्भाव्यतायें हैं । लेकिन पूर्वी राज्यों में भारी वर्षा होने के कारण वहां यह धारणा पैदा हो गई है कि सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब पता चला है कि भूमि में नमी कम हो गई है । यदि एक बार वर्षा का पानी बह गया तो भूमि सूख जायेगी और सिंचाई कार्य आवश्यक हो जायेगा। अतः केन्द्रीय सरकार को पूर्वी क्षेत्र में कृषि विकास के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

हमारे पास बढ़िया किस्म के बीज नहीं है । दूसरे क्षेत्रों में बीजों की कई परियोजनायें हैं, लेकिन पूर्वी क्षेत्र में ऐसी कोई परियोजना नहीं है । यदि पूर्वी क्षेत्र का समुचित विकास किया जाये तो यह क्षत्र शष देश की चावल की मांग पूरी कर सकता है। सरकार को पूर्वी क्षेत्र में भी ऐसी परियोजनाएं बनाने के बारे में विचार करना चाहिए।

ग्रामीण ऋण समाप्त किये जाने के कारण लोगों को ऋण प्राप्त करने की सुविधाएं समाप्त हो गई हैं और ग्रामीण बैंक इतने अधिक किसानों की आवश्यकताएं पूरी करने की स्थिति में नहीं हैं । कृषि मंत्रालय को ग्रामीण लोगों को वैकल्पिक ऋण देने के लिये कोई योजना बनानी चाहिये ।

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर (पंजिम) : कृषि उत्पादन और वसूली में सुधार करने, खाद्यान्नों के लिए समुचित योजना बनाने और इसका वितरण करने तथा अनिवार्य आधारभूत ढांचा तैयार करने के लिए मैं माननीय मंत्री को बधाई देता हूं ।

गोआ में स्वतन्त्रता से पहले उर्वरक, अच्छे बीज, खेती के आधुनिक तरीके या आधारभूत ढांचा उपलब्ध नहीं थे । फिर भी वर्ष में सात महीने तक चावल का काफी उत्पादन होता था । स्वतन्त्रता के बाद अब उर्वरक सुगमता से उपलब्ध हैं और अच्छे बीज भी उपलब्ध हैं । खेती के आधुनिक तरीके भी अपनाये जाने लगे हैं । लेकिन उत्पादन में गिरावट आ गई है । धान का उत्पादन जहां सात महीने तक होता था, अब केवल 5 महीने तक ही होता है । चावल का उत्पादन 7 महीने तक होता है । सरकार को इस मामले की जांच करनी चाहिए ।

गोआ में 20 सूत्री कार्यक्रम लागू नहीं किया जा रहा है । इस कार्यक्रम को गोआ में लागू करने के लिए कदम उठाये जाने चाहिएं ।

गोआ का क्षेत्र बहुत छोटा है । वहां भूमि बहुत अधिक नहीं है । सरकार को यह देखना चाहिए कि वहां भूमि के और अधिक टुकड़े न हों ।

गोआ में कई बांध हैं । वे टूट गये हैं और खारी पानी आ जाता है । पिछली बार जमींदारों, काश्तकारों और सरकार ने इन बांधों की मरम्मत की थी । लेकिन अब किसी ने यह जिम्मेदारी नहीं ली है और वहां खारी पानी खड़ा है । धान का उत्पादन कम होने का कारण भी यही है । सरकार को यह पता लगाने के लिए विशेषज्ञों की इच्छाशक्ति प्राप्त एक समिति नियुक्त करनी चाहिये कि कोमुनीदार का कितना अधिक सदुपयोग किया जा सकता है जिससे भूमि पर धान का अधिकतम उत्पादन किया जा सके ।

श्री पट्टाभिराम राव (राजामुंड्री) : मैं कृषि और सिंचाई मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं । इस तथ्य से यह पता चलता है कि सामान्य सहायता से लगभग 11.5 करोड़ मीटरी टन अनाज का उत्पादन कर देश आत्मनिर्भरता के मार्ग पर आसानी से बढ़ रहा है । इस भरपूर फसल होने से हमने प्रथम पाठ तो यह सीखा है कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए जल की सुनिश्चित सप्लाई अनिवार्य है ।

दूसरा पाठ यह है कि अचानक मूल्य गिरने से मामूली सा अधिशेष भी कष्टदायक हो सकता है । इससे एक ओर तो किसान को हानि होती है और दूसरी ओर सरकार को । किसान को इसलिए हानि होती है कि वह उर्वरक और बीज जैसे उपादान अधिक मूल्य पर इस आशा से खरीदता है कि फसल से कुछ तो लाभ होगा । जब इसका यह लाभ घट जाता है तो स्वभावत: उसे प्रत्याशित आय नहीं होती है । इससे उसे ऋण की अदायगी करना कठिन हो जाता है जो कि वह फसल के दौरान लेता है । इससे उसे भविष्य में अधिक उत्पादन करने का प्रोत्साहन भी नहीं रहता । जब अनाज के भाव गिर जाते हैं और सरकार को बाजार भाव से अधिक भाव पर किसान से अनाज खरीदना पड़ता है । किसान को प्रोत्साहन मूल्य देने की दृष्टि से ही सरकार को ऐसा करना पड़ता है । इससे सरकार पर भारी बोझ पड़ता है ।

कृषि आयोजना को साधारण बनाने की आवश्यकता है । कृषि उत्पादों की सप्लाई और मांग को इस तरह से सुनियोजित करने के लिए ऐसी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए जिससे अभाव और अधिशेष से कोई गम्भीर समस्या पैदा न हो । उद्योग की भांति कृषि उत्पादन अति सावधानी से नियोजित नहीं किया जा सकता है । कष्टदायक अधिशेष न होने की स्थिति में आकांक्षाओं में अन्तर अवश्य आयेगा ।

अनाज खरीदने के लिए केन्द्र को ही एकमात्र जिम्मेदार ठहराने के बजाय अन्य एजेंसियों को भी इसके लिए जिम्मेदार बनाया जाना चाहिये चाहे वे इसके लिए सीधे जिम्मेदार न होकर ऋण को उपलब्ध करने के माध्यम से जिम्मेदार भले ही बनें । एक समाचार प्रकाशित हुआ था कि दक्षिण में एक प्रमुख बैंक अनाज का भण्डार करने के लिए गोदामों का निर्माण कर रहा है । यह एक बहुत अच्छा काम है और सभी बैंकों को इसका अनुसरण करना चाहिये । संबंधित अधिकारियों को बैंकों में समन्वय स्थापित करने हेतु, एक व्यापक योजना

तैयार करनी चाहिए जिससे कि बैंक गोदाम बना सकें और किसानों को अपेक्षित अवधि के लिए ऋण दे सकें। उन्हें अपना अनाज सरकार को निर्धारित मूल्यों पर अपनी इच्छानुसार बेचने का विकल्प दें। इन उपायों द्वारा अनुचित दबाव डाले बिना अतिरिक्त अनाज प्राप्त किया जा सकता है। शुरू में सरकार यह काम अतिरिक्त अनाज वाले एक अथवा दो क्षेत्रों से आरम्भ करे तथा देखे कि ऋण तथा बिक्री की इस प्रक्रिया को किस तरह सामान्य बनाया जा सकता है।

हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने कृष्णा नदी के अतिरिक्त जल का कुछ भाग मद्रास नगर को देना स्वीकार किया है। यह केवल शुरूआत है। आवश्यकता दक्षिण की नदियों को जोड़ने की है ताकि एक दक्षिण जल ग्रिड बनाया जा सके। गोदावरी नदी को कृष्णा नदी से, कृष्णा नदी को पेन्नार नदी से और पेन्नार नदी को कावेरी नदी से जोड़ने की तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिये। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये और ब्योरे का पता लगाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की जाये।

देश को चीनी के निर्यात से काफी विदेशी मुद्रा की आय होती है। लेकिन आंध्र प्रदेश के गन्ना उत्पादकों अथवा चीनी उत्पादकों की स्थिति बहुत शोचनीय है। किसानों को अपने उत्पाद का लाभप्रद मूल्य नहीं मिलता। आंध्र प्रदेश के वर्तमान लेवी मूल्य, जोकि देश में सबसे कम है, से उत्पादकों को काफी हानि हुई है। सरकार को इस मामले पर फिर से विचार करना चाहिए तथा गन्ना उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य दिलाना चाहिये और उत्पादकों को भी उचित लेवी मूल्य प्राप्त होना चाहिए।

SHRI RAJDEO SINGH (Jaunpur) : While supporting the demands for grants pertaining to the Ministry of Agriculture and Irrigation, I would like to say that Government have spent crores of rupees on big irrigation projects. But so far hardly 30 percent of our cultivable land has been irrigated. More attention should be paid to minor irrigation projects like wells and pump sets etc. so that more land can be irrigated with less investment.

We must increase storage facilities. More and more warehouses should be constructed so that damage to foodgrains can be minimised.

The consumption of foodgrains far exceeds the production. Therefore, in order to minimise consumption of foodgrains and cereals we should change our dieting habits and substitute foodgrains by fruits, meat, fish, etc. This will reduce foodgrains consumption.

In India the fertiliser consumption per acre is hardly 6-7 kg. while the world average is 95-96 kg. Therefore, we should popularise the use of fertilisers among our farmers so that our yield per acre can increase. We should popularise the use of green manure also among our farmers.

Government have not paid any attention to inland fisheries. Development of inland fisheries can not only yield much needed fish from the existing ponds and lakes but can also create employment for many people. Therefore, urgent attention should be paid towards the development of inland fisheries.

We must pay more attention towards preservation and development of our forest wealth. Our target should be to extend our forest area steadily so that it can cover 1/3rd of the total area in the country.

The sugar mills in the country should be nationalised. If this is not possible the mills should be modernised so that the recovery of sugar can be increased.

Control of flood and husbanding of big rivers should be made a central subject. Floods sometime bring havoc not only in one state but in many states because almost all big rivers flow through more than one state. This should be looked into. All big rivers should be brought within one Central grid.

In order to implement big flood control measures, Government should take assistance of World Bank or an extra levy can be charged from the prospective beneficiaries.

Organisations and Programmes like farmers' development agency, marginal farmers' development agency, area development programmes etc. have to be made more popular and intensive, special in the backward areas.

A committee has been appointed to look into the affairs of ICAR. The committee has recommended that certain radical changes should made in organisational pattern and personnet policy of ICAR. Government should see that the recommendations are put into effect so thal the interests of our scientists can be protected.

SHRI BHOGENDRA JHA (Jainagar) : During the emergency we have been given an opportunity to root out feudalism and semi-feudalism prevalent in the country after independence. Certain States like Tamilnadu have declared previously that there is no bounded labour. The Bihar Government have also declared that there is no bounded labour in the state. But the fact remains that there is bounded labour in Bihar. When some bounded labourers wanted to become free they were beaten and their homes were looted.

The Bihar Government has declared that there is no bounded labour in the state. You can go and check at any place. I am prepared to accompany you. The bounded labour still prevails in Bihar the Government should take drastic steps to remove it.

The share cropper in Bihar should be given the right on land. The practice of share cropping is a legacy of the feudal system and it should be done away with as early as possible. But contrary to our expectation, the Chief Minister of Bihar has made an announcement that share cropper would not be given any rights. This is most unfortunate because this has brought about frustration among many people. The Central Government should look into it.

Similarly, although the small debtors have been given relief under the 20-point programme, the scheme has not been implemented in the villages of Bihar. Money-lenders are still fleecing the farmers and charging exorbitant interest. The Government should see that the debts of the poor farmers are also liquidated.

The prices of the agricultural products have come down during the recent months. But the prices of manufactured articles are still as high as before. The Government should see that prices of manufactured articles also come down.

SHRI G.C. DIXIT (Khandva) : There is no doubt that agriculture is the backbone of our economic system. It is our culture, our philosophy and our way of life.

There was a time when due to acute high prices, unemployment and less production etc. our peasants were suffering. But with the introduction of 20-point programme has arisen new hopes. I hope it would improve our rural economy day by day.

We brought about green revolution but still goals are far off. Arrangements should be made to supply adequate quantity of fertilisers to the farmers so that the yield in the field may be increased.

India is primarily an agricultural country and 80 percent of population is engaged in farming. It is regretable that farmers receive step-motherly treatment from the Government in the matter of power. He has to pay higher tariff for power and even then it is not made available to him when he want it.

The Government should see that farmers receive adequate power for agricultural purposes.

Madhya Pradesh has immense potential for irrigation and power and if this could be exploited it could produce huge quantity of foodgrains. But the potential of the state has not been tapped because of the lack of funds from the Centre. The Government should look into it and see that necessary financial help is made available to the state so that some big projects which could not be taken up for want of funds could be implemented.

In view of the fact that India is mainly an agricultural country adequate arrangements should be made for dissemination of agricultural education to the people in rural areas.

Necessary infrastructure should be developed in Madhya Pradesh so that vast mineral wealth could be tapped. Means of transportations in the state should be improved.

SHRI HARI SINGH (Khurja) : Due to the efforts of the Ministry the country is becoming self reliant. The country which used to depend on other nations for food is able to meet its requirements and shortly shall be in a position to export foodgrains to other countries.

In Secundrabad Tehsil of Bulendshahr District the means of irrigation have been withdrawn.

SHRI JAGJIWAN RAM : Have you written to the State Government?

SHRI HARI SINGH : I have written to State Government as well as to Central Government but I regret that no attention has been paid towards it.

A number of tubewells are lying idle for want of power in the District.

The Government should see that adequate power is made available to the farmers.

The inter-state water disputes have caused a lot of harm to our country. It took many years to settle some of such disputes. I regret that certain cases of disputes which had been settled have been re-opened.

All the sugarcane produced in my district is crushed by one single mill. That sugar mill has to pay arrears amounting to about a crore of rupees to cane growers. The cane growers are badly in need of money. But there is no hope of payment. I therefore, urge upon the Government to intervene and see that the arrears are paid to the cane growers. That mill should be taken over by the Government.

A scheme to construct a silo near Khurja station was sanctioned some time back. But the work has not been undertaken as yet. In view of the lack of storage facilities in that area the silo should be erected early.

Farmers should be encouraged to take up dairy farming, poultry farming etc. so as to supplement their income. This would go a long way in improving their living standard.

The employees of Food Corporation of India is harassing the poor farmers while making purchases of their produce so much so that the farmers are prepared to sell their produce to the grain dealers who again sell the same produce to F.C.I. on some profit. The Government should see that employees, were not allowed to harass the farmers.

Lakhewali Agricultural College should to upgraded to a University.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY (Nizamabad) : Babuji is lucky and so is the country. The country achieved a great success in the sphere of Defence and now when he is Agriculture Minister the production of foodgrains has a 10 percent rise in one year. Our food production has gone up to 114 million tons. The average consumption of three men in the world is one ton a year. Whereas in India 4-5 person consume a ton on foodgrains.

The fertility of soil in our country is slowly going down as we are not using required quality of fertilisers and green manure. This is a serious and should be looked into urgently.

During 1966-67 our production of sugar declined to 22 lakh tons. Babuji introduced the system of levy sugar and free sugar and our production has risen to 42 lakh tons. The price of levy sugar has been fixed @Rs. 117 per quintal. As a result thereof many sugar mills have incurred heavy losses because they paying heavy prices for sugarcane. The Government should raise the price of levy sugar to Rs. 160 per quintal.

Sampat Committee has given it's report about incentives to sugar mills. The Government has accepted the report after certain modifications. All factories which have commenced production after 1974 should be entitled to incentives irrespective of cost involved and all factories which have been modernised and innovated should also be entitled to incentives.

Arjan Sagar built at a cost of 200 crores of rupees has enabled us to give to the country one million tonnes of rice. After some time we will give another one million tonnes.

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : हमारे देश में नारियल की खेती छोट किसानों द्वारा की जाती है । नारियल के पेड़ों को कीड़ा लग जाता है । हमारी उत्पादिता विश्व में सबसे कम है। अतः देश में नारियल की खेती को बचाने के लिये समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है । मैं चाहता हूं कि सरकार नारियल बोर्ड की स्थापना के बारे में स्पष्ट वक्तव्य दे ।

केरल एक ऐसा राज्य है जिसका समुद्र तट बहुत लम्बा है तथा वह समुद्र से होने वाले भूमि कटावों से बुरी तरह प्रभावित है । बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा समुद्र में होने वाले भूमि कटावों की ओर केंद्र सरकार द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिए और इस मामले की देखभाल के लिये पृथक विभाग स्थापित किया जाये। अभी हाल ही में हमारा संसदीय शिष्ट मंडल वियतनाम गया था वहां पर लोग बांध लगाने की अपेक्षा ऐसे वृक्षों की क्षेप लगाते हैं जो भूमि की रक्षा करते हैं । मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान देगी।

जहां तक पहाड़ी क्षेत्रों का संबंध है सेन्ट्रल वायानाड क्षत्र को ध्यान में रखा जाये क्योंकि यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी बुरी तरह से उपेक्षा की गई है तथा जिसके विकास की बहुत आवश्यकता है ।

अन्तर्राज्यीय जल विवादों को शीघ्र निपटाया जाये ताकि सिंचाई परियोजनाओं को चालू किया जा सके ।

इसके पश्चात लोक सभा बुधवार, 5 मई 1976/15 वैसाख 1898 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Wednesday the 5th May, 1976/ Vaisakha 15, 1898 (Saka).

424LSS/76—GIPF